रीवा सम्भाग में

बाल-अपराध

JUVENILE DELINQUENCY IN REWA REGION

सागर विश्वविद्यालय की
एम० एड० (द्वितीय खंड) की उपाधि हेतु प्रस्तुत
एक शोध-निबन्ध

निर्देशक :—
प्रोफेसर बी० एल० शर्मा
एम०ए०, एल०एल०बी०, एम०एड०
पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग कालेज
रीवा म० प्र०

अध्ययनकर्ता :—
रामानन्द बनर्जी
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
रामनगर म० प्र०

१९६२

आभार : निवेदन

इस शोध - निबंध में पाठशाला के अंतर्गत होने वाले बाल - अपराधों की घटनाओं के संबंध में विचार प्रकट करने का प्रयत्न किया गया है । आजकल शिक्षालयों के अन्तर्गत होने वाली गम्भीर अनुशासन-हीनता की पृष्ठभूमि में इन्हीं बाल - अपराधी छात्रों का सक्रिय होना भी देखा जाता है । अत: इन बाल - अपराधों के वास्तविक स्वरूप का दर्शन किये बिना हम शालान्तर्गत विनय की समस्याओं का पूर्णरूपेण हल नहीं प्राप्त कर सकते ।

अत: बाल - अपराध के इस स्वरूप के दर्शन हेतु रीवां सम्भाग में स्थित उच्चतर माध्यमिक शालाओं को आधार मानकर शोध कार्य सम्पन्न करने का प्रयास किया गया है ।

इस कार्य हेतु आदरणीय प्रोफेसर बी०एल० शर्मा, एम०ए०, एम०एड०, एल०एल०बी०, वाइस प्रिन्सीपल गवर्नमेंट पी०जी०बी०टी० कालेज रीवां, ने पथ प्रदर्शन किया, त्रुटि निर्देश किया और समय समय पर अपना मूल्यवान सुझाव देकर कठिनाइयों से पार होने में मुझे सहयोग दिया । उनके सामयिक सुझाव, अनमोल व्याख्याओं और अनुभूतिपूर्ण संशोधन मुझे समय समय पर मार्ग दर्शन कराते रहे । मैं कृतज्ञ हूं, क्षमा प्रार्थी हूं । मैंने छात्र के रूप में उनसे बहुत कुछ सीखा है । मैं उनका ऋणी हूं ।

पंजाब विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष डा० एस०जलोटा, एम०ए०, डी०फिल का आभारी हूं जिन्होंने अपनी "मानसिक परीक्षा पत्रक" के उपयोग की अनुमति दी एवं इस संबंध में अपने अमूल्य सुझाव दिये ।

इसके अतिरिक्त उन सभी विद्वान प्राचार्यों, व्याख्याताओं, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं अपने उन अभिन्न मित्रों के प्रति भी कृतज्ञ हूं

जिनके सहयोग से मैं इस कार्य को सम्पन्न कर सका हूं।

रामानन्द बनर्जी

20 मार्च १९६२

(रामानन्द बनर्जी)
अध्यापक
राजकीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षालय
रामनगर (सतना म०प्र०

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना

हमारे देश में जो भी समस्यायें हैं उनमें शायद सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि बच्चों की वर्तमान पीढ़ी का विकास असंतुलित और विकृत हो रहा है । चारों तरफ ऐसे समाचार सुनने में आते हैं, जो हमारे मन को आशंकित और आहत कर जाते हैं । चिन्ता इसलिये भी होती है कि आगे चलकर यही बालक शासन व्यवस्था एवं राष्ट्र निर्माण का भार सम्हालेंगे ।

कुछ केवल इन पर दोषारोपण करने से सन्तोष प्राप्त कर लेते हैं । किन्तु दोषारोपण न तो समस्या का समाधान है, न इसका निदान । देखना यह होगा कि इन बच्चों के बिगड़ने में किन किन परिस्थितियों का हाथ है । आज जब हम सर्वांगीण उन्नति हेतु प्रयत्नशील हैं, तब हमें इन किशोरवय प्राप्त बालकों का भी ध्यान रखना होगा, तभी राष्ट्र की चतुर्दिक उन्नति सम्भव है ।

"अनुशासनहीनता भारतीय शिक्षा पद्धति की ऐसी व्याधि है जिसके निराकरण के लिये हमारे संयोजन अपेक्षित हैं"। १ आजकल पाठशालाओं में इसी व्याधि के दर्शन होते हैं । इसका अनेकों में एक कारण है बालकों में अपराध प्रवृत्ति का प्रसार होना । देश के अन्य भागों की तरह हमारे रीवां सम्भाग में स्थित पाठशालाओं में अनुशासन की समस्या इन्हीं बालापराधी छात्रों के कारण ही उपस्थित होती है । ऐसे ही अपराधी बालकों एवं बालिकाओं को आधार मानकर प्रस्तुत शोध कार्य सम्पन्न किया गया है ।

बालापराध का विषय अत्यंत ही विस्तृत और गहन है । विदेशों में इस विषय पर काफी अध्ययन किया जा चुका है । अपने देश के स्वतंत्र होते ही इस ओर सरकार एवं अन्य सामाजिक संस्थानों का ध्यान आकर्षित हुआ है । पर यह सत्य है कि इस विषय की

---

१. हुमायू कबीर "स्वतंत्र भारत में शिक्षा" पृष्ठ २०५

और अभी उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना कि विदेशों में। विशेषकर शैक्षणिक स्तर पर तो स्वदेश में अत्यंत ही सीमित कार्य किया गया है।

अत: शैक्षणिक दृष्टिकोण को सामने रखकर शालान्तर्गत होने वाले बाल-अपराधों के सम्बंध में ही कार्य किया गया है।

वैसे तो शिक्षालयों में अनेकों प्रकार की अनुशासनहीनता सम्बंधी घटनायें घटित होती रहती हैं परन्तु उनका सम्बंध बालकों से न होकर परिस्थितियों से ही अधिक होता है। परन्तु पाठ - शाला स्तर पर ऐसी भी घटनायें घटित होती हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर शीघ्र ही ध्यान नहीं दिया गया तो ये ही साधारण समझी जाने वाली घटनायें अपराध प्रवृत्ति का बीजारोपण बालकों एवं बालिकाओं के बाल अपराधी बनने में सहायक होती हैं। हमें ध्यान से देखने पर छात्रों में एक ऐसा भी वर्ग मिलेगा जिनके रहने सहने का ढंग, बातचीत की विधि और अन्य आदतें शेष बच्चों के लिये हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। इस श्रेणी में वे बालक आते हैं जो कक्षा से अक्सर भाग जाते हैं, चोरी करते हैं, हमेशा आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं, सभी से झगड़ा करने को तत्पर रहते हैं, झूठ बोलने में आत्मतृप्ति का अनुभव करते हैं एवं धूम्रपान करते हैं। प्राय: देखा भी जा सकता है कि उपरोक्त हानिकर प्रवृत्ति के छात्र ही शिक्षा-लयों में अनुशासनहीनता की समस्याओं को अधिकांश रूप में उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त उपरोक्त प्रवृत्तियां सामान्यतया पाठ - शालाओं में ही अधिकांश रूप में देखने को मिल रही हैं।

अत: उपरोक्त बातों को ही ध्यान में रखकर निम्नांकित बाल अपराधी घटनाओं को अपने अध्ययन की सीमा बना कर कार्य करने का प्रयत्न किया है :-

(क) कक्षा से भागना
(ख) चोरी करना

(ग) झूठ बोलना,
(घ) अवज्ञा करना,
(ङ) झगड़ा करना,
(च) धूम्रपान करना ।

प्रस्तुत शोध कार्य में रीवां सम्भाग में स्थित उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं के कक्षा १० और ११ के बाल अपराधी छात्रों एवं छात्राओं को सम्मिलित किया गया है । इस सम्बंध में विभिन्न प्रदत्तों को एकत्रित करने के लिये प्रश्नावली एवं व्यक्तिगत संदर्शन की विधि अपनाई गई है । इसके अतिरिक्त बाल अपराधियों के सहज बुद्धि को जानने के लिये डा० एस० जलोटा द्वारा निर्मित नवीन संशोधित संस्करण १-६० के परीक्षा पत्रक का उपयोग किया गया है ।

दो विभिन्न प्रश्नावलियों का प्रयोग किया गया है । प्रथम प्रश्नावलियाँ शिक्षालयों के प्रधान हेतु एवं द्वितीय शिक्षकों के लिये था । रीवां सम्भाग में स्थित लगभग ७५ पाठशालाओं के आचार्यों को प्रश्नावली भेजी गई जिनमें ४३ के उत्तर प्राप्त हुये । इसी प्रकार ३०० शिक्षकों को भेजी गई प्रश्नावली में १४२ के ही उत्तर प्राप्त हुये ।

सम्पूर्ण अध्ययन को आठ अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है । बाल अपराध से संबंधित विषय, क्षेत्र एवं आवश्यकता प्रथम अध्याय में, बाल अपराध क्या है एवं इसका महत्व द्वितीय अध्याय में, कक्षा, जिला एवं सम्भागीय स्तर पर बाल अपराध का स्वरूप तृतीय अध्याय में, प्रथम तीन बाल अपराधी घटनायें चतुर्थ अध्याय में, एवं शेष तीन बाल अपराधी घटनायें पंचम अध्याय में, बाल अपराध एवं सहज बुद्धि का सम्बंध भष्टम अध्याय में, निष्कर्ष सप्तम अध्याय में, सुझाव अष्टम अध्याय में एवं सम्पूर्ण अध्ययन का सारांश अंत में प्रस्तुत किया गया है । इसके बाद सबसे बाद में परिशिष्ट एवं सहायक ग्रंथों की सूची सम्मिलित किया

गया है।

सुविधा के लिये प्रस्तुत अध्ययन में यथास्थान (विशेषकर तृतीय अध्याय में) संकेतात्मक संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग किया गया है जो इस प्रकार है :-

मूल शब्द		संकेत शब्द
कक्षा से भागने वाले	---	भाग०
चोरी करने वाले	---	चोर०
अवज्ञा करने वाले	---	अज्ञ०
झूठ बोलने वाले	---	झूठ
झगड़ा करने वाले	---	झग०
धूम्रपान करने वाले	---	धूम्र०

अध्याय - १

विषय प्रवेश

समस्या

रीवां सम्भाग में स्थित उच्चतर माध्यमिक शिक्षालयों में होने वाले बाल अपराधी घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ।

अध्ययन की आवश्यकता

किशोर बालकों एवं बालिकाओं से सम्पर्क रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूपेण यह विचार स्वीकार करेगा कि अपराधी बालक समय समय पर पाठ्यक्रम एवं कक्षा व्यवस्था से भी अधिक महत्वपूर्ण गम्भीर समस्यायें उत्पन्न कर देते हैं ऐसे बच्चों का उनके सहधर्मी बालकों से यथोचित समायोजन नहीं हो पाता तथा इनमें से अनेक बालक पूर्ण अपराधी बन जाते हैं । शिक्षक के रूप में अथवा शिक्षा प्रेमी के नाते हम सभी से यह आशा की जाती है कि इन बाल - अपराधी समस्याओं के सुलझाने में सहयोग देकर देश के भावी कर्णधारों को यथोचित मार्ग दर्शन दें । किन्तु इसके पूर्व इस प्रकार के उद्दंड व्यवहारों से सम्बंधित वर्तमान घटनाचक्रों का स्पष्ट, पक्षपात-विहीन अध्ययन आवश्यक है ।

भारत के अन्य भागों की तरह रीवां सम्भाग में भी दिन प्रति दिन छात्रों में गम्भीर अनुशासनहीनता की वृद्धि होती चली जा रही है । अत: आवश्यकता इस बात की है कि उनके मूलभूत परिस्थितियों का पता लगा कर, उन बाल अपराधी घटनाओं के निराकरण के हेतु प्रयत्नशील होना चाहिये, जो कि इसके लिये उत्तरदायी हैं । अत: यहां तो इस विषय के अध्ययन का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है ।

परिवार के उपरान्त बालक के सामाजीकरण एवं प्रशिक्षण के लिये उसके जीवन में आने वाली दूसरी संस्था विधालय ही है ।

जिस प्रकार एक गन्दे घर अपराध की उत्पत्ति के कारण बन सकते हैं, ठीक उसी प्रकार शिक्षालय का असंतुलित वातावरण भी बाल - अपराध की उत्पत्ति एवं प्रचार का कारण बन सकता है । अत: यह अत्यंत आवश्यक है कि अगर हम अपराधी बालकों के बारे में किसी भी प्रकार का सुधार कार्य चाह रहे हों तो सर्व प्रथम इनके सम्बंध में विशिष्ट अध्ययन का होना आवश्यक है ।

भारत की शिक्षा पद्धति, परिस्थितियां अन्य पश्चिमी देशों की शिक्षा पद्धति एवं परिस्थितियों से भिन्न हैं । अत: विदेशों के सामान्यीकरण भारत पर लागू नहीं हो सकते । हमें देखना यह होगा कि हमारे रीवां सम्भाग में बाल अपराध और प्रस्तुत परिस्थितियों का क्या सम्बंध है ? अत: इस ओर विशेष अध्ययन का होना आवश्यक है ।

"शैक्षणिक दृष्टिकोण को सामने रखकर, पाठशालीय स्तर पर, अभी तक किसी भी प्रकार का अध्ययन नहीं किया गया है । यद्यपि समाजशास्त्रीय एवं अपराधशास्त्रीय दृष्टिकोण को सामने रखकर स्वदेश एवं विदेशों में कार्य अवश्य किया गया है ।"[१] इसके अतिरिक्त शैक्षणिक दृष्टिकोण को लेकर रीवां सम्भाग में अभी तक किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है । अत: इस ओर अध्ययन करना आवश्यक है ।

अध्ययन का क्षेत्र

इस अध्ययन में रीवां सम्भाग में स्थित उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं के कक्षा १० और ११ के छात्रों एवं छात्राओं को आधार मानकर कार्य किया गया है । साधारणत: इन्हीं कक्षाओं में बाल अपराध के वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते हैं ।

---

१ Report of the third Seminar on Promotion of Research 17th May 1958.

पक्ष समर्थन १

अधोलिखित कारणों से कक्षा १० और ११ को अध्ययन की सीमा मान कर कार्य सम्पन्न किया गया है।

बड़ी कक्षाओं में बाल अपराधी घटनाओं के गम्भीर रूप को स्पष्ट देखा जा सकता है। इन्हीं कक्षाओं के छात्र अधिकतर समझदार होकर भी असमाजिक एवं अनैतिक कार्यों को कर बैठते हैं। किशोरावस्था की चरम सीमा इन्हीं कक्षाओं में पढ़ने वाले बालकों एवं बालिकाओं में होती है। यह अवस्था जीवन की सबसे महत्व पूर्ण अवस्था होती है। इस काल में उसके मन में बड़ी उथल पुथल मची रहती है। इसी उथल पुथल के आवेग में बाल अपराध भी कर बैठते हैं।[2]

कक्षा १० और ११ के छात्रों की परीक्षा शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित होती है। अत: इन कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों एवं छात्राओं में पाठशाला एवं अपने अध्यापकों के प्रति स्वयं को उतने उत्तरदायी नहीं मानते जितनी कि अन्य छोटी कक्षाओं के छात्र मानते हैं। इसलिये इन्हीं कक्षाओं के छात्र ही अधिकांश रूप में बाल अपराधी कार्य करते हुयें स्पष्ट देखे जा सकते हैं।

प्रस्तुत निबंध के हेतु प्रश्नावली के उत्तर देना केवल उन्हीं अध्यापकों के लिये सम्भव था जो छात्रों से, कम से कम, पूरे एक सत्र से परिचित हों - और ऐसी कक्षायें १० और ११ ही होती हैं।

इस अध्ययन में उच्चतर माध्यमिक शालाओं के कक्षा ६ को इसलिये सम्मिलित नहीं किया गया क्योंकि इस सम्भाग में स्थित अधिकांश उच्चतर माध्यमिक शाला स्तर के कक्षा ६ में प्रवेश पाने वाले छात्र आसपास के विभिन्न जूनियर हाई स्कूलों से आकर प्रवेश पाते हैं। अतएव कक्षा अध्यापक को इन नये छात्रों के बारे में उतनी जानकारी नहीं रहती है जितनी कि आगामी वरिष्ट कक्षाओं (अर्थात कक्षा १० और ११) के छात्रों के बारे में रहती है।

---

१. justification
2. Dr. S.S. Mathur: "Educational Psychology" PP. 258

इसके अतिरिक्त शिक्षकों के हेतु प्रश्नावली सत्र के लगभग प्रारम्भ में भेजी गई थी । अतः कक्षा ६ की कक्षा अध्यापकों को अपने छात्रों के विषय में अपेक्षाकृत कम जानकारी थी । अध्ययन कर्ता ने यह बात प्रारम्भिक सर्वेक्षण से ही मालूम कर लिया था ।

पाठशाला के अन्तर्गत होने वाली बाल- अपराधी घटनाओं को ही अध्ययन का आधार मानने के कारणों पर प्रस्तावना में स्पष्टीकरण दिया जा चुका है ।

बाल अपराधियों की सहज बुद्धि को जानने के लिये जलोटा कृत " परीक्षा पत्रक " का उपयोग किया गया, इसके अधोलिखित कारण हैं : -

उक्त परीक्षा पत्रक सामूहिक बुद्धि परीक्षा के लिये है और अधिक से अधिक छात्रों का कम से कम समय में (अर्थात ४० मिनट के अंदर ही) प्रयोग किया जा सकता है ।

डा० जलोटा द्वारा निर्मित उक्त परीक्षा पत्रक का प्रयोग कक्षा ८ से ११ तक के १८००० से अधिक छात्रों पर किया जा चुका है । १ । अतः इसकी वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता पर तो संदेह किया ही नहीं जा सकता ।

यह परीक्षा स्कूल के साधारणतः ४० मिनट के एक घंटे में ही पूर्ण किया जा सकता है एवं प्रत्येक छात्रों को एक ही समय में अलग अलग " परीक्षा पत्रकों " द्वारा कार्यरत किया जा सकता है ।

यह परीक्षा कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाले छात्रों एवं छात्राओं के लिये सर्वथा उपयुक्त है । क्योंकि उपरोक्त कक्षाओं के छात्रों पर ही प्रयोग करके इस " परीक्षा पत्रक " को वस्तुनिष्ट एवं विश्वसनीय बनाया गया है ।

---

१ Dr. Jalota : Manual of Directions.

परिकल्पना [१]

समाज में विस्तीर्ण एवं अन्तर्निहित बाल अपराध की समस्या अति सामान्य अनुभव का विषय हो गया है। पाठशालाओं में छात्रों के स्वच्छन्द एवं असहिष्णु व्यवहार, उनकी गहनता तथा पुनरावृत्ति शिक्षा क्षेत्र के क्रान्ति पथ में महत्वशाली समस्यायें हैं। देश के अन्य स्थलों की तरह, रीवां सम्भाग में स्थित उच्चतर माध्यमिक शालाओं में भी बाल अपराध की अनेक समस्यायें हैं।

इन बाल अपराधों की पृष्ठ भूमि में विद्यमान कारणों की खोज एवं पर्यवेक्षण के लिये संगठित एवं अनवरत प्रयास की आवश्यकता है। इस प्रकार के बाल अपराधी घटनाचक्रों के अनेकानेक कारणों में लिंग वैषम्य, बुद्धि हीनता एवं कुशाग्र बुद्धि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अर्थात बाल अपराध एवं बुद्धि स्तर का घनिष्ट सम्बंध अवश्य ही परिलक्षित होता है।

---

१ Hypothesis.

अध्याय - 2

बाल अपराध क्या है ?

अपराध क्या है ?

प्रत्येक समाज में मनुष्यों के व्यवहार की एक निश्चित सीमा होती है। मनुष्य की यह सीमा उसकी परम्परा, रीति-रिवाज रूढ़ियों तथा आदर्शों के अनुसार निर्धारित रहती है। इस सीमा के भीतर व्यक्ति जितने भी कार्य करता है उसे सामाजिक व्यवहार कहते हैं। जब मनुष्य इस प्रकार के कार्य करना प्रारम्भ कर देता है जो उसके नियमों, आदर्शों और रूढ़ियों के विपरीत होता है और जिसके फलस्वरूप सामाजिक असंतुलन की आशंका रहती है तो उसे अपराध कहते हैं।

वैसे अपराध का कोई निश्चित रूप आज तक स्थिर नहीं किया जा सका है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक समाज के नियमों आदर्शों एवं परम्पराओं के अनुसार अच्छे और बुरे व्यवहारों में भेद स्थापित होता है।

अपराध की विविध परिभाषाओं का सारांश यह है कि मनुष्य का वह व्यवहार जो समाज की मान्यताओं के विरूद्ध होता है तथा जो वैधानिक रूप से दंडनीय स्वीकार किया गया है अपराध कहा जाता है।

अपराध और बाल अपराध

कुछ विद्वानों के अनुसार तो लगता है जैसे अपराध और बाल अपराध में कोई अन्तर नहीं। किन्तु वास्तविकता यह है कि इन दोनों में स्पष्ट अन्तर देखा जा सकता है।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण को देखते हुये कहा जा सकता है कि पहिले बाल अपराधी को बहुधा पूर्ण अपराधी की तरह देखा जाता था। पर आज के युग का दृष्टिकोण बदल रहा है और दृष्टिकोण के साथ साथ युग की दशायें भी। आज यह स्पष्ट जाना

जाने लगा है कि बाल अपराध पूर्ण अपराध तो नहीं है, किन्तु हां यदि उसे नियंत्रित नहीं किया जाता तो वह अपराध का प्रणेता अवश्य बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बाल अपराध का एक सोपान माना जा सकता है। किन्तु पूर्ण अपराध के लिये यह आवश्यक नहीं कि बाल अपराध की स्थिति से गुजरा ही जाय। फिर भी तो कहा ही जा सकता है कि बाल अपराधी के पूर्ण अपराधी बनने की अनेक सम्भावनायें रहती हैं, यदि उसे नियंत्रित न किया जाय।

बाल अपराध और पूर्ण अपराध में अन्तर का केन्द्र बिन्दु बहुधा उम्र की मानी जाती है। एक विशिष्ट अवस्था तक किये गये समस्त, लगभग वैसे ही कार्य, जो अपराध माने जाते हैं, बाल अपराध माने जाते हैं। हां, इतना अवश्य है कि कुछ बचपन की विशेषतायें भी उनमें शुमार हो जाती हैं, यथा स्कूल से भागना, झगड़ा करना, चोरी करना, धूम्रपान करना आदि। साथ ही उस अवस्था के बाद किये गये वही कार्य पूर्ण अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं।

<u>बाल अपराध</u>

इस सम्बंध में आज तक कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं बन पाई है। भिन्न भिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है।

"ऐसी कोई भी स्पष्ट रेखा नहीं है जिससे अपराधी और निरपराधी को अलग किया जा सके। इस प्रकार की कोई भी रेखा केवल काल्पनिक है, स्वाभाविक नहीं है। यह एक विस्तृत समस्या है। १।

" अगर कोई बालक यथार्थ में दूसरों के अधिकारों का हनन करता है तथा उन्हें नुकसान पहुंचाता है तो वह बाल अपराधी है।२।

---

१ Cyril Burt, "young Delinquents" PP. 13.

२ Burt — PP. 15.

" बालक का वह समाज विरोधी व्यवहार जिसे समूह अस्वीकृत करता है तो वह बाल अपराध कहा जा सकता है । १ ।

" बाल अपराधी वह व्यक्ति है जो अपने घर में, पाठशाला में तथा अपने पड़ोस में दुखदायी हो " । २ ।

" बाल अपराध असंतुलित विकास का वृहद रूप कहा जा सकता है " । ३ ।

बाल अपराध को विभिन्न दृष्टिकोणों को रखकर भी परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया है ।

(अ) कानूनी दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वे बालक जो बाल अपराधी कानून में लिखित अवस्था वाले होते हैं और किसी भी तदकानून निषिद्ध व्यवहार को अपनाते हैं, बाल अपराधी कहलाते हैं । उदाहरण के लिये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राष्ट्रीय प्रोबेशन समिति ने बाल अपराधी की अधोलिखित परिभाषा दी है :-

"(१) वह बालक जिसने राज्य के किसी कानून को तोड़ा हो ।

(२) वह बालक जो आवारा होने के कारण तथा आदतन अवज्ञाकारी होने से अपने पिता अथवा संरक्षक आदि के काबू के बाहर हो ।

(३) वह बालक जो आदतन रूप से स्कूल और घर से भागने वाला हो ।

(४) वह बालक जो आदतन रूप से अपने को इतना बिगाड़ता है कि अपने या दूसरों के स्वास्थ्य या नैतिकता को खतरा अथवा चोट पहुंचाता है । " ४ ।

(ब) समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि "बाल अपराधी वह बालक है जो जानते हुये भी, इरादे से और आत्मचेतना से उस समाज की रूढ़ियों को तोड़ता है जिससे वह

---

१ Elliot-Merril, "Social Disorganisation" PP. 64
२ E.B. Hurlock, "Developmental Psychology" PP. 291
३ Indian journal of educational Research Vol. III, 1951 } PP. 77
४ Quoted by: Paul W. Tappan: "Juvenile Delinquency" } PP. 17

सम्बंधित है"। १। उन कार्यों के विषय में जिन्हें बाल अपराधी बहुधा अपनाते हैं संकेत देते हुये राबिन्सन महोदय कहते हैं "आवारागर्दी, गलत आचरण, बुरे इरादे से शैतानी करना और अनियंत्रित व्यवहार यानी उद्दण्डता"२ करना ही बाल अपराध है।

(स) सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बालापराध, उन प्रमुख सांस्कृतिक आचरणों, मान्यताओं एवं व्यवहारों की अवहेलना करना है जिनमें बालक रहता है।

(द) मनोविज्ञानिक दृष्टिकोण से अपराध की प्रवृत्ति बालक की असंतुलित मानसिक विकास जन्य वह प्रवृत्ति है जिसका सम्बंध उसके स्वभाव के निर्माण करने वाले बहुत से तत्वों से होता है। प्रत्येक बालक कुछ विशेष प्रवृत्तियों को लेकर जन्म लेता है अत: विभिन्न कारणों से उसमें असमाजिक एवं अवैधानिक व्यवहारों की उत्पत्ति होती है। बालक का यही मूल - प्रवृत्यात्मक व्यवहार बाल अपराध कहलाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल अपराध पर कितनी मत विभिन्नतायें हैं। परन्तु सूक्ष्म रूप से देखने पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी, एक निश्चित अवस्था प्राप्त, बालक के द्वारा किया गया समाज विरोधी, अवैधानिक एवं परम्पराओं के विरूद्ध कार्य ही बाल अपराध है।

बाल अपराध की सार्वभौमिक और एक रूप परिभाषा देना तो सम्भव नहीं। इस सम्बंध में अनेक जटिलतायें आती हैं। सबसे पहला प्रश्न तो उठता है अवस्था का। अमेरिका में यदि १६ तथा १८ वर्ष तक के अवांछनीय व्यवहार करने वाले बालक बाल अपराधी माने जाते हैं तो भारत में १५ वर्ष से २० वर्ष तक। इस प्रकार कहने का आशय यही है कि कोई एक निश्चित अवस्था नहीं है जिसे हम सार्वभौमिक रूप से बाल अपराध के लिये आवश्यक

१ Elliot - Merril - PP. 64-65

२ Robinson.

मान हैं । इसी कारण साइरिल बर्ट महोदय ने बालापराधियों को परिभाषित करने का कोई स्पष्ट प्रमाप नहीं दिया है, जैसा कि इसके पूर्व कहा जा चुका है ।

इसी प्रकार की दूसरी कठिनाई है कि किस प्रकार के कार्य बाल अपराध की श्रेणी में आयेंगे । इस सम्बंध में विभिन्न राज्य अपना पृथक पृथक विधान रखते हैं । अस्तु, हम एक विस्तृत दृष्टिकोण को लेते हुये केवल यही कह सकते हैं कि बाल अपराध एक विशेष अवस्था के बालक (लड़का या लड़की) द्वारा किया गया वह व्यवहार है जिसे बुरा समझा जाता है ।

हर समाज की अपनी प्रथा, परम्परायें, रीति रिवाज एवं मर्यादायें होती हैं और इन मर्यादाओं को लांघने वाला बालक का व्यवहार ही बाल अपराध कहलाता है । यों तो थोड़ी बहुत शैतानी का तत्व बालक के व्यवहार में बहुधा उपलब्ध होता है । किन्तु यह शैतानीपन जब एक आदत के रूप में विकसित हो जाता है जो कि समाज प्रतिष्ठित व्यवहार प्रतिमान (Conduct Norm) की सीमाओं को पार कर जाता है तो उससे जिस व्यवहार का उदय होता है वही बाल अपराध कहलाता है ।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज के मूल्यों को क्षति पहुंचाने वाला बालक का व्यवहार ही बाल अपराध है ।

बाल अपराध का महत्व

जैसा कि इसके पूर्व कहा जा चुका है कि बालक का समाज विरोधी व्यवहार ही बाल अपराध कहलाता है । यों तो बालक में चंचलता होती ही है और बहुधा आकर्षण भी होता है, किन्तु जब चपलता कुमार्ग की ओर मोड़ सा जाती है तब वह अवांछनीय बन जाती है । अब यहीं पर इसके प्रति सचेत होना हमारा परम कर्तव्य है । यह इसलिये कि उनके महान् तथा अधम बनने के लिये उत्तरदायी हम ही होंगे । अनेकों साहित्यिकों, मनोवैज्ञानिकों एवं महान् विचारकों का प्रतिपादन है जो एक बड़ी हद तक सच भी है

कि बालक के प्रारम्भिक वर्षों में जो संस्कार उसके ऊपर पड़ जाते हैं वे अमिट होते हैं । अस्तु, यदि बालक पर प्रारम्भ से ही समुचित ध्यान नहीं दिया गया तो वह बिगड़ जायेगा और अनेक अनीप्सित कार्यों में प्रवृत्त हो जायेगा । अत: हमें उस प्रक्रिया को जानना आवश्यक है जिससे बालक अपराधी बनते हैं । किसी भी चीज का रूप बनाने और बिगाड़ने के सम्बंध में प्रारम्भिक प्रयत्न ही विशेष श्रेय और उत्तरदायित्व के अधिकारी हैं । अधिकतर पूर्ण अपराध का बीजारोपण एवं विकास बाल अपराध से होता है । अस्तु इस सम्बंध में साइरिल बर्ट महोदय का कथन है, "अपराध कम हो सकता है किन्तु शैतानी सार्वभौमिक है और चरित्र प्रशिक्षण की समस्या सबका ही विषय है और होना भी चाहिये ।" १ ।

अत: बालक की सर्वांगीण उन्नति अगर हम चाहते हैं तो इन बाल अपराधी समस्याओं का अध्ययन अत्यावश्यक है । शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखने पर तो यह महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है कि हम बालक के अंदर रहने वाली मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करके उसको " अपराधी से अनपराधी " २ कैसे बना सकते हैं ।

प्रस्तुत निबंध एवं बाल अपराध

प्रस्तुत निबंध में पाठशाला के अन्तर्गत होने वाले उन बाल अपराधों के सम्बंध में कार्य किया गया है जो कि अशासकीय (un-offical) वर्ग में आते हैं । अर्थात् कानूनी दृष्टि से नदेखकर शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से उद्दण्ड, असंतुलित बाल अपराधी छात्रों एवं छात्राओं के विषय में ही कार्य किया गया है । इस सम्बंध में स्पष्ट वर्णन प्रस्तावना में दे दिया गया है ।

---

१ Cyrill Burt – PP. 15

२ Burt.

अध्याय - ३

बाल - अपराध का स्वरूप

बाल अपराध की समस्या एक विश्व व्यापी समस्या है। देश के अन्य भागों की तरह इस सम्भाग में भी इसकी समस्या वर्तमान है। बाल - अपराध का विषय अत्यंत ही विस्तृत है। अत: केवल शिक्षालयों के अन्तर्गत होने वाले बाल - अपराधों को ही अध्ययन का क्षेत्र मान कर कार्य किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में रीवां सम्भाग के अन्तर्गत सात विभिन्न जिलों के उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं के कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाले छात्र - छात्राओं को सम्मिलित किया गया है। कुल ५४ बालक - पाठशालाओं एवं ११ कन्या पाठशालाओं के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं ने उत्तर भेजे। इन्हीं उत्तरों के आधार पर ही इस सम्भाग में स्थित शिक्षालयों में बाल अपराध के स्वरूप को जाना गया है। पाठशालाओं में बाल - अपराधियों के सम्बंध में अभिलेख आदि रखने का कार्य बहुत ही कम किया जाता है यह प्राचार्यों द्वारा भेजे गये उत्तरों से ही स्पष्ट है। ४२ पाठशालाओं के प्राचार्यों द्वारा भेजी गई सूचनाओं में केवल तीन ही संस्थाओं ने आंशिक रूप से बाल - अपराधियों के अभिलेख रखने की सूचना दी है। अत: शिक्षालय स्तर पर शिक्षकों के अतिरिक्त, बाल - अपराधियों के बारे में किसी अन्य व्यक्तियों से वांछित सूचना पाना असम्भव है।

शिक्षालय स्तर पर बाल अपराध के स्वरूप को जानने के लिये पंजाब में श्री एन० एल० दुसाज ने १९५३-५४ के सत्र में कार्य किया था। उन्होंने उच्चतर शालाओं के प्राचार्यों को प्रश्नावली भेज कर जानकारी प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त दुसाज महोदय ने तेरह जिलों के कक्षा ५ से १० तक के बाल अपराधियों को अध्ययन का आधार मान कर कार्य किया था। उनके अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि बाल - अपराध का स्वरूप छोटी कक्षाओं की अपेक्षा वरिष्ट कक्षाओं में अधिक होता है। १

१ N.L. Dosaj — "Delinquency" PP. 10 to 14.

यहां यह स्पष्ट रूप से कहना ही होगा कि प्रस्तुत अध्ययन में पाठशालीय स्तर पर बाल अपराध के निम्नांकित स्वरूप का दर्शन केवल एक निश्चित शिक्षक वर्ग एवं कक्षाओं तक ही सीमित है। परन्तु यह तो निश्चित ही है कि जो भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं उससे इस सम्भाग के कक्षा १० और ११ में होने वाले बाल अपराधों के एक आंशिक स्वरूप का तो दर्शन हो ही जाता है।

केवल तीन प्राचार्यों ने अपने यहां के बाल - अपराधियों के बारे में आंशिक सूचना दी है अत: इसके आधार पर किसी भी परिणाम पर पहुंचना असम्भव है। अतएव शिक्षकों द्वारा प्रदान किये गये सूचनाओं के आधार पर बाल अपराध का स्वरूप इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

जिला स्तर पर बाल - अपराध

(क) रीवां जिले में -

तालिका क्रमांक १ (कक्षा १० और ११ के बाल अपराधी)

बाल अपराध का प्रकार	बालक		बालिका		बालक बालिकाओं का सम्मिलित प्रतिशत	
	कक्षा १०	कक्षा ११	कक्षा १०	कक्षा ११	कक्षा १०	कक्षा ११
भाग०	१५०	१३६	१०	-	२०.६४	२६.६६
चोर०	७७	४६	२	१०	१०.३४	१०.८७
अज्ञ०	७३	५६	४	३०	१०.०७	१७.२८
फ़ग०	११२	७७	५	१	१५.३१	१५.१४
झूठ०	२१२	१७४	३	२३	२८.१४	३८.२५
धूम्र०	२६४	२२६	-	-	३४.५५	४४.४६

उपरोक्त तालिका में रीवां जिले के अन्तर्गत १५ पाठशालाओं से जो उत्तर प्राप्त हुये, उन्हीं के आधार पर कार्य सम्पन्न किया गया

है एवं इन पंद्रह पाठशालाओं में एक कन्या पाठशाला भी सम्मिलित है। सम्पूर्ण जिले के तीन अध्यापिकाओं एवं ३६ शिक्षकों की सूचनाओं के आधार पर कार्य किया गया है। इस जिले के अन्तर्गत विभिन्न पाठ - शालाओं के अपराधियों की सूची परिशिष्ट में सम्मिलित है।

व्याख्या -

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से हमें इस जिले के कक्षा १० और ११ के बाल अपराधियों का स्वरूप मालूम होता है।

(१) सम्पूर्ण जिले के (प्राप्त उत्तरों के आधार पर ही) कक्षा १० में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या लगभग ७२८ है। इस संख्या में कुल बाल अपराधियों की अलग अलग संख्या उपरोक्त तालिका में अंकित है। अत: इसके अनुसार बाल अपराध का प्रतिशत निम्न प्रकार होगा :

कक्षा से भागने वाले २०.६०% , चोरी करने वाले १०.५७% , झूठ बोलने वाले २६.१३% , और धूम्रपान करने वाले ३४.२७% हैं।

अतएव इस जिले के अन्तर्गत कक्षा १० के छात्रों में बाल - अपराध का सबसे अधिक प्रतिशत धूम्रपान करने वालों का है। इसके बाद क्रमश: झूठ बोलने वाले, झगड़ा करने वाले, चोरी करने वाले एवं अवज्ञा करने वालों का क्रम आता है।

(२) कक्षा १० में पढ़ने वाली छात्राओं की कुल संख्या लगभग ३६ है। बाल अपराधी छात्राओं की अलग अलग संख्या तालिका में अंकित है। अब उक्त संख्या के अनुसार इनके बाल अपराध का प्रतिशत निम्न प्रकार होगा :

कक्षा से भागने वाली २७.७७% , चोरी करने वाली ५.५५% , अवज्ञा करने वाली ११.११% , झगड़ा करने वाली १३.८८% , और झूठ बोलने वाली ८.३३% हैं। धूम्रपान करने वाली कोई भी छात्रायें नहीं हैं।

इस तालिका को देखकर मालूम होता है कि कक्षा १० में, कक्षा से भागने वाली छात्राओं का प्रतिशत सर्वाधिक है। इसके बाद क्रमशः झगड़ा करने वाली, अवज्ञा करने वाली, झूठ बोलने वाली एवं चोरी करने वाली छात्राओं का क्रम आता है।

(३) इसी प्रकार इस जिले के कक्षा ११ के छात्रों की कुल संख्या लगभग ४३२ है। तालिका में दिये गये संख्या के अनुसार बाल अपराध का प्रतिशत निम्नलिखित है :

कक्षा से भागने वाले ३२.१७%, चोरी करने वाले १०.६४%, अवज्ञा करने वाले १३.६५%, झगड़ा करने वाले १७.८२%, झूठ बोलने वाले ४०.२७% और धूम्रपान करने वाले ५३% हैं।

इसको देखकर मालूम होता है कि इस वर्ग में धूम्रपान करने वाले बाल अपराधी सबसे अधिक हैं। इसके बाद क्रमशः झूठ बोलने, कक्षा से भागने, झगड़ा करने, अवज्ञा करने और सबसे कम प्रतिशत चोरी करने वाले छात्रों का है।

(४) कक्षा ११ में पढ़ने वाली छात्राओं की कुल संख्या लगभग ८३ है अतः तालिका में अंकित संख्या के अनुसार बाल अपराध का प्रतिशत निम्न प्रकार है :

चोरी करने वाली १२.०४%, अवज्ञा करने वाली ३६.१४%, झगड़ा करने वाली १.२% एवं झूठ बोलने वाली २७.७१% है।

इससे स्पष्ट होता है कि इन कक्षाओं में पढ़ने वाली छात्राओं में सबसे अधिक अपराध अवज्ञा करने वाली बालिकाओं का है। इसके बाद क्रमशः झूठ बोलने, चोरी करने एवं झगड़ा करने वाली छात्राओं का वर्ग आता है।

(५) बालकों की सूची देखने से पता चलता है कि कक्षा १० में ११ से अधिक बाल अपराधी घटनायें होती हैं। जबकि बालिकाओं की सूची में ठीक इसके विपरीत चित्र है, अर्थात १० से अधिक कक्षा ११ के छात्राओं में बाल अपराध अधिक होता है।

(६) बालकों में सबसे अधिक धूम्रपान करने वाले बाल अपराधी हैं जबकि छात्राओं में अवज्ञा करने वाली सर्वाधिक हैं । बालिकाओं में धूम्रपान करने के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिली । यद्यपि पश्चिमी देशों में बालिकाओं में धूम्रपान करने की घटनाओं का होना सामान्य सी बात है , परन्तु अपने देश की संस्कृति के देखते हुये विदेशों के सामान्यीकरण को हम यहां लागू नहीं कर सकते ।

(७) कक्षा १० के छात्रों - छात्राओं की कुल संख्या लगभग ७६४ है जिनमें १६० कक्षा से भागने वाले, ७६ चोरी करने वाले, ७७ अवज्ञा करने वाले, ११७ झगड़ा करने वाले, २१५ झूठ बोलने एवं २६४ धूम्रपान करने वाले बाल अपराधी हैं । इन्हीं संख्याओं को आधार मानकर उपरोक्त तालिका में कक्षा १० के बालक बालिकाओं का सम्मिलित प्रतिशत अंकित किया गया है ।

(८) इसी तरह कक्षा ११ के छात्रों एवं छात्राओं की कुल संख्या लगभग ५१५ है, जिनमें १३६ कक्षा से भागने वाले, ५६ चोरी करने वाले, ८६ अवज्ञा करने वाले, ७८ झगड़ा करने वाले १६७ झूठ बोलने वाले एवं २२६ धूम्रपान करने वाले बाल अपराधी हैं । इन्हीं संख्याओं के आधार पर तालिका में अंकित कक्षा ११ के बालक बालिकाओं का सम्मिलित प्रतिशत लिखा गया है ।

(६) बालक - बालिकाओं के सम्मिलित प्रतिशत में धूम्रपान का प्रतिशत केवल बालकों से ही सम्बंधित है, बालिकाओं से नहीं ।

(ख) सतना जिले में

तालिका क्रमांक २ (कक्षा १० - ११ के बाल अपराधी)

बाल अपराध का प्रकार	बालक		बालिका		बालक बालिकाओं का सम्मिलित प्रतिशत	
	कक्षा १०	कक्षा ११	कक्षा १०	कक्षा ११	कक्षा १०	कक्षा ११
भाग०	१५४	१३१	२	१	२८	२६.२७

चोर०	४६	३५	२	०	८.६१	६.६१
अज्ञा०	५३	५४	६	२	१०.५६	१५.३८
फगा०	८३	६३	१०	७	१६.६६	२७.४७
झूठ०	१४१	६८	२१	५	२६.०८	२८.२६
धूम्र०	७२	६३	-	-	१३.६२	२५.५४

उपरोक्त आंकड़े नौ उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं के कक्षा १० और ११ के शिक्षकों से प्राप्त हुये, जिनमें सात बालक-पाठशालाओं एवं दो बालिका-पाठशालाओं के उत्तर भी सम्मिलित हैं। इन शिक्षालयों के तेइस शिक्षकों ने एवं तीन अध्यापिकाओं ने उत्तर दिये। इस जिले के विभिन्न पाठशालाओं के बाल-अपराधियों की सूची परिशिष्ट में सम्मिलित है।

व्याख्या -

प्राप्त उत्तरों के आधार पर उपरोक्त तालिका में विवरण दिया है।

(१) सतना जिले में कक्षा १० के छात्रों की कुल संख्या लगभग ५१७ है। इस संख्या के अनुसार बाल अपराधियों की अलग अलग संख्या उपरोक्त तालिका में अंकित है। अतएव इसके अनुसार बाल अपराध का प्रतिशत इस प्रकार होगा :

कक्षा से भागने वाले २६.७८%, चोरी करने वाले ८.१८%, अवज्ञा करने वाले १०.२५%, फगड़ा करने वाले १६.०५%, झूठ बोलने वाले २७.२७%, धूम्रपान करने वाले १३.६१% हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कक्षा में भागने वाले छात्रों का प्रतिशत सबसे अधिक है, इसके बाद क्रमशः झूठ बोलने, फगड़ा करने, धूम्रपान करने, अवज्ञा करने एवं चोरी करने वाले छात्र हैं।

(२) कक्षा १० में पढ़ने वाली छात्राओं की कुल संख्या लगभग ४० है। तालिका में अंकित अपराधों की संख्या के आधार पर बाल

अपराध का प्रतिशत इस प्रकार है :

कक्षा से भागने वाली एवं चोरी करने वाली ५%,
अवज्ञा करने वाली १५%, झगड़ा करने वाली २५%,
झूठ बोलने वाली ५२.५% हैं।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कक्षा १० के छात्राओं में झूठ बोलने वाली बाल अपराधियों का प्रतिशत सर्वाधिक है, इसके बाद क्रमश: झगड़ा करने, अवज्ञा करने, चोरी करने और कक्षा से भागने वाली छात्रायें हैं।

(३) इसी तरह कक्षा ११ के छात्रों की कुल संख्या ३४४ है अतएव तालिका में अंकित संख्या के अनुसार बाल अपराध का प्रतिशत अधोलिखित है -

कक्षा से भागने वाले ३८.०८%, चोरी करने वाले १०.१७%,
अवज्ञा करने वाले १५.६९%, झगड़ा करने वाले २७.०३%,
झूठ बोलने वाले २८.४८% एवं धूम्रपान करने वाले २७.०३%,
हैं।

इस प्रकार कक्षा ११ में कक्षा से भागने वाले छात्रों का प्रतिशत सबसे अधिक है, इसके बाद क्रमश: झूठ बोलने वाले, धूम्रपान एवं झगड़ा करने वाले, अवज्ञा करने और चोरी करने वाले छात्र आते हैं।

(४) कक्षा ११ के छात्राओं की कुल संख्या लगभग २० है अत: उपरोक्त तालिका में अंकित बाल अपराधियों की संख्या के अनुसार अपराध का प्रतिशत इस प्रकार है :-

कक्षा से भागने वाली ५%, अवज्ञा करने वाली १०%,
झगड़ा करने वाली ३५% एवं झूठ बोलने वाली २५% हैं।

अर्थात इस स्तर से झगड़ा करने वाली छात्राओं का प्रतिशत सबसे अधिक है। चोरी करने या धूम्रपान करने के सम्बंध में किसी प्रकार की सूचना नहीं प्राप्त हुई।

(५) उपरोक्त तालिका का अध्ययन से यह भी पता चलता है कि छात्रों एवं छात्राओं में (दोनों कक्षाओं की तुलना में) बाल अपराध का स्वरूप कक्षा १० में सबसे अधिक है।

(६) कक्षा १० और ११ के छात्रों में, कक्षा से भागने वालों का ही प्रतिशत सबसे अधिक है। जबकि छात्राओं में, कक्षा १० में, झूठ बोलने वाली एवं कक्षा ११ में झगड़ा करने वाली छात्राओं का सबसे अधिक प्रतिशत है। धूम्रपान करने वाली कोई भी छात्रायें नहीं हैं।

(७) लेकिन कक्षा १० और ११ के छात्रों एवं छात्राओं के सम्मिलित रूप से दिये गये बाल अपराध के प्रतिशत को ध्यान से देखें तो स्पष्ट मालूम होता है कि इस जिले में कक्षा १० से अधिक कक्षा ११ में बाल अपराधी घटनायें होती हैं।

(८) कक्षा १० के छात्रों - छात्राओं की कुल संख्या ५५७ है, जिनमें कक्षा से भागने वाले १५६, चोरी करने वाले ४८, अवज्ञा करने वाले ५६, झगड़ा करने वाले ६३, झूठ बोलने वाले १६२, धूम्रपान करने वाले ७२ बाल अपराधी हैं। इन्हीं संख्याओं को आधार मानकर उपरोक्त तालिका में कक्षा १० का सम्मिलित प्रतिशत अंकित किया गया है।

(९) इसी प्रकार कक्षा ११ के कुल छात्र छात्राओं की संख्या ३६४ है, इनमें कक्षा से भागने वाले १३२, चोरी करने वाले ३५, अवज्ञा करने वाले ५६, झगड़ा करने वाले १००, झूठ बोलने वाले १०३, धूम्रपान करने वाले ६३ बाल अपराधी हैं। इन्हीं संख्याओं के आधार पर उपरोक्त तालिका में कक्षा ११ का सम्मिलित प्रतिशत अंकित किया गया है।

(१०) इस सम्मिलित प्रतिशत में धूम्रपान एवं चोरी करने का प्रतिशत जिस स्थान पर अंकित किया गया है वह छात्राओं से संबंधित नहीं है, क्योंकि इस सम्बंध में कोई सूचना नहीं मिली।

(ग) सीधी जिले में -

तालिका क्रमांक ३ (कक्षा १० - ११ के बाल अपराधी)

बाल अपराध का प्रकार	बालक		बालिका		बालक बालिकाओं का सम्मिलित प्रतिशत	
	कक्षा १०	कक्षा ११	कक्षा १०	कक्षा ११	कक्षा १०	कक्षा ११
भागना	४०	२६	१	२	२२.७७	२६.६२
चोरी	१४	८	६	१	११.११	८.६५
अवज्ञा	२४	१७	६	२	१६.६६	१८.२६
झगड़ा	२५	२३	१०	१३	१६.४४	३४.६१
झूठ	४४	१५	११	१२	३०.५५	२५.६६
धूम्रपान	२३	२६	-	-	१२.७७	२७.८८

इस जिले से कुल पांच पाठशालाओं से ही उत्तर प्राप्त हुये जिनमें एक कन्या शाला भी है। इन शालाओं के ६ बालक शालाओं के एवं एक कन्या शाला के उत्तरों पर ही उपरोक्त कार्य प्रस्तुत किया गया है। इस जिले के अन्तर्गत विभिन्न पाठशालाओं के बाल अपराधियों की सूची परिशिष्ट में सम्मिलित है।

व्याख्या -

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से हमें निम्नांकित बातों का पता चलता है -

(१) सीधी जिले में कक्षा १० में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या १६५ है इस संख्या के अनुसार बाल अपराधियों की संख्या उक्त तालिका में अंकित है। अत: इस संख्या के अनुसार बाल अपराध का प्रतिशत निम्न होगा -

कक्षा से भागने वाले २४.२४%, चोरी करने वाले ८.४८%, अवज्ञा करने वाले १४.५४%, झगड़ा करने वाले १५.१५%, झूठ बोलने वाले २६.६६% एवं धूम्रपान करने वाले १३.९३%

बाल अपराधी घटनाओं का प्रतिशत है ।

दूसरे शब्दों में इस कक्षा में सबसे अधिक अपराध का प्रतिशत झूठ बोलने वाले छात्रों का है । इसके बाद क्रमश: कक्षा से भागने वाले, झगड़ा करने वाले, अवज्ञा करने वाले, धूम्रपान करने वाले एवं सबसे कम प्रतिशत चोरी करने वाले छात्रों का है ।

(२) कक्षा १० में छात्राओं की कुल संख्या १५ है अत: उपरोक्त तालिका की संख्या के अनुसार बाल अपराधों का प्रतिशत लगभग इस प्रकार है -

कक्षा से भागने वाली ६.६६%, चोरी और अवज्ञा करने वाली ४०%, झगड़ा करने वाली ६६.६६%, झूठ बोलने वाली लगभग ७३.३३% छात्रायें हैं । इस प्रकार इस जिले के कन्या शाला के अन्तर्गत बाल अपराध का सर्वाधिक प्रतिशत झूठ बोलने वाली छात्रों का है, इसके बाद क्रमश: झगड़ा करने वाली, अवज्ञा एवं चोरी करने वाली और सबसे कम प्रतिशत कक्षा से भागने वाली छात्राओं का है ।

(३) कक्षा ११ के छात्रों की कुल संख्या ७६ है इस प्रकार इस कक्षा के बाल अपराध का प्रतिशत तालिका की संख्या अनुसार लगभग इस प्रकार है -

कक्षा से भागने वाले ३४.२१%, चोरी करने वाले १०.५२%, अवज्ञा करने वाले २२.३५%, झगड़ा करने वाले २६.७३%, झूठ बोलने वाले ३८.१५% और धूम्रपान करने वाले ३८.६१% हैं ।

इस तरह हम देखते हैं कि इस कक्षा के बालकों में धूम्रपान करने वाले सबसे अधिक छात्र हैं । इसके बाद क्रमश: कक्षा से भागने वाले, झगड़ा करने वाले, अवज्ञा करने वाले, झूठ बोलने वाले एवं सबसे कम चोरी करने वाले छात्र हैं ।

(४) इस जिले में कन्या उच्चतर विद्यालय केवल एक ही है अत: इसी पाठशाला के छात्राओं के विषय में कार्य प्रस्तुत किया गया है ।

कक्षा की कुल संख्या २८ है अत: तालिका के अनुसार बाल अपराध का प्रतिशत लगभग अधोलिखित है -

कक्षा से भागने वाली ७.१४%, चोरी करने वाली ३.५७%, अवज्ञा करने वाली ७.१४%, झगड़ा करने वाली ४६.४२% एवं झूठ बोलने वाली ४२.८५% छात्रायें हैं।

धूम्रपान करने वाली छात्रायें कोई भी नहीं हैं।

दूसरे शब्दों में इस जिले में छात्राओं में बाल अपराध का सर्वाधिक प्रतिशत झगड़ा करने वाली छात्राओं का है। इसके बाद क्रमश: झूठ बोलने वाली छात्रायें हैं। अवज्ञा करने वाली तथा कक्षा से भागने वाली छात्राओं का प्रतिशत लगभग बराबर है। इसके अतिरिक्त सबसे कम चोरी करने वाली छात्राओं का प्रतिशत है।

(५) उपरोक्त जिलों की तरह कक्षा १० और ११ की तुलना में बालक शालाओं की ओर देखते हैं तो अपराध का स्वरूप कक्षा १० में लगभग अधिक है।

परन्तु छात्राओं के वर्ग में कुछ वैषम्यता है। इस वर्ग में कक्षा १० से अधिक ११ में बाल अपराधियों की संख्या पाते हैं।

(६) कक्षा १० और ११ के छात्रों - छात्राओं के सम्मिलित प्रतिशत की ओर दृष्टिपात करने से हमें कक्षा ११ में ही सबसे अधिक बाल अपराध दिखाई पड़ता है।

(७) इस जिले में कक्षा १० के छात्र - छात्राओं की कुल संख्या लगभग १८० है, इनमें कक्षा से भागने वाले ४१, चोरी करने वाले २०, अवज्ञा करने वाले ३०, झगड़ा करने वाले ३५, झूठ बोलने वाले ५५ तथा धूम्रपान करने वाले २२ बाल अपराधी हैं। इन्हीं संख्याओं के अनुसार उपरोक्त तालिका में सम्मिलित प्रतिशत अंकित हैं।

(८) इसी तरह कक्षा ११ के छात्र छात्राओं की कुल संख्या लगभग १०४ है, इनमें कक्षा से भागने वाले २८, चोरी करने वाले ६, अवज्ञा करने वाले १६, झगड़ा करने वाले ३६, झूठ बोलने वाले २७, धूम्रपान करने वाले २६ बाल अपराधी हैं। इन्हीं संख्याओं पर आधारित

करके उपरोक्त तालिका में, सम्मिलित प्रतिशत किया गया है ।

(ङ) कक्षा १० और ११ के सम्मिलित बाल अपराध के प्रतिशत में धूम्रपान करने वाले केवल छात्र ही हैं, छात्रायें नहीं ।

(घ) शहडोल जिले में -

तालिका क्रमांक ४ (कक्षा १० - ११ के बाल अपराधी)

बाल अपराध का प्रकार	बालक		बालिका		बालक बालिकाओं का सम्मिलित प्रतिशत	
	कक्षा १०	कक्षा ११	कक्षा १०	कक्षा ११	कक्षा १०	कक्षा ११
भागना	५१	४१	२	-	१७.६	१७.४५
चोरी	१६	२२	४	३	७.६४	१०.६५
अवज्ञा	२०	१६	६	६	६.६३	११.६३
झगड़ा	५२	२५	१५	१८	२२.२५	१८.२६
झूठ	७८	३२	३०	२१	३५.८८	२२.५५
धूम्रपान	५८	५४	-	-	१६.२६	२२.६७

इस जिले से कुल दस पाठशालाओं से उत्तर प्राप्त हुये जिनमें दो कन्या पाठशालायें भी हैं । उपरोक्त शिक्षालयों के १४ अध्यापकों के एवं चार अध्यापिकाओं के दिये गये आंकड़ों के आधार पर ही उपरोक्त अध्ययन प्रस्तुत है । इस जिले के विभिन्न शालाओं के बाल अपराधियों की सूची परिशिष्ट में सम्मिलित है ।

व्याख्या -

उपरोक्त तालिका से हमें कक्षा १० और ११ के छात्रों एवं छात्राओं के बाल अपराध का प्रतिशत एवं स्वरूप का पता चलता है ।

(१) कक्षा १० के छात्रों की कुल संख्या २४२ है । अत: उक्त तालिका की संख्या को देखते हुये अपराध का प्रतिशत निम्न प्रकार है :

कक्षा से भागने वाले २१.०७%, चोरी करने वाले ७.८५%, अवज्ञा करने वाले ८.२६%, झगड़ा करने वाले २१.४८%, झूठ बोलने वाले ३२.२३% और धूम्रपान करने वाले २३.९६% हैं।

इन आंकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि बाल अपराधों में सबसे अधिक प्रतिशत झूठ बोलने वाले छात्रों का है। इसके बाद क्रमशः धूम्रपान करने वाले, झगड़ा करने वाले, कक्षा से भागने वाले, अवज्ञा करने वाले, कक्षा से भागने वाले और सबसे कम प्रतिशत चोरी करने वाले छात्रों का है।

(२) कक्षा १० के छात्राओं की कुल संख्या ५९ है। अतः तालिका में अंकित संख्या के आधार पर अपराध का प्रतिशत लगभग इस प्रकार होगा :-

कक्षा से भागने वाली ३.३८%, चोरी करने वाली ६.७६%, अवज्ञा करने वाली १५.२५%, झगड़ा करने वाली २५.४२% और झूठ बोलने वाली ५०.८४% है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इस कक्षा के छात्राओं में सबसे अधिक बाल अपराध का प्रतिशत हमें झूठ बोलने वाली छात्राओं में दिखाई देता है। इसके बाद क्रमशः झगड़ा करने, अवज्ञा करने, चोरी करने और सबसे कम कक्षा से भागने के सम्बंध में प्रतिशत दिखाई देता है।

(३) कक्षा ११ में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या १८४ है अतः अपराध का लगभग प्रतिशत उक्त तालिका में अंकित अंकों के आधार पर निम्नांकित होगा :

कक्षा से भागने वाले २२.२८%, चोरी करने वाले ११.९५%, अवज्ञा करने वाले १०.३२%, झगड़ा करने वाले १३.५८%, झूठ बोलने वाले १७.३९% एवं धूम्रपान करने वाले २९.३४% हैं।

इस प्रकार इस कक्षा में धूम्रपान करने वाले छात्रों का

प्रतिशत सबसे अधिक है । इसके बाद कक्षा से भागने वाले, झूठ बोलने वाले, झगड़ा करने वाले, चोरी करने वाले एवं सबसे कम प्रतिशत अवज्ञा करने वाले छात्रों का आता है ।

(४) इस जिले में स्थित कन्या पाठशाला के कक्षा ११ के छात्राओं की कुल संख्या ५१ है अत: बाल अपराध का प्रतिशत तालिका में लिखे अंकों के आधार पर लगभग इस प्रकार से है :

चोरी करने वाली ५.८८%, अवज्ञा करने वाली १७.६४% झगड़ा करने वाली ३५.२६%, एवं झूठ बोलने वाली छात्रायें ४१.१७% हैं ।

दूसरे शब्दों में इस कक्षा की छात्राओं में झूठ बोलने वाली छात्राओं के अपराध का प्रतिशत सर्वाधिक है । इसके बाद क्रमश: झगड़ा करने, अवज्ञा करने और सबसे कम प्रतिशत चोरी करने वाली छात्राओं का आता है ।

(५) जब हम कक्षा १० और ११ के बाल अपराधियों के अपराध को तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो कक्षा १० के बालकों में ही हम बाल अपराध का प्रतिशत अधिक पाते हैं । लेकिन जब कन्या शाला के दोनों ही कक्षाओं के बाल अपराध के स्वरूप को देखते हैं तो पता चलता है कि कक्षा ११ ही में सबसे अधिक बाल अपराधी छात्रायें हैं ।

(६) बालक - बालिकाओं के सम्मिलित प्रतिशत पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कक्षा १० से अधिक बाल अपराध कक्षा ११ में है ।

(७) इस जिले में कक्षा १० के छात्र छात्राओं की कुल संख्या लगभग ३०१ है, इनमें कक्षा से भागने वाले ५३, चोरी करने वाले २३, अवज्ञा करने वाले २६, झगड़ा करने वाले ६७, झूठ बोलने वाले १०८, धूम्र-पान करने वाले ५८ बाल अपराधी हैं । इन्हीं संख्याओं को आधार मानकर उपरोक्त तालिका में सम्मिलित प्रतिशत का अंकन किया गया है ।

(८) इसी प्रकार कक्षा ११ के छात्र छात्राओं की कुल संख्या २३५ है, इनमें कक्षा से भागने वाले ४१, चोरी करने वाले २५, अवज्ञा करने वाले २८, झगड़ा करने वाले ४३, झूठ बोलने वाले ५३ और धूम्रपान करने वाले ५४ बाल अपराधी हैं। इन्हीं संख्याओं को आधार मानकर उक्त तालिका में सम्मिलित प्रतिशत का विवरण दिया गया है।

(६) कक्षा १० और ११ के बाल अपराध के सम्मिलित प्रतिशत में धूम्रपान करने वाले केवल छात्र ही हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा ११ के सम्मिलित प्रतिशत में कक्षा से भागने वाले बाल अपराधियों का प्रतिशत भी केवल छात्रों से ही सम्बंधित है, क्योंकि इस सम्बंध में शिक्षकों से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं प्राप्त हुई।

(ड०) पन्ना जिले में -

तालिका क्रमांक ५ (कक्षा १० - ११ के बाल अपराधी)

बाल अपराध का प्रकार	बालक		बालिका		बालक बालिकाओं का सम्मिलित प्रतिशत	
	कक्षा १०	कक्षा ११	कक्षा १०	कक्षा ११	कक्षा १०	कक्षा ११
भागना	५७	२६	-	३	२१.५	१६.२४
चोरी	२६	७	१	३	१०.८८	६.०२
अवज्ञा	२२	१५	१	२	८.६७	१०.२४
झगड़ा	५२	२७	६	६	२१.८८	१६.८७
झूठ	१२३	३२	४	४	४७.६२	२१.६८
धूम्रपान	१२०	४८	-	-	४३.३६	२८.६१

इस जिले के कुल आठ पाठशालाओं से ही उत्तर प्राप्त हुये जिनमें एक कन्या शाला भी सम्मिलित है। ११ शिक्षकों एवं दो अध्यापिकाओं के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर ही इस

कार्य को प्रस्तुत किया गया है। इस जिले के विभिन्न बालापराधियों की सूची परिशिष्ट में सम्मिलित है।

<u>व्याख्या</u> -

उपरोक्त तालिका को देखकर हम इस जिले के कक्षा १० और ११ के छात्र छात्राओं के अपराध का दर्शन पाते हैं।

(१) कक्षा १० में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या २४० है अत: तालिका में दिये गये अंकों के अनुसार बाल अपराध का प्रतिशत लगभग इस प्रकार होगा :

कक्षा से भागने वाले २३.७५%, चोरी करने वाले १०.८३%, झगड़ा करने वाले २१.६६%, झूठ बोलने वाले ५१.२५%, धूम्रपान करने वाले ५०% छात्र हैं। अवज्ञा करने वाले ९.१६% हैं।

इन आंकड़ों को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि कक्षा १० में झूठ बोलने वाले छात्रों का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसके बाद धूम्रपान करने वाले, कक्षा से भागने वाले, झगड़ा करने वाले, चोरी करने वाले और सबसे कम अवज्ञा करने वाले छात्र हैं।

(२) कक्षा १० में पढ़ने वाली छात्राओं की कुल संख्या २५ है अत: ~~अनुसार~~ तालिका में अंकित संख्या के अनुसार अपराध का प्रतिशत इस प्रकार होगा :-

चोरी करने वाली एवं अवज्ञा करने वाली छात्राओं का प्रतिशत लगभग समान है अर्थात ४% है, झगड़ा करने वाली २४%, एवं झूठ बोलने वाली १६% छात्रायें हैं। कक्षा से भागने वाली एवं धूम्रपान करने वाली छात्राओं के विषय में इस जिले से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिली।

इस प्रकार कक्षा १० के छात्राओं में हम अपराध का सबसे अधिक प्रतिशत झगड़ा करने वाली छात्राओं में पाते हैं। इसके बाद झूठ बोलने वाली छात्रायें हैं। सबसे कम प्रतिशत हम अवज्ञा करने वाली एवं चोरी करने वाली छात्राओं में पाते हैं।

(३) ठीक इसी प्रकार कक्षा ११ में छात्रों की कुल संख्या १३७ है अत: बाल अपराध का लगभग प्रतिशत तालिका की संख्या के आधार पर अधोलिखित है :

कक्षा से भागने वाले २१.१६% चोरी करने वाले ५.१%, अवज्ञा करने वाले १०.६४%, झगड़ा करने वाले १६.७%, झूठ बोलने वाले २३.३५% एवं धूम्रपान करने वाले ३५.०३% हैं। इस प्रकार इस जिले के कक्षा ११ के छात्रों में धूम्रपान का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसके बाद क्रमश: झूठ बोलने वाले, कक्षा से भागने वाले एवं सबसे कम प्रतिशत चोरी करने वाले छात्रों का आता है।

(४) कक्षा ११ में पढ़ने वाली छात्राओं की कुल संख्या लगभग २९ है अत: तालिका की संख्या के अनुसार बाल अपराध का प्रतिशत लगभग इस प्रकार होगा :

कक्षा से भागने वाली तथा चोरी करने वाली १०.३४%, अवज्ञा करने वाली ६.८२%, झगड़ा करने वाली २०.६९%, एवं झूठ बोलने वाली १३.७९% छात्रायें हैं।

दूसरे शब्दों में इस कक्षा के छात्राओं में बालापराध का सबसे अधिक प्रतिशत झगड़ा करने वाली छात्राओं का है। इसके बाद क्रमश: झूठ बोलने वाली छात्रायें हैं कक्षा से भागने वाली एवं चोरी करने वाली छात्राओं का प्रतिशत लगभग समान है। सबसे कम अवज्ञा करने वाली छात्रायें हैं।

(५) कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाले छात्रों में जब तुलनात्मक दृष्टिपात करते हैं तो स्पष्ट मालूम होता है कि कक्षा ११ की अपेक्षा कक्षा १० में बाल अपराध अधिक होता है। परन्तु जब हम कक्षा १० एवं ११ में पढ़ने वाली छात्राओं की तालिका को देखते हैं तो इसमें भी कक्षा १० में ही अधिक बाल अपराधी छात्राओं को पाते हैं।

(६) इस जिले में कक्षा १० के छात्र छात्राओं की कुल संख्या लगभग २६५ है, इनमें कक्षा से भागने वाले ५७, चोरी करने वाले २७,

झगड़ा करने वाले ५८, ~~[illegible]~~ अवज्ञा करने वाले २३, झूठ बोलने वाले १२७, धूम्रपान करने वाले १२० बाल अपराधी हैं। इन्हीं संख्याओं को आधार मान कर उपरोक्त तालिका में बाल अपराध का सम्मिलित प्रतिशत अंकित किया गया है।

(७) इसी प्रकार कक्षा ११ के छात्र छात्राओं की कुल संख्या लगभग १९९ है, इसमें कक्षा से भागने वाले ३२, चोरी करने वाले १०, अवज्ञा करने वाले १७, झगड़ा करने वाले ३३, झूठ बोलने वाले ३६ और धूम्रपान करने वाले ४८ बाल अपराधी हैं। इन्हीं संख्याओं के आधार पर उपरोक्त तालिका में बाल अपराध का सम्मिलित प्रतिशत अंकित किया गया है।

(८) कक्षा १० और ११ के सम्मिलित प्रतिशत में धूम्रपान करने वाले केवल छात्र वर्ग ही है। इसके अतिरिक्त कक्षा १० में कक्षा से भागने का सम्मिलित प्रतिशत भी छात्रों से ही सम्बंधित है, क्योंकि छात्राओं के सम्बंध में उपरोक्त बाल अपराधी कार्य की कोई सूचना नहीं मिली।

(च) <u>टीकमगढ़ जिले में</u>

तालिका क्रमांक - ६

(कक्षा १० - ११ के बाल अपराधी)

बाल अपराध का प्रकार	बालक		बालिका		छात्रों एवं छात्राओं का सम्मिलित प्रतिशत	
	कक्षा १०	कक्षा ११	कक्षा १०	कक्षा ११	कक्षा १०	कक्षा ११
भागना	८६	४३	-	-	२५.६७	२१.५
चोरी	३२	१९	२	१	१६.१४	१०
अवज्ञा	३२	२७	२	२	१०.१४	१४.५
झगड़ा	३२	२४	४	५	१०.७४	१४.५
झूठ	६२	३३	६	४	२०.२९	१८.५
धूम्रपान	१३०	५४	-	-	३८.८	२७

इस जिले के कुल सात पाठशालाओं से उत्तर प्राप्त हुये । जिनमें एक कन्या पाठशाला भी है । इन पाठशालाओं के कुल १३ शिक्षकों ने एवं दो अध्यापिकाओं के द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं पर ही उक्त कार्य आधारित है । इस जिले के विभिन्न स्कूलों के बाल अपराधियों की सूची परिशिष्ट में सम्मिलित है ।

व्याख्या

उपरोक्त तालिका से हमें इस जिले के अन्तर्गत कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बाल अपराध के स्पष्ट दर्शन होते हैं । इसके अतिरिक्त उक्त कथित तालिका के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में अपराध का प्रतिशत निम्न प्रकार होगा :-

(१) कक्षा १० के छात्रों की कुल संख्या २६६ है अतः इस संख्या के अनुसार एवं उपरोक्त तालिका को देखकर बाल अपराध के अधोलिखित प्रतिशत के दर्शन होते हैं :

कक्षा से भागने वाले २६.०५ %, चोरी करने वाले छात्र,६ ; अवज्ञा करने तथा झगड़ा करने वाले छात्रों का प्रतिशत बराबर है अर्थात १०.८१ %, झूठ बोलने वाले २०.६४ % और धूम्रपान करने वाले ४३.६१ % हैं ।

दूसरे शब्दों में इस कक्षा के छात्रों में अपराध का सर्वाधिक स्वरूप धूम्रपान करने वाले बालकों में परिलक्षित होता है । इसके अलावा अपराध का प्रतिशत क्रमशः इस प्रकार है - कक्षा से भागने वाले, झूठ बोलने वाले एवं चोरी करने वाले हैं । अवज्ञा और झगड़ा करने वाले छात्रों का प्रतिशत बराबर है और यही सबसे कम भी है ।

(२) कक्षा १० में पढ़ने वाली छात्राओं की कुल संख्या ३६ है अतः तालिका के अनुसार बाल अपराध का प्रतिशत लगभग इस प्रकार होगा :

चोरी करने वाली एवं अवज्ञा करने वाली छात्राओं का प्रतिशत समान है अर्थात ५.१२ %, झगड़ा करने वाली १०.२५ % एवं झूठ बोलने वाली १५.३८ % हैं ।

इस प्रकार इस कक्षा के छात्राओं में अपराध का सबसे अधिक प्रतिशत झूठ बोलने वाली छात्राओं का है इसके बाद क्रमश: झगड़ा करने वाली, अवज्ञा करने वाली एवं चोरी करने वाली छात्राओं का प्रतिशत है। इनमें से अंतिम दो का प्रतिशत सबसे कम है। इस जिले में कक्षा १० में न तो कोई कक्षा से भागने वाली छात्रायें हैं और न धूम्रपान करने वाली ही।

(३) इसी प्रकार इस जिले में कक्षा ११ के छात्रों की कुल संख्या लगभग १७५ है अत: तालिका के अनुसार बाल अपराध का प्रतिशत निम्न प्रकार होगा :

कक्षा से भागने वाले २४.५७%, चोरी करने वाले १०.८५%, अवज्ञा करने वाले १५.४२%, झगड़ा करने वाले १३.७१%, झूठ बोलने वाले १८.८५% एवं धूम्रपान करने वाले ३०.८५% छात्र हैं।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस कक्षा में अपराध का सबसे अधिक प्रतिशत धूम्रपान करने वाले छात्रों का है। इसके बाद क्रमश: कक्षा से भागने वाले, झूठ बोलने वाले, अवज्ञा करने वाले, झगड़ा करने वाले और सबसे कम प्रतिशत चोरी करने वाले तात्रों का है।

(४) कक्षा ११ में पढ़ने वाली छात्राओं की कुल संख्या लगभग २५ है अतएव उपरोक्त तालिका में दिये गये आंकड़ों के आधार पर बाल अपराध का लगभग प्रतिशत इस प्रकार है :-

चोरी करने वाली ४%, अवज्ञा करने वाली ८%, झगड़ा करने वाली २०% और झूठ बोलने वाली १६% छात्रायें हैं।

अर्थात इस कक्षा में सबसे अधिक अपराध का स्वरूप झगड़ा करने वाली छात्राओं का है इसके बाद क्रमश: झूठ बोलने वाली, अवज्ञा करने एवं सबसे कम चोरी करने वाली छात्राओं का प्रतिशत है। कक्षा से भागने वाली एवं धूम्रपान करने वाली कोई भी छात्राओं के बारे में सूचना नहीं मिली।

(५) उपरोक्त तालिका में कक्षा १० और ११ के सम्मिलित छात्रों एवं छात्राओं के अपराध का स्वरूप देखने पर स्पष्ट होता है कि इस जिले में कक्षा ११ की अपेक्षा कक्षा १० में अधिक बाल - अपराधी हैं ।

(६) इस जिले में कक्षा १० के छात्र छात्राओं की कुल संख्या लगभग ३३५ है, इनमें कक्षा से भागने वाले ८६, चोरी करने वाले ३४, अवज्ञा करने वाले ३४, झगड़ा करने वाले ३६, झूठ बोलने वाले ६८, धूम्रपान करने वाले १३० बाल अपराधी हैं । अतएव इन्हीं संख्याओं के आधार पर उपरोक्त तालिका में सम्मिलित प्रतिशत का विवरण दिया गया है ।

(७) इसी प्रकार कक्षा ११ के छात्र छात्राओं की कुल संख्या लगभग २०० है, इनमें कक्षा से भागने वाले ४३, चोरी करने वाले २०, झगड़ा और अवज्ञा करने वाले २६, झूठ बोलने वाले ३७ और धूम्रपान करने वाले ५४ बाल अपराधी छात्र हैं । इन्हीं संख्याओं को आधार मान कर उपरोक्त तालिका में सम्मिलित बाल अपराध का प्रतिशत दिया गया है ।

(८) उपरोक्त तालिका में सम्मिलित प्रतिशत के विवरण में कक्षा से भागने एवं धूम्रपान करने वाले बाल अपराधी केवल छात्र ही हैं, क्योंकि इस सम्बंध में छात्राओं के बारे में किसी प्रकार की सूचना नहीं प्राप्त हुई ।

(छ) छतरपुर जिले में -

तालिका क्रमांक ७ (कक्षा १० - ११ के बाल अपराधी)

बाल अपराध का प्रकार	बालक		बालिका		छात्रों छात्राओं का सम्मिलित प्रतिशत	
	कक्षा १०	कक्षा ११	कक्षा १०	कक्षा ११	कक्षा १०	कक्षा ११
भागना	११२	५१	१	-	२६.८६	१८.०२
चोरी	३६	१५	४	४	१.५८	६.७

अवज्ञा	६७	४२	४	७	१८.७८	१७.३
झगड़ा	५७	३७	१६	२३	२.१	२१.५
झूठ	८६	६६	२६	२३	३४.२२	३२.५
धूम्रपान	११६	६६	-	-	३०.६८	३४.८

इस जिले के कुल १० उच्चतर माध्यमिक शालाओं से ही उत्तर प्राप्त हुये जिसमें ३ कन्या शालायें भी सम्मिलित हैं। उपरोक्त शालाओं के १५ शिक्षकों एवं ५ अध्यापिकाओं की सूचनाओं पर ही उपरोक्त अध्ययन को प्रस्तुत किया गया है। इस जिले के विभिन्न पाठशालाओं के बाल अपराधियों की सूची परिशिष्ट में सम्मिलित है।

<u>व्याख्या</u> -

उपरोक्त तालिका से हमें इस जिले के अन्तर्गत कक्षा १० और ११ के बालअपराधियों के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त इस तालिका से विभिन्न श्रेणियों के कक्षा वार बाल अपराधियों के प्रतिशत का भी ज्ञान होता है।

(१) इस जिले के कक्षा १० में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या लगभग २६६ है अत: तालिका में दिये गये संख्याओं के अनुसार इस कक्षा में बाल अपराध का निम्नलिखित लगभग प्रतिशत होगा :

कक्षा से भागने वाले ३७.४५%, चोरी करने वाले १२.०४%, अवज्ञाकारी २२.४%, झगड़ा करने वाले १६.०६%, झूठ बोलने वाले २८.७६%, एवं धूम्रपान करने वाले ३८.७६% हैं।

इसका अर्थ यह है कि इस कक्षा में बाल अपराधी छात्रों में धूम्रपान करने वाले छात्रों का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसके बाद क्रमश: कक्षा से भागने वाले, झूठ बोलने वाले, अवज्ञा करने वाले, झगड़ा करने वाले एवं सबसे कम प्रतिशत चोरी करने वाले छात्रों का है।

(२) जब हम कक्षा १० में पढ़ने वाली कुल ७६ छात्राओं की संख्या

को ध्यान में रख कर तालिका में अंकित संख्याओं को देखते हैं तो हमें बाल अपराध का प्रतिशत इस प्रकार दिखाई देता है :

कक्षा से भागने वाली १.२६%, चोरी करने एवं अवज्ञा करने वाली ५.०६%, झगड़ा करने वाली २४.०५% और झूठ बोलने वाली ३६.७% हैं।

इस तरह हम देखते हैं कि इस कक्षा के छात्राओं में झूंठ बोलने वाली छात्राओं का प्रतिशत सबसे अधिक है इसके बाद फिर झगड़ा करने वाली, चोरी एवं अवज्ञा करने वाली हैं। सबसे कम प्रतिशत कक्षा से भागने वाली छात्राओं का है।

(३) इस जिले के कक्षा ११ में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या २३३ है अस्तु तालिका की संख्या के अनुसार बाल अपराध का प्रतिशत निम्न प्रकार है :

कक्षा से भागने वाले २१.८८%, चोरी करने वाले ६.४३%, अवज्ञा करने वाले १८.०२%, झगड़ा करने वाले १५.८७%, झूंठ बोलने वाले २६.६१% एवं धूम्रपान करने वाले ४२.४८% हैं।

इस प्रकार इस कक्षा में होने वाले बाल अपराधों में धूम्रपान करने वाले छात्रों का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसके बाद क्रमश: झूंठ बोलने वाले, कक्षा से भागने वाले, अवज्ञा करने वाले, झगड़ा करने वाले और अंत में सबसे कम प्रतिशत चोरी करने वाले छात्र हैं।

(४) इसी तरह कक्षा ११ में कुल छात्राओं की संख्या लगभग ५० है अत: तालिका की संख्या के आधार पर बाल अपराध का प्रतिशत इस प्रकार होगा :

चोरी करने वाली ८%, अवज्ञा करने वाली १४%, झगड़ा करने और झूंठ बोलने वाली ४६% हैं।

दूसरे शब्दों में इस कक्षा के छात्राओं में बाल अपराध का सर्वाधिक प्रतिशत झूंठ बोलने वाली एवं झगड़ा करने वाली

छात्राओं का है। इसके बाद क्रमशः अवज्ञा करने वाली और सबसे कम प्रतिशत चोरी करने वाली छात्राओं का है। कक्षा से भागने वाली एवं धूम्रपान करने वाली कोई भी छात्रायें नहीं हैं।

(५) तालिका में जब हम बालक बालिकाओं की दो विभिन्न कक्षाओं के अपराधों की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि बालकों में कक्षा १० में अधिक अपराध होते हैं और बालिकाओं में कक्षा ११ में।

(६) इस जिले में कक्षा १० के छात्र छात्राओं की कुल संख्या लगभग ३७८ है, इनमें कक्षा से भागने वाले ११३, चोरी करने वाले ४०, अवज्ञा करने वाले ७१, झगड़ा करने वाले ७६, झूठ बोलने वाले ११५ एवं धूम्रपान करने वाले ११६ बाल अपराधी हैं। इन्हीं संख्याओं को आधार मान कर उपरोक्त तालिका में सम्मिलित प्रतिशत अंकित किया गया है।

(७) इसी प्रकार कक्षा ११ के छात्र छात्राओं की कुल संख्या लगभग २८३ है, इनमें कक्षा से भागने वाले ५१, चोरी करने वाले १६, अवज्ञा करने वाले ४६, झगड़ा करने वाले ६०, झूठ बोलने वाले ६२ और धूम्रपान करने वाले ६६ बाल अपराधी हैं। इन्हीं संख्याओं के आधार पर उपरोक्त तालिका में सम्मिलित प्रतिशत का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(८) कक्षा १० और ११ के सम्मिलित प्रतिशत में धूम्रपान करने वाले केवल छात्र ही हैं। इसी तरह कक्षा ११ में कक्षा से भागने वाले केवल छात्रों ही के सम्बंध में सूचना मिली है, छात्राओं के बारे में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

अब हम आगामी पृष्ठों में (तालिका क्रमांक ८ और ९ में) इस सम्भाग के सात विभिन्न जिलों के बाल अपराध के स्वरूप को विहंगम दृष्टि से देखें।

तालिका क्रमांक ८

कक्षा १० के बाल - अपराधियों का जिलेवार प्रतिशत

बाल अपराध का प्रकार	जिले						
	रीवा	सतना	सीधी	शहडोल	पन्ना	छतरपुर	टीकमगढ़
माग०	२०.६४	२८	२२.७७	१७.६	२१.५	२६.८६	२५.६७
चोर०	१०.३४	८.६१	११.११	७.६४	१०.८८	१.५८	१०.१४
अज्ञ०	१०.०७	१०.५६	१६.६६	६.६३	८.६७	१८.७८	१०.१४
फग०	१५.३१	१६.६६	१६.४४	२२.२५	२१.८८	२.१	१०.७४
झूठ०	२८.१४	२६.०८	३०.५५	३५.८८	४७.६२	३४.२२	२०.२६
धूम्र०	३४.५५	१२.६२	१२.७७	१६.२६	४३.१६	३०.६८	३८.८

इस तालिका से केवल विभिन्न जिलों के बाल अपराध को एक सम्मिलित रूप से एवं स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उपरोक्त दिये गये आंकड़ों में कक्षा १० के छात्रों एवं छात्राओं दोनों के ही अपराध का प्रतिशत शामिल है। इसमें झूठ बोलने वालों का प्रतिशत हम सबसे अधिक देखते हैं। लेकिन रीवां और टीकमगढ़ जिले में धूम्रपान का प्रतिशत ही सबसे ज्यादा है।

तालिका क्रमांक ६

कक्षा ११ के बाल-अपराधियों का जिलेवार प्रतिशत

बाल अपराध का प्रकार	जिले						
	रीवा	सतना	सीधी	शहडोल	पन्ना	छतरपुर	टीकमगढ़
भाग०	२६.६६	३६.२६	२६.६२	१७.४५	१६.२४	१८.०२	२१.५
चोर०	१०.८७	६.६१	८.६५	१०.६५	६.०२	६.७	१०
अश्ल०	१७.२८	१५.३८	१८.२६	११.६३	१०.२४	१७.३	१४.५
फ०ग०	१५.१४	२७.४७	३४.६१	१८.२६	१६.८७	२१.५	१४.५
झूठ०	३८.२५	२८.२६	२५.६७	२२.५५	२१.६८	३२.५	१८.५
धूम्र०	४४.४६	२५.५४	२७.८८	२२.६७	२८.६१	३४.८	२७

अब

पूर्व की तरह उपरोक्त तालिका में भी सात विभिन्न जिलों के कक्षा ११ के बाल - अपराधी छात्रों एवं छात्राओं का सम्मिलित विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें हम धूम्रपान का प्रतिशत सबसे अधिक पाते हैं। लेकिन इसमें छात्रायें सम्मिलित नहीं हैं। सतना जिले में कक्षा से भागने वाले छात्रों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है।

अब हम आगामी पृष्ठों में सम्भागीय स्तर पर बाल अपराध के स्वरूप का दर्शन करेंगे।

सम्भागीय स्तर पर बाल - अपराध

तालिका क्रमांक १०

(कक्षा १० के बाल - अपराधी छात्र)

कक्षा की कुल संख्या	बाल अपराधियों की संख्या					
	भाग०	चोर०	अव०	झग०	झूठ०	धूम्र०
२४८७	६५०	२५०	२९१	४१३	७४६	७८३
प्रतिशत	२६.१३	१०.०५	११.७	१६.६	२९.९९	३१.४८

व्याख्या -

(१) उपरोक्त तालिका में रीवा सम्भाग के सात विभिन्न जिलों में पढ़ने वाले छात्रों के बाल अपराध का विवरण है। इसको देखकर स्पष्ट होता है कि धूम्रपान करने वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद क्रमश: झूठ बोलने वाले, कक्षा से भागने वाले, चोरी करने वाले, अवज्ञा करने वाले हैं। सबसे कम संख्या चोरी करने वाले छात्रों की है।

(२) दूसरे शब्दों में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लगभग प्रत्येक चार छात्रों में एक छात्र कक्षा से भागने वाला, प्रत्येक १० छात्रों में एक छात्र चोरी करने वाला, प्रत्येक ९ छात्रों में एक अवज्ञा करने वाला, प्रत्येक ६ छात्रों में एक झगड़ा करने वाला, प्रत्येक ३ छात्रों में एक झूठ बोलने वाला एवं प्रत्येक ३ छात्रों में एक धूम्रपान करने वाला छात्र है।

तालिका क्रमांक ११

(कक्षा १० की बाल - अपराधी छात्रायें)

कक्षा की कुल संख्या	बाल अपराधियों की संख्या					
	भाग०	चोर०	अव०	झग०	झूठ०	धूम्र०
२९३	१६	२१	३२	६९	१०४	-
प्रतिशत	५.४६	७.१६	१०.९२	२३.५५।	३५.४९	-

व्याख्या -

(१) ऊपर दिये गये तालिका में इस सम्भाग में स्थित कन्या उच्चतर माध्यमिक शालाओं की कक्षा १० की बाल अपराधी छात्राओं का विवरण एवं प्रतिशत अंकित किया गया है । उक्त तालिका को देखकर मालूम होता है कि झूठ बोलने वाली छात्राओं का प्रतिशत सबसे अधिक है । इसके उपरान्त झगड़ा करने वाली छात्रायें हैं । चोरी करने वाली एवं सबसे कम कक्षा से भागने वाली छात्राओं का प्रतिशत है ।

(२) इसी को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक १८ छात्राओं में एक कक्षा से भागने वाली, प्रत्येक १४ छात्राओं में एक चोरी करने वाली, प्रत्येक ९ छात्राओं में एक अवज्ञा करने वाली, प्रत्येक ४ छात्राओं में एक झगड़ा करने वाली, प्रत्येक ३ छात्राओं में एक झूठ बोलने वाली छात्रायें हैं ।

इस प्रकार कक्षा १० के छात्रों एवं छात्राओं की उपरोक्त दोनों तालिकाओं को तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखने पर स्पष्ट होता है कि जहां छात्रों में धूम्रपान करने वाले बाल अपराधियों की संख्या सबसे अधिक है वहां छात्राओं में झूठ बोलने वाली बाल अपराधियों का प्रतिशत सबसे अधिक है ।

तालिका क्रमांक १२

कक्षा ११ के बाल अपराधी छात्र

कक्षा की कुल संख्या	बाल अपराधियों की संख्या					
	भाग०	चोर०	अव०	झग०	झूठ०	धूम्र०
१५८१	४६०	१५२	२३३	३०६	४५३	६०६
प्रतिशत	२९.०९	९.६१	१४.७३	१९.३५	२८.६५	३८.३३

व्याख्या -

(१) इस तालिका में रीवां सम्भाग के उच्चतर माध्यमिक शिक्षालयों के कक्षा ११ में पढ़ने वाले छात्रों के बाल - अपराध का विवरण दिया गया है । इसको देखकर स्पष्ट होता है कि कक्षा १० के छात्रों की तरह इस कक्षा में भी (अर्थात कक्षा ११ में) धूम्रपान करने वाले बाल अपराधियों का प्रतिशत सबसे अधिक है । इसके बाद क्रमश: कक्षा से भागने वाले, झगड़ा करने वाले, अवज्ञा करने वाले छात्र हैं । सबसे कम प्रतिशत चोरी करने वाले छात्रों का है ।

(२) दूसरे शब्दों में इस कक्षा के प्रत्येक ३ छात्रों में एक छात्र कक्षा से भागने वाला, प्रत्येक १० छात्रों में एक छात्र चोरी करने वाला, प्रत्येक ७ छात्रों में एक अवज्ञा करने वाला, प्रत्येक ५ छात्रों में एक झगड़ा करने वाला, प्रत्येक ४ छात्रों में एक झूठ बोलने वाला एवं प्रत्येक तीन छात्रों में एक धूम्रपान करने वाला छात्र है ।

तालिका क्रमांक १३

कक्षा ११ की बाल अपराधी छात्रायें

कक्षा की	बाल अपराधियों की संख्या					
कुल संख्या	भाग०	चोर०	अज्ञ०	झग०	झूठ०	धूम्र०
२८६	६	२२	५४	७३	९२	-
प्रतिशत	२.०९	७.६९	१८.८८	२५.५२	३२.१६	-

व्याख्या -

(१) उपरोक्त तालिका में इस सम्भाग के सात जिलों में पढ़ने वाली कक्षा ११ की बाल अपराधी छात्राओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है । इसको देखकर स्पष्ट हो जाता है कि इस कक्षा के छात्राओं में बाल अपराध का सर्वाधिक प्रतिशत झूठ बोलने वाली छात्राओं का है,

इसके बाद क्रमश: झगड़ा करने वाली, अवज्ञा करने वाली, चोरी करने वाली छात्रायें हैं। सबसे कम कक्षा से भागने वाली छात्राओं का प्रतिशत है।

(२) इसी को हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रत्येक ४८ छात्राओं में एक कक्षा से भागने वाली, प्रत्येक १३ छात्राओं में एक चोरी करने वाली, प्रत्येक ५ छात्राओं में एक अवज्ञा करने वाली, प्रत्येक ३ छात्राओं में एक झूठ बोलने वाली छात्रायें हैं।

इस प्रकार उपरोक्त दोनों तालिका के कक्षा ११ के छात्रों एवं छात्राओं के अपराध के स्वरूप को तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि छात्रों में धूम्रपान का प्रतिशत सबसे अधिक है एवं छात्राओं में झूठ बोलने वाली बाल अपराधियों का प्रतिशत सर्वाधिक है तथा प्रत्येक ४ छात्राओं में एक झगड़ा करने वाली छात्रा है।

जैसा कि पहिले कहा जा चुका है कि छात्राओं में धूम्रपान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिली अत: इस सम्बन्ध में केवल छात्रों में ही हम इसका (धूम्रपान का) सबसे अधिक प्रतिशत पाते हैं।

अब हम संक्षेप में सम्पूर्ण सम्भाग में छात्रों एवं छात्राओं के बाल अपराध के सम्मिलित स्वरूप का दर्शन करेंगे।

तालिका क्रमांक १३

कक्षा १० और ११ के बाल अपराधी छात्र

कक्षा की कुल संख्या	बाल अपराधियों की संख्या					
	भाग०	चोर०	अवज्ञा०	झग०	झूठ०	धूम्र०
४०६८	११९०	४०२	५२४	७१६	११६८	१३८६
प्रतिशत	२७.२८	६.८८	१२.८८	१७.६७	२६.४७	३४.१४

उपरोक्त तालिका में रीवा सम्भाग में स्थित उच्च० माध्य० शालाओं के कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाले बाल अपराधियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

व्याख्या -

इससे ज्ञात होता है कि प्रत्येक चार छात्रों में लगभग एक छात्र कक्षा से भागने वाला, प्रत्येक दस छात्रों में एक चोरी करने वाला, प्रत्येक आठ छात्रों में एक अवज्ञा करने वाला, प्रत्येक छः छात्रों में एक झगड़ा करने वाला, पत्येक तीन छात्रों में एक झूठ बोलने वाला और प्रत्येक तीन छात्रों में लगभग एक छात्र धूम्रपान करने वाला है।

इसी प्रकार निम्न तालिका में इस सम्भाग में स्थित उच्च० माध्य० शालाओं के कक्षा १० और ११ की बाल अपराधी छात्राओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका क्रमांक १४

कक्षा १० और ११ की बाल अपराधी छात्रायें

कक्षा की कुल संख्या	बाल अपराधियों की संख्या					
	भाग०	चोर०	अव०	झग०	झूठ०	धूम्र०
५७६	२२	४३	८६	१४२	१९६	-
प्रतिशत	३.७६	७.४२	१४.८५	२४.५२	३३.८५	-

व्याख्या -

बाल अपराधी छात्राओं से सम्बंधित उपरोक्त तालिका को देखकर स्पष्ट होता है कि प्रत्येक २६ छात्राओं में एक कक्षा से भागने वाली, प्रत्येक १३ छात्राओं में एक चोरी करने वाली, प्रत्येक [redacted] छः छात्राओं में एक अवज्ञा करने वाली, प्रत्येक चार छात्राओं में एक झगड़ा करने वाली एवं प्रत्येक तीन छात्राओं में लगभग एक छात्रा झूठ बोलने वाली है।

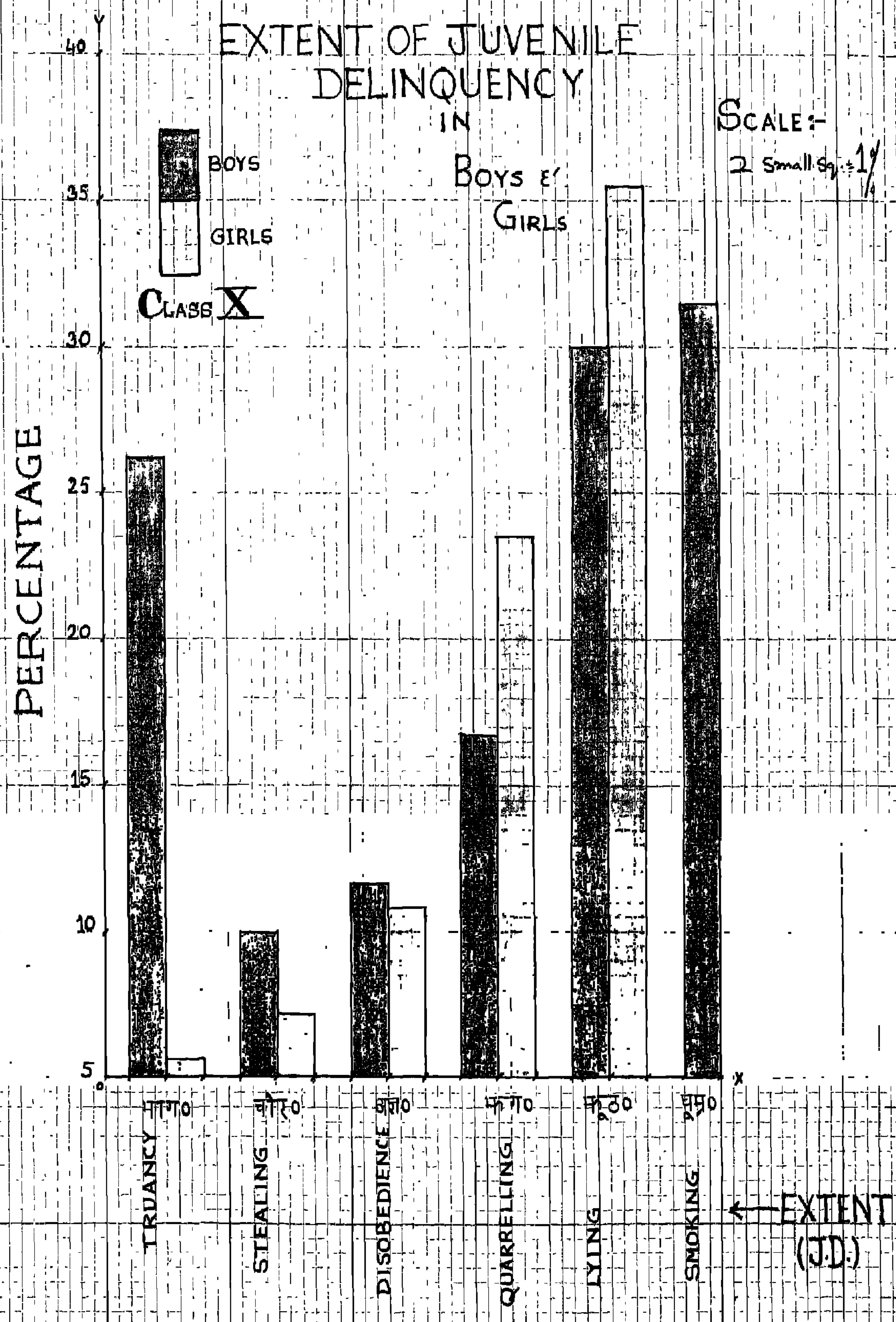
अब हम सम्पूर्ण सम्भाग को दृष्टि में रखकर कक्षा १० और ११ के बाल अपराध का स्वरूप देखेंगे।

तालिका क्रमांक १५

रीवा सम्भाग के अन्तर्गत बाल अपराध का स्वरूप

सम्पूर्ण सम्भाग के कक्षा १०-११ के छात्र-छात्राओं की संख्या	बाल अपराधियों की कुल संख्या					
	भाग०	चोर०	अज्ञा०	झग०	झूठ०	धूम्र०
४६४७	११३२	४४५	६१०	८६१	१३६५	१३८६
प्रतिशत	२४.५७	६.५३	११.१२	१८.५२	३०.०१	२६.८४

इस तालिका से मालूम होता है कि इस सम्भाग में स्थित उच्च० माध्य० शालाओं के कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाले छात्रों एवं छात्राओं में झूठ बोलने वाले बाल अपराधियों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तालिका क्रमांक १३ और १४ को देखकर मालूम होता है जहां छात्रों में धूम्रपान करने वाले बाल-अपराधी सबसे अधिक हैं वहां झूठ बोलने वाली छात्राओं का प्रतिशत सबसे अधिक है। छात्राओं की धूम्रपान करने के सम्बंध में किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिली। अतएव इनके सम्बंध में किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अभी भारत में छात्राओं में धूम्रपान करने की घटनायें प्राय: नहीं होती - विशेषकर इस सम्भाग में तो कोई भी छात्रायें इस प्रकार की नहीं हैं। लेकिन जब हम छात्र छात्राओं के सम्मिलित विवरण की उपरोक्त तालिका को देखते हैं तो मालूम होता है कि झूठ बोलने वाले बाल अपराधियों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद क्रमश: धूम्रपान करने वाले (छात्राओं को छोड़कर), कक्षा से भागने वाले, झगड़ा करने वाले, अवज्ञा करने वाले छात्रों की संख्या है। सबसे कम संख्या चोरी करने वाले बाल अपराधियों का है।



चित्र नं० 2
EXTENT OF JUVENILE DELINQUENCY IN BOYS & GIRLS
SCALE:-
2 Small Sq. = 1%
BOYS
GIRLS
CLASS X
PERCENTAGE
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Y
X
भाग०
चोरी०
अवज्ञा०
झगड़ा०
झूठ०
धूम्र०
TRUANCY
STEALING
DISOBEDIENCE
QUARRELLING
LYING
SMOKING
← EXTENT (J.D.)

चित्र नं० २

EXTENT OF JUVENILE DELINQUENCY IN BOYS & GIRLS

BOYS

GIRLS

CLASS XI

SCALE:-
2 Small Sq. = 1%

Y

PERCENTAGE

37
32
27
22
17
12
7
2
0

X

भाग०
TRUANCY

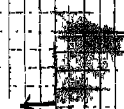
STEALING

DISOBEDIENCE

QUARRELLING

झूठ०
LYING

धूम्र०
SMOKING



(J.D)

इसका अर्थ यह नहीं है कि चोरी करने वाले बहुत कम होते हैं। पाठशाला स्तर पर यद्यपि चोरी करने वाले छात्रों के सम्बंध में कम ही छात्रों के बारे में शिक्षकों ने सूचना दी है लेकिन यह अन्य सभी बाल अपराधों की तुलना में अत्यंत ही गम्भीर अपराध है अतः गम्भीरता को ध्यान में रखकर उपरोक्त संख्या को किसी भी प्रकार कम नहीं कहा जा सकता।

संलग्न चित्र क्रमांक १ और २ से कक्षा १० और ११ के बाल-अपराधियों के स्वरूप के स्पष्ट दर्शन होते हैं।

पाठशालीय स्तर पर कक्षा १० और ११ के छात्रों एवं छात्राओं में उपरोक्त बाल अपराधी घटनाओं के घटित होने में अवश्य ही कुछ परिस्थितियां सहायक होती हैं। आगामी अध्याय में हम देखेंगे कि कब और किन परिस्थितियों के वशीभूत होकर छात्र असमाजिक एवं अनैतिक कार्यों को कर बैठते हैं।

अध्याय - ४

बाल - अपराधी घटनायें

बाल अपराध के घटित होने में समय, स्थान और परिस्थितियों का योगदान महत्त्वपूर्ण होता है । हमें यह देखना होगा कि पाठशाला स्तर पर उपरोक्त स्थितियों का कौन सा स्थान है । इसके लिये उन मूल बातों को देखना पड़ेगा जो बाल अपराधी घटनाओं के लिये उत्तरदायी हैं । बाल - अपराधी घटनायें कभी एक कारण से घटित नहीं होती इसके अनेकानेक कारण हो सकते हैं । इस बात की सत्यता शेल्डन ग्लूक के इस कथन से स्पष्ट है कि "बाल अपराध के सम्पूर्ण राज्य में कारणों की समस्या सबसे अधिक उलझन वाला है"।१ इसलिये "बाल अपराध के स्वरूप को स्पष्ट समझने के लिये हमें उन घटना चक्रों को समझना आवश्यक होगा जिनके कारण उक्त घटनायें घटित होती हैं"। २

लेकिन विदेशों में किये गये कार्यों के सामान्यकरण को अपने देश के विशेष कर इस सम्भाग के छात्रों पर हम घटित नहीं कर सकते हैं ।

अतएव इस सम्भाग के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं की कक्षा १० और ११ को आधार मान कर, इन्हीं कक्षाओं के शिक्षकों को प्रश्नावली भेजी गई थी । जिसमें पाठशाला के अन्तर्गत प्राय: अधिकांश सम्भव परिस्थितियों एवं अवसरों पर होने वाली बाल अपराधी घटनाओं के बारे में जान कारी मांगी गई थी । इसी जानकारी के आधार पर हम आगे अध्ययन प्रस्तुत करेंगे ।

प्रस्तुत जानकारी केवल इस सम्भाग के कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाले छात्रों एवं छात्राओं तक ही सीमित है । अत: इस सम्बंध में आगे जो भी जानकारी प्रस्तुत की गई है वह केवल उक्त कक्षाओं के बाल अपराधी छात्र छात्राओं से सम्बंधित है ।

---

१ S. Glueck : Quoted by Burt
२ W. Tappan : "Juvenile Delinquency" PP. 53.

शिक्षकों के हेतु दिये गये प्रश्नावली के उत्तर ६५ शालाओं के कुल १४२ अध्यापकों से प्राप्त हुये । इसी प्रकार कुल ४३ प्राचार्यों ने एक अलग प्रश्नावली का उत्तर दिया । इन्हीं सब उत्तरों के आधार पर ही यह अध्ययन किया गया है । दोनों ही प्रश्नावली परिशिष्ट में सम्मिलित हैं ।

सुविधा के लिये इस अध्याय में हम निम्नलिखित तीन बाल - अपराधी घटनाओं पर ही प्रकाश डालेंगे :-

(अ) कक्षा से भागने वाले ।

(ब) चोरी करने वाले ।

(स) अवज्ञा करने वाले ।

(अ) कक्षा से भागना (TRUANCY)

यह पाठशाला की अनेक मुख्य समस्याओं में एक प्रमुख समस्या है । विशेषकर आज जब पाठशालाओं में चारों ओर छात्र संख्या की दिनोंदिन वृद्धि हो रही है तब इस प्रकार के बाल अपराध का होना आवश्यक न होते हुये भी असम्भव नहीं ।

बाल अपराधों में यह सबसे महत्वपूर्ण अपराध होता है । "प्राय: अन्य बाल अपराध इसी अपराध से ही प्रेरणा पाते हैं । यह अपराधों की जननी है "। १ साइरिल बर्ट के अनुसार " यह अपराध के गर्त में पहुंचने के लिये प्रथम सीढ़ी है "। २ शेल्डन ग्लूक के अनुसार उनके अध्ययन क्षेत्र के ६५% बाल अपराधी कक्षा से भागने वाले छात्र थे "। ३ बर्ट महोदय के अनुसार ३३% बाल - अपराधी भागने वाले होते हैं । ४

हम पिछले अध्याय में देख ही चुके हैं कि इस सम्भाग में २४.५७% छात्र कक्षा से भागने वाले हैं । पाठशालाओं में यह अपराध अन्य अपराधों की अपेक्षा अधिक होता है, यह अध्यापकों

---

१ S. Glueck : Quoted by Burt PP. 350 4. Burt – PP. 455.

२ Burt – PP. 455

३ S Glueck : Quoted by Burt PP. 350

एवं प्राचार्यों द्वारा दिये गये उत्तरों से भी प्रमाणित है ।

शिक्षकों के हेतु प्रश्नावली में ७८ लोगों ने इस अपराध को सबसे अधिक दुहराये जाने के सम्बंध में सूचना दी है । इसी प्रकार २७ प्रधानाचार्यों के उत्तर भी इसी अपराध को अधिक बार दुहराये जाना बताया है ।

अब हम देखेंगे कि किस समय और कौन सी परिस्थिति में छात्र कक्षा से भागते हैं एवं ऐसे छात्र किस प्रकार के होते हैं । प्रश्नावली में दिये गये उत्तरों के क्रम से ही समय एवं परिस्थितियों का विवरण दिया गया है ।

सत्र में (SESSION)

(क)	आरम्भ में	---	---	७३
(ख)	मध्य में	---	---	८१
(ग)	अन्त में	---	---	८७
(घ)	सत्र के विशेष अवसरों पर		---	९८

सत्र के उपरोक्त चारों विभागों में अध्यापकों द्वारा दिये गये उत्तरों को अंकित किया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि सत्र के विशेष अवसरों पर, जैसे स्कूल के समारोहों, एवं पाठशाला के अन्य पाठ्येतर कार्य क्रमों के अवसर पर ही छात्र सबसे अधिक भागते हैं ।

उपरोक्त समय में कक्षा से भागने में निम्नांकित परिस्थितियां सहायक होती हैं । अध्यापकों द्वारा दिये गये क्रमानुसार ही हम परिस्थितियों का वर्णन करेंगे :-

(क) सत्र के आरम्भ में पढ़ाने वाले शिक्षकों की ठीक व्यवस्था न होना ।

(ख) सत्र के विशेष अवसरों पर छात्रों का रूचि न लेना ।

(ग) कक्षा में विषयों की ठीक पढ़ाई न होना ।

(घ) सत्र के अंत में अत्यंत ही अव्यवस्थित पढ़ाई होना ।

(ङ०) सत्र के अंत में कहीं कहीं अव्यवस्थित पढ़ाई होना ।

(च) शिक्षकों का बहुत दिनों तक छात्रों की भर्ती में व्यस्त रहना ।

(छ) छात्रों का पढ़ाई में मन न लगना एवं घरेलू कार्यों के कारण कक्षा से भाग जाना ।

उपरोक्त सात परिस्थितियों में केवल प्रथम के विषय में अधिकांश शिक्षकों ने अपना मत व्यक्त किया है और अंतिम का उत्तर केवल कुछ ही शिक्षकों ने दिया । प्रथम छ: परिस्थितियों के संबंध में शिक्षकों के उत्तर क्रमश: ९५, ८४, ७९, ६८, ६७, ६१ हैं ।

सप्ताह में

(क)	आरम्भ में	---	७८
(ख)	मध्य में	---	६४
(ग)	अन्त में	---	९२

उपरोक्त दिये गये उत्तरों से स्पष्ट मालूम होता है कि सप्ताह के अंत में सबसे अधिक भागते हैं इसके बाद क्रमश: आरम्भ और मध्य में भागते हैं ।

ये छात्र अधोलिखित परिस्थितियों के वशीभूत होकर सप्ताह के उपरोक्त कालों में भागते हैं :-

(क) स्कूल में मिला हुआ गृह कार्य न कर सकने से ।

(ख) छात्रों में जल्दी ही कक्षा छोड़कर घरपहुंचने की इच्छा होने से ।

(ग) स्कूल शुरू होने पर भी छात्रों में घूमने की इच्छा खतम न होना ।

(घ) कक्षा की लगातार पढ़ाई से ऊब जाना ।

उक्त परिस्थितियों के सम्बंध में क्रमश: ८५, ७०, ६१ और ५६ उत्तर प्राप्त हुये । इसके अतिरिक्त कुछ अध्यापकों ने यह भी लिखा है कि स्थानीय पाठशालाओं में अधिकांश छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं अत: सप्ताह के अंतिम एवं पूर्वार्द्ध में उनका कक्षा से अनुपस्थित रहना आमतौर से देखा जाता है ।

घंटो में (PERIODS)

(क) प्रथम घंटे में --- ७६

(ख) मध्यावकाश के पहिले --- ६०

(ग) मध्यावकाश के बाद --- ७३

(घ) अंतिम घंटे में --- ६६

उपरोक्त उत्तरों के क्रमानुसार छात्र अंतिम घंटे में सबसे अधिक भागते हैं एवं मध्यावकाश के पहिले भागते हैं। इसके बाद छात्रों के कक्षा से भागने का समय क्रमश: मध्यावकाश के बाद और प्रथम घंटे में होता है।

उपरोक्त घंटों में निम्नांकित परिस्थितियों के वशीभूत होकर छात्र भागते हैं :-

(क) कक्षा अध्यापक के देर से कक्षा में आना।

(ख) विषय अध्यापक का अनियमित होना।

(ग) छात्रों द्वारा पुस्तकें घर में भूल जाना।

(घ) कठिन विषयों का लगातार पढ़ाये जाने से छात्रों का ऊब जाना।

(ङ०) अंतिम घंटों में पढ़ाई से थक जाना।

(च) अंतिम घंटों में कोई कठिन विषय का पढ़ाया जाना।

(छ) अंतिम घंटों का खाली होना।

उक्त परिस्थितियों के बारे में उत्तरों के अंक क्रमश: इस प्रकार हैं :-

८५, ७६, ६८, ६८, ६५, ६३, ६२।

अवकाशों में

(क) अवकाश आरम्भ होने के पूर्व --- ७३

(ख) अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिवस में --- ६२

(ग) माह के अंतिम दिवस में --- ७७

उत्तरों के क्रम के अनुसार छात्र अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिवस में सबसे अधिक भागते हैं इसके बाद क्रमश: माह के अंतिम और आरम्भ के दिवस में भागते हैं ।

उपरोक्त समय में छात्रों के कक्षा से भागने में निम्नांकित परिस्थितियां सहायक होती हैं । शिक्षकों के द्वारा दिये गये उत्तरों के क्रम से ही हम परिस्थितियों का वर्णन करेंगे । उनके उत्तर क्रमश: ६८, ६६, ६१, ८१ और ६७ हैं । परिस्थितियां ये हैं :-

(क) छात्रों में शीघ्र ही घर पहुंचने की इच्छा होना ।

(ख) शिक्षकों का पढ़ाई में ठीक से दिलचस्पी न लेना ।

(ग) माह के अंतिम दिन में अधिकांश शिक्षकों द्वारा रजिस्टर आदि के पूर्ण करने में अधिक ध्यान देना ।

(घ) बाहर गांव के रहने वाले शिक्षकों को शीघ्र ही घर जाने की खुशी में कक्षा में न जाना ।

(ङ०) अवकाश के बाद स्कूल खुलने पर, शिक्षकों का ठीक समय पर कक्षा में न आना ।

परीक्षा काल में

(क)	आरम्भिक दिवस में	---	५५
(ख)	मध्य दिवस में	---	७४
(ग)	अंतिम दिवस में	---	४४

परीक्षा के दिनों में सबसे अधिक छात्र मध्य दिवस में ही भागते हैं फिर क्रमश: परीक्षा के आरम्भिक और अंतिम दिवस में - जैसा कि अध्यापकों द्वारा दिये गये उपरोक्त उत्तरों के अंक से स्पष्ट है ।

परीक्षा के इन दिनों में छात्रों के भागने में निम्नांकित परिस्थितियां सहायक होती हैं जैसा कि क्रमश: इन उत्तरों से स्पष्ट है :- ६१, ८८, ७८, ७४, ६८, और ४१ उत्तरों से स्पष्ट है ।

(क) परीक्षा के हेतु ठीक तैयारी न होना ।

(ख) फेल होने के अपयश से बचने के लिये ।

(ग) अपनी पढ़ाई की कमजोरी छिपाने के लिये।

(घ) कक्षा में होने वाली पढ़ाई के अपेक्षा अपनी पढ़ाई को ठीक समझने से परीक्षा से पहिले ही भाग जाना।

(ङ०) मासिक परीक्षा के हेतु ठीक तैयारी न होने से।

(च) साप्ताहिक परीक्षा हेतु ठीक तैयारी न होने से।

कक्षा के अतिरिक्त स्थान से

कक्षा के अतिरिक्त निम्नांकित स्थानों से छात्र भागते हैं। उत्तरों के क्रम से वे स्थान निम्नलिखित हैं :-

(क) पाठशाला में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों से ९६

(ख) पाठशालीय सभाओं से --- ८४

(ग) खेल के मैदान से ६६

(घ) पुस्तकालय कक्षा से ५३

(ङ०) विज्ञान कक्षा से ५०

उत्प्रेरणा

निम्नलिखित उत्प्रेरणाओं के कारण इन कक्षाओं के अधिकांश छात्र भागते हैं। शिक्षकों द्वारा दिये गये उत्तरों के अंको के अनुसार ही हम वर्णन करेंगे।

(क) खेल में अधिक मन लगने से --- ७८

(ख) अपने सहधर्मी साथियों को भागते देखकर ६६

(ग) धूम्रपान के लिये --- ६४

(घ) किशोरावस्था की यौन प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर ६१

(ङ०) जुआ खेलने के लिये --- ५६

व्यवहार एवं स्वभाव

(क)	मैत्री पूर्ण	७६	(क)	झगड़ालू	५४
(ख)	सामान्य	८६	(ख)	चिड़चिड़ा	४१
(ग)	अमैत्रीपूर्ण	६१	(ग)	संकोची	६१
			(घ)	विद्वेषी	७८

उपरोक्त दोनों पहलुओं के सम्बंध में अध्यापकों द्वारा दिये अंकों अनुसार ऐसे छात्रों का व्यवहार अपने कक्षा के साथियों से अधिकांशत: सामान्य एवं मैत्रीपूर्ण रहता है। इसी प्रकार जब उनके स्वभाव की तरफ देखते हैं तो मालूम होता है कि ऐसे छात्रों का हावभाव अधिकतर संकोची होता है।

शारीरिक स्थिति

उत्तरों के अंको के अनुसार ऐसे छात्रों का शारीरिक स्तर क्रमश: अधोलिखित होता है :-

(क)	साधारण	९०
(ख)	कमजोर	७९
(ग)	बलशाली	६८
(घ)	बहुत बलशाली	५५
(ङ०)	बहुत कमजोर	४५

उपरोक्त उत्तर-अंकों से स्पष्ट है कि ऐसे छात्र अधिकांश रूप में साधारण शारीरिक स्थिति के होते हैं।

आर्थिक स्तर

(क)	धनी	६३
(ख)	मध्यम	८५
(ग)	गरीब	७४
(घ)	अत्यंत गरीब	४७

इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे छात्र अधिकांश रूप से मध्यम वर्गीय आर्थिक स्तर के होते हैं इसके बाद क्रमश: गरीब, धनी और अत्यंत गरीब स्तर के छात्र होते हैं।

पढ़ने लिखने में

(क)	बहुत तेज	५४
(ख)	तेज	६६

(ग) साधारण ६३

(घ) पिछड़े ७६

कक्षा से भागने वाले छात्रों में अधिकांश छात्र पढ़ने में साधारण होते हैं इसके बाद क्रमशः पिछड़े, तेज और बहुत तेज छात्रों का क्रम होता है।

बौद्धिक स्तर

अध्यापकों द्वारा दिये गये क्रम से बौद्धिक स्तर निम्न प्रकार से होगा :-

(क) कमजोर ६०

(ख) अत्यंत कमजोर ७७

(ग) औसत ६८

(घ) कुशाग्र २६

ऊपर दिये गये उत्तरों से मालूम होता है कि ऐसे बाल - अपराधियों का बौद्धिक स्तर कमजोर होता है इसके बाद क्रमशः अत्यंत कमजोर, औसत और कुशाग्र बुद्धि के छात्रों का वर्ग आता है। इस सम्बंध में विशेष विवरण अध्याय ६ में देखेंगे।

(ब) चोरी करने वाले

यह अक्सर देखा गया है कि बच्चे चोरी करते हैं -- हर आयु में, हर श्रेणी में। अक्सर इस बारे में पाठशाला में शिकायतें आती रहती हैं। सभी व्यक्तियों में अधिकार सम्बंधी प्रवृत्ति होती है। जिन बच्चों में यह प्रवृत्ति को ठीक तरह से नियंत्रित नहीं किया जाता उनके लिये "सब मेरा है" यह भावना होती है। इसलिये दूसरों की चीज उन्हें अपनी ही दीख पड़ती है और इसलिये वह उसे उठाकर ले जाने में कोई हर्ज नहीं समझते। कई बालक कभी कभी दरिद्रता के कारण भी मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे बच्चे भी हमारे सामने आते हैं जो चोरी इसलिये करते हैं कि चलो तमाशा ही

सही । बुराई हुई चीज चाहे उनके किसी काम की न हो मगर इनको इस बात की परवाह नहीं । वह तो यह दिखाना चाहते हैं कि वह किसी को ~~मूर्ख~~ किस तरह मुर्ख बना सकते हैं । कभी कभी तो आत्मतृप्ति के लिये भी बालक चोरी करते हैं । जिनके प्रति उनके मन में द्वेष रहता है उनकी चीजें गुम करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है ।

साइरिल बर्ट के अनुसार ८० % बच्चे किसी न किसी रूप में अवश्य ही चोरी करते हैं । १ बच्चों द्वारा किया गया यह अपराध बाल अपराध कहलाता है क्योंकि बालक चोरी करके सामाजिक शैक्षिक एवं नैतिक प्रतिमानों के विरुद्ध कार्य करता है जिससे वह स्वयं के अतिरिक्त दूसरों का भी अहित करता है । इन्हीं सब कारणों से बाल अपराधों में यह सबसे अधिक गम्भीर माना जाता है । इस कथन की सत्यता शिक्षकों के उत्तरों से प्रमाणित होती है । इस सम्भाग के कुल १४२ शिक्षकों में ६१ लोगों ने सर्वाधिक मत इसी पक्ष में दिया है कि यह सबसे गम्भीर अपराध है । इस सम्भाग में यह अपराध यद्यपि कम ही किया जाता है, जैसा कि पिछले अध्याय से स्पष्ट होता है । अध्यापकों से यह पूछा गया था कि यह बाल अपराध क्या बार बार दुहराया जाता है तो ७२ शिक्षकों ने अपने मत में इस बाल अपराध को चतुर्थ स्थान दिया है । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह अपराध अत्यंत ही कम होता है । परन्तु जब हम इस अपराध को सबसे अधिक गम्भीर मानते हैं तो इसका कम होना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । वैसे "पाठशालीय अनुशासन की दृष्टि से तो यह एक गम्भीर समस्या है ही ।" २ उच्चतर माध्यमिक शालाओं के १३ प्राचार्यों के उत्तरों से यह ज्ञात होता है कि उन पाठशालाओं में यह बाल अपराध कई बार दुहराया जाता है ।

अब हम शिक्षकों से प्राप्त किये गये उत्तरों के आधार पर क्रम से समय और सम्भावित परिस्थितियों का विवरण देंगे । प्रश्नावली परिशिष्ट क्रमांक —८ में सम्मिलित है । प्रत्येक के सामने शिक्षकों द्वारा प्राप्त उत्तरों को अंकित किया गया है इन्हीं के आधार पर हम विवरण प्रस्तुत करेंगे ।

---

१ Burt – PP. 449   2. J Das Gupta – "Behaviour Problems of School Children" PP 33

सत्र में

(क) आरम्भ में --- ७६

(ख) मध्य में --- ५०

(ग) अंत में --- ६१

(घ) सत्र के विशेष अवसरों पर ६८

सत्र के उपरोक्त चारों वर्गों के सामने शिक्षकों के दिये गये उत्तर अंकित हैं इससे स्पष्ट होता है कि सत्र के विशेष अवसरों पर जैसे पाठशाला में होने वाले समारोहों, गेम्स के चुनावों एवं अन्य सांस्कृतिक अवसरों पर छात्र सबसे अधिक चोरी करते हैं। इसके बाद क्रमश: सत्र के आरम्भ में, अंत में और मध्य में यथावसर चोरी करते हैं।

इन अवसरों/पर छात्रों में चोरी करते में निम्नांकित परिस्थितियां सहायक होती हैं। शिक्षकों के उत्तरों के अनुसार ये हैं :-

(क) सत्र के आरम्भ में छात्रों का असावधान होना।

(ख) छात्रों का आपस में अत्यधिक विश्वास होना।

(ग) बदला लेने की भावना से।

(घ) चोरी करने वाले छात्रों को दंड न मिलते देखकर छात्रों का चोरी की ओर प्रवृत्त होना।

(ङ०) सत्र के अंत में चोरी करके पकड़े जाने की सम्भावना कम होने से।

उपरोक्त परिस्थितियों के बारे में शिक्षकों के उत्तर क्रमश: इस प्रकार हैं : ६२, ७८, ६६, ६०, ५७। इससे स्पष्ट होता है कि साथियों की असावधानी से लाभ उठाकर ही अधिकांश रूप में छात्र चोरी करते हैं।

सप्ताह

(क) आरम्भ में ५८

(ख) मध्य में ७३

(ग) अंत में ९२

उपरोक्त उत्तर अंकों के देखने से मालूम होता है कि सप्ताह के अंतिम दिवस में छात्र सबसे अधिक चोरी करते हुये पाये जाते हैं इसके बाद क्रमश: मध्य और आरम्भिक दिनों में चोरी करते हैं।

सप्ताह के उपरोक्त तीनों कालों में छात्रों में चोरी करने की घटनायें घटित होने में निम्नांकित परिस्थितियां सहायक होती हैं। शिक्षकों द्वारा प्राप्त उत्तरों के क्रम से हम परिस्थितियों का वर्णन करेंगे :-

(क) छात्रों की असावधानी से।

(ख) सप्ताह के आरम्भ में छात्रों की अन्यमनस्कता से चोरी करने का अधिक अवसर प्राप्त होने से।

(ग) छात्रों के घर जाने की जल्दी में उनकी अस्त व्यस्त पुस्तकों को देख कर।

(घ) सप्ताह के अंत में चोरी पकड़े जाने की सम्भावना कम होने से।

शिक्षकों के उत्तरों का क्रम इस प्रकार था :- ८७, ७२, ६५, ५५। उपरोक्त वर्णन से एक बात यह स्पष्ट होती है कि छात्रों की असावधानी चोरी करने वाले छात्रों के लिये सबसे मुख्य अवसर होता है।

घंटों में (PERIODS)

(क) प्रथम घंटे में ५४

(ख) मध्यावकाश के पहिले ६०

(ग) मध्यावकाश में ८३

(घ) अंतिम घंटे में ७६

उपरोक्त दिये गये उत्तर - अंकों से स्पष्ट मालूम होता है कि अवकाश में सबसे अधिक छात्र चोरी करते हैं इसके बाद क्रमश: अंतिम घंटे में, मध्यावकाश के पहिले एवं प्रथम घंटों में चोरी करते हैं। अर्थात् अवकाश में सबसे अधिक और प्रथम घंटे में सबसे कम चोरी करते हैं।

इन दिये गये घंटों में चोरी करने की घटनाओं के होने में निम्नांकित परिस्थितियां सहायक होती हैं :-

(क) छात्रों की असावधानी से ।

(ख) अवकाश में बाहर गये हुये छात्रों की वस्तुओं को असावधानी से पड़े हुये देखकर ।

(ग) अवकाश के पहिले चोरी करने वाले छात्रों को अच्छा अवसर मिलना ।

(घ) अंतिम घंटे में, चोरी करके भाग जाने में अधिक सफलता मिलने की आशा से ।

उक्त परिस्थितियों के सम्बंध में शिक्षकों के उत्तर इस प्रकार थे :- ६४, ७७, ७६, ५६ । अन्य अवसरों एवं समय में हम देख ही चुके हैं कि छात्रों की असावधानी का कितना महत्वपूर्ण भाग है । इसमें भी यही कारण स्पष्ट परिलक्षित होता है ।

अवकाशों में

(क)	अवकाश आरम्भ होने के पूर्व	६३
(ख)	अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिवस में	६२
(ग)	माह के अंतिम दिवस में	७५

उपरोक्त संलग्न उत्तरों से मालूम होता है कि अवकाश के बाद शाला खुलने के प्रारम्भिक दिवस में ही सबसे अधिक छात्र चोरी करते हैं । इसके बाद क्रमश: माह के अंतिम और आरम्भिक दिवस में चोरी करते हुये पाये जाते हैं ।

उपरोक्त अवकाशों में छात्रों द्वारा चोरी करने की घटनाओं में निम्नांकित परिस्थितियां सहायक होती हैं :-

(क) छात्रों को घर जाने की शीघ्रता में उनकी वस्तुओं को अस्त व्यस्त देख कर ।

(ख) छात्रों की असावधानी से ।

(ग) अवकाश के कारण गुमी वस्तुओं के खोज की सम्भावना कम होने से ।

(घ) चोर छात्रों को वस्तुओं के छिपाने का उपयुक्त अवसर मिलने के कारण ।

शिक्षकों ने उपरोक्त परिस्थितियों के सम्बंध में इस प्रकार उत्तर दिये :- ७६, ७०, ५४ और ५० । इसमें भी हम छात्रों की लापरवाही को ही मुख्य देखते हैं ।

परीक्षा काल में

(क)	आरम्भिक दिवस में	६६
(ख)	मध्य दिवस में	२७
(ग)	अंतिम दिवस में	५८

दिये गये उत्तरों से स्पष्ट होता है कि परीक्षा के आरम्भिक दिनों में छात्र सबसे अधिक चोरी करते हैं इसके बाद क्रमश: मध्य एवं अंतिम दिवस में ।

परीक्षा के उपरोक्त विभिन्न दिनों में छात्रों में चोरी करने की घटनाओं के होने में निम्नांकित परिस्थितियां सहायक हैं :-

(क) स्वयं के पास उचित पुस्तकें एवं नोट्स आदि न होने से ।

(ख) दूसरे छात्रों की अच्छी पुस्तकों को हस्तगत करने की इच्छा से ।

(ग) पढ़ने में कमजोर एवं आलसी होने के कारण अच्छे छात्रों की पुस्तकें चुराकर पास होने की इच्छा से ।

(घ) दूसरे छात्रों से अच्छे नम्बर प्राप्त करने के लिये पुस्तकें एवं नोट्स चुराना ।

(ङ०) अच्छे छात्रों की कापियां एवं पुस्तकें चुराकर उन्हें फेल कराने की इच्छा से ।

शिक्षकों के उत्तरों का क्रम इस प्रकार था : ८७, ७४, ६७, ५७ और ४० । इन्हीं क्रमों को सामने रखकर ही उपरोक्त परिस्थितियों का वर्णन किया गया है ।

चोरी करने के स्थान

छात्रों द्वारा शिक्षालय में चोरी करने के सम्बंध में जब हम देखते हैं तो कक्षा के अंदर छात्र साधारणत: पुस्तकें, नोट्स, पेन्सिलें एवं कलमें आदि ही अधिकता से चोरी करते हैं। परन्तु कहीं कहीं विज्ञान कक्षा से भी सामान को गायब कर देते हैं।

इसी प्रकार जब हम कक्षा से बाहर चोरी करने वाले छात्रों को देखते हैं तो मालूम होता है कि स्कूल के बाग में, लाइब्रेरी से एवं खेल की वस्तुओं को भी यथावसर चोरी करते हैं।

उत्प्रेरणा

निम्नांकित उत्प्रेरणाओं के वशीभूत होकर छात्र चोरी करते हैं।

(क) धूम्रपान के लिये।

(ख) साज श्रृंगार हेतु समान लेने के लिये ।

(ग) जुआ खेलने के लिये।

(घ) होटलों आदि के खर्च के लिये।

(ङ०) युवावस्था के यौन प्रवृत्तियों से।

(च) सिनेमा देखने के लिये।

उपरोक्त विवरणों में शिक्षकों के उत्तरों का क्रम इस प्रकार है : ६८, ५७, ५२, ५०, ४१ एवं २६। हम देखते हैं कि धूम्रपान एवं साज श्रृंगार हेतु सामान लेने के लिये बच्चे सबसे अधिक चोरी करते हैं। लेकिन जो स्कूल शहरों में स्थित हैं उनमें से अधिकांश शिक्षकों ने यह कहा है कि छात्र सिनेमा देखने, होटल आदि में जाने, धूम्रपान एवं जुआ खेलने के लिये चोरी करते हैं।

बौद्धिक स्तर

(क) कुशाग्र — ६८

(ख) औसत — ६७

(ग) कमजोर --- ८०

(घ) अत्यंत कमजोर --- ५८

पढ़ने लिखने में

(क) बहुत तेज --- ६१

(ख) तेज --- ७३

(ग) साधारण --- १०३

(घ) अत्यंत कमजोर --- ८०

उपरोक्त दोनो वर्गों में शिक्षकों के उत्तरों के आधार पर हम कह सकते हैं कि चोरी करने वाले छात्रों का बौद्धिक स्तर अधिकांश रूप में औसत दर्जे का होता है इसके बाद क्रमशः कमजोर, कुशाग्र और अत्यंत कमजोर वर्ग के छात्र आते हैं।

इसी प्रकार ऐसे छात्र पढ़ने लिखने में अधिकांश रूप में साधारण कोटि के रहते हैं इसके बाद क्रमशः अत्यंत कमजोर, तेज और बहुत तेज वर्ग के छात्र आते हैं।

इस प्रकार के छात्रों के बौद्धिक स्तर के सम्बंध में और भी स्पष्ट वर्णन आगामी छठवें अध्याय में देखेंगे।

आर्थिक स्तर

(क) धनी --- ५३

(ख) मध्यम --- ९८

(ग) गरीब --- ७७

(घ) अत्यंत गरीब --- ६७

उपरोक्त दिये गये उत्तर क्रमों से स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के छात्र अधिकांश मध्यम वर्ग के होते हैं इसके बाद क्रमशः गरीब, अत्यंत गरीब एवं धनी वर्ग के छात्र आते हैं।

व्यवहार

(क) मैत्री पूर्ण --- ९८

(ख) सामान्य --- ८२

(ग) अमैत्री पूर्ण --- ६६

स्वभाव

(क) झगड़ालू --- ६६

(ख) संकोची --- ६६

(ग) विद्वेषी --- ७८

ऊपर लिखे गये दोनों वर्गों के उपविभागों में शिक्षकों के द्वारा प्राप्त उत्तरों से मालूम होता है कि चोरी करने वाले छात्रों का अधिकांश रूप में अपने साथियों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार ही रहता है। इसके बाद क्रमश: सामान्य और अमैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाले छात्र होते हैं।

इसके बाद ऐसे छात्र अधिकांश में झगड़ालू स्वभाव के होते हैं इसके बाद क्रमश: विद्वेषी और संकोची वर्ग के छात्र आते हैं।

शारीरिक स्थिति

(क) बहुत बलशाली --- ५६

(ख) बलशाली --- ६३

(ग) साधारण --- ७०

(घ) अत्यंत कमजोर --- ५६

उपरोक्त उत्तरों के आधार पर हम कह सकते हैं चोरी करने वाले अधिकांश छात्रों की शारीरिक स्थितिसाधारण कोटि की होती है इसके बाद क्रमश: कमजोर, बलशाली, बहुत बलशाली एवं अत्यंत कमजोर कोटि के छात्र आते हैं।

(ख) झगड़ा करने वाले

लड़ाई झगड़ा करना बालक का मूल प्रवृत्यात्मक व्यवहार है। लड़ने की प्रवृत्ति क्रोध का संवेग है। क्रोध तभी उत्पन्न होता है जबकि मन के अनुकूल कार्य नहीं होता। किसी बालक में क्रोध उत्पन्न होता है तब इससे ज्ञात होता है कि उसके मन के अनुकूल कार्य नहीं हो रहा है।

अत: जिस किसी ने उसके क्रोध का कारण उत्पन्न किया है, तो वह उससे झगड़ा करता है। इसका परिणाम यह होता है कि बालक का स्वाभाविक विकास रूक जाता है। लड़ना समाज में एवं नैतिक दृष्टि से अच्छा नहीं समझा जाता है। अतएव हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाले छात्र अवश्य ही बाल अपराधी के कोटि में गिने जायेंगे।

बर्टमहोदय के अनुसार लड़ाई करने की प्रवृत्ति सार्वभौमिक है। इनके अनुसार ०.८% बालक और २.७% बालिकायें लड़ाई झगड़ा करने वाली होती हैं। १

हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि इस सम्भाग के उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं के कक्षा १० और ११ स्तर पर झगड़ा करने वाले बाल अपराधियों का ३०.०१% है।

यह अपराध अधिक बार शिक्षालयों में होता है। ४६ शिक्षकों एवं २० प्राचार्यों के उत्तरों से यह बात स्पष्ट होती है। ५७ शिक्षकों ने इसे गम्भीर अपराध माना है।

शिक्षालय के अनुशासन की दृष्टि से बाल अपराध निर्विवाद रूप से गम्भीर है।

अब हम शिक्षकों द्वारा प्राप्त उत्तरों के अनुसार इस बाल - अपराध से सम्बंधित परिस्थितियों का विवरण देंगे।

प्रश्नावली परिशिष्ट में सम्मिलित है।

<u>किनसे लड़ते हैं ?</u>

(क)	आपस में	---	१०६
(ख)	संस्था के प्रधान से	---	६८
(ग)	शिक्षक से	---	८०
(घ)	कक्षा मानीटर से	---	६२

शिक्षकों के द्वारा प्रदान किये गये उत्तरों को देखकर कहा जा सकता है कि छात्र सबसे अधिक आपस में लड़ाई झगड़ा करते है इसके बाद क्रमश: कक्षा मानीटर, शिक्षक एवं प्रधान शिक्षक से

---

1. Burt — PP 443.

झगड़ा करते हैं। कुछ शिक्षकों ने यह मत भी व्यक्त किया कि कुछ छात्र पाठशाला के अन्य छोटे कर्मचारियों से छोटी मोटी बातों को लेकर अक्सर झगड़ा कर बैठते हैं।

सत्र में

(क)	सत्र के आरम्भ में	---	६३
(ख)	सत्र के मध्य में	---	८६
(ग)	सत्र के अन्त में	---	७४
(घ)	सत्र के विशेष अवसरों पर	---	१०८

इससे स्पष्ट होता है कि सत्र के विशेष अवसरों जैसे स्कूल में होने वाले खेल कूद, कार्यक्रमों के अवसरों पर प्राय: अधिकांश छात्र लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसके बाद क्रमश: सत्र के मध्य, अन्त और आरम्भिक दिवस में झगड़ा करते हैं।

उपरोक्त कालों में छात्रों में लड़ाई झगड़ा करने में निम्नांकित परिस्थितियां सहायक होती हैं :-

(क) वार्षिक खेल कूद, छात्र संघ एवं गेम्स आदि के चुनावों में होने वाली उछृंखलता।

(ख) ढीला नियंत्रण।

(ग) पाठशाला के वातावरण में स्वयं को व्यवस्थित न कर सकने से।

(घ) अपने मित्रों पर प्रभाव जमाने की इच्छा से।

शिक्षकों के उत्तरों के क्रम के अनुसार ही उपरोक्त परिस्थितियों का विवरण दिया गया है। उत्तर इस प्रकार से थे : ६७, ८४, ७०, ६२।

सप्ताह

(क)	आरम्भ में	७३
(ख)	मध्य में	८७
(ग)	अंत में	१०५

इन उत्तरों से पता चलता है कि सप्ताह के अंत में यह अपराध सबसे अधिक होता है इसके बाद क्रमशः सप्ताह के मध्य में और आरम्भिक समय में होता है ।

सप्ताह के उपरोक्त तीनों भागों में छात्रों में झगड़ा करने की घटनाओं के होने में निम्नांकित परिस्थितियां सहायक होती हैं । शिक्षकों द्वारा दिये गये क्रमशः ६६, ८१, ७२ और ६१ के अनुसार ही परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है :-

(क) सप्ताह के प्रारम्भ में ढीला अनुशासन होना ।

(ख) कक्षा में ऊधम मचाने के कारण अन्य पढ़ने वालों के विरोध करने से ।

(ग) गृहकार्य स्वयं पूरा न कर सकने से दूसरे छात्रों को भी कार्य के हेतु रोकने के कारण उनसे लड़ाई ।

(घ) बदला लेने की भावना के वशीभूत होकर ।

घंटे में (PERIODS)

(क)	प्रथम घंटे में	८५
(ख)	मध्यावकाश के पहिले	६४
(ग)	मध्यावकाश में	१००
(घ)	मध्यावकाश के बाद	५७
(ङ०)	अंतिम घंटे में	७३

दिये गये मतों से स्पष्ट होता है कि छात्र सबसे अधिक झगड़ा शिक्षालय के मध्यावकाश में करते हैं फिर इसके बाद क्रमशः प्रथम घंटे में, अंतिम घंटे में एवं मध्यावकाश के पहिले और बाद में झगड़ा करते हैं ।

उपरोक्त घंटों में छात्रों में लड़ाई झगड़ा के होने में निम्नांकित परिस्थितियां सहायक होती हैं :-

(क) प्रथम घंटे में आते ही कक्षा में सबसे अच्छी जगह पाने का प्रयत्न ।

(ख) किसी साथी द्वारा शिकायत किये जाने से ।

(ग) मानीटर द्वारा शिकायत किये जाने से ।

(घ) पुस्तकें आदि चोरी चले जाने से आपस में गाली गलौज होने से ।

(ङ०) शिक्षकों द्वारा दंडित किया जाना ।

उपरोक्त में अध्यापकों द्वारा दिये गये उत्तरों के क्रम इस प्रकार हैं : ६१, ७१, ६७, ६४ और ५५ । कुछ शिक्षकों ने यह भी बताया कि कक्षा में अपनी धाक जमाने के लिये भी कुछ छात्र झगड़ा करते हैं ।

अवकाशों में

(क) अवकाश आरम्भ होने के पूर्व ५६

(ख) अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिवस में ६८

(ग) माह के अंतिम दिवस में ७६

इन प्राप्त उत्तर अंकों से स्पष्ट मालूम होता है कि छात्रों में सबसे अधिक लड़ाई झगड़ा करने की घटनायें अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिवस में सबसे अधिक होती हैं । इसके बाद क्रमश: माह के अंतिम दिवस में एवं अवकाश आरम्भ होने पूर्व झगड़ा करने की घटनायें घटित होती हैं ।

अवकाश के उपरोक्त क्षणों में झगड़ा की घटनाओं के होने में निम्नांकित परिस्थितियां सहायक होती हैं । शिक्षकों के उत्तर क्रमश: १००, ८६, ७० और ६८ हैं । अत: इन्हीं उत्तरों पर क्रमानुसार ये परिस्थितियां हैं :-

(क) कक्षा में सबसे अच्छी जगह प्राप्त करने के लिये ।

(ख) झगड़ा करके भाग जाने की सम्भावना अधिक होने से ।

(ग) दंड पाने की सम्भावना कम होने से ।

(घ) अपने पुराने बैर का बदला का ठीक समय जान कर भी लड़ाई करते हैं ।

परीक्षा के दिनों में

(क) आरम्भिक दिवस में ६२

(ख) मध्य दिवस में ७७

(ग) अंतिम दिवस में १०८

शिक्षकों के उत्तरों से हमें पता चलता है कि परीक्षा के अंतिम दिनों में छात्रों में अधिक झगड़ा फसाद करने की घटनायें घटित होती हैं इसके बाद क्रमश: परीक्षा के आरम्भिक एवं मध्य के दिनों में छात्र लड़ते झगड़ते हैं।

परीक्षा के उपरोक्त दिनों में झगड़ा करने में निम्नांकित परिस्थितियां सहायक होती हैं :-

(क) परीक्षा भवन में कड़े निरीक्षण से ।

(ख) शिक्षकों द्वारा परीक्षा पुस्तिकाओं की कड़ी जंचाई से ।

(ग) परीक्षा में फेल हो जाने की सम्भावना से ।

(घ) किसी भी प्रकार परीक्षा में सफल होने की इच्छा से ।

(ङ०) बुरे परीक्षाफल को सुन कर ।

(च) कभी कभी अधिकारियों के पक्षपात से भी छात्रों द्वारा झगड़ा आदि करने की घटनायें घटित होती हैं ।

उपरोक्त परिस्थितियों के बारे में शिक्षकों के उत्तर क्रमश: इस प्रकार हैं : ६२, ८०, ७५, ६६, ५४ और ५० ।

उत्प्रेरणा

(क) स्वयं को दूसरों के सामने बड़ा बताने के लिये ६५

(ख) नेतृत्व प्राप्त करने के लिये ७५

(ग) दूसरों पर श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिये ६२

(घ) सेक्स के सम्बंध में ५६

(ङ०) दूसरों के बहकाने में आकर ६४

(च) दूसरों से बदला लेने के लिये ८०

उपरोक्त उत्तर अंकों को देखकर मालूम होता है कि छात्र दूसरों के बहकाने में आकर एवं दूसरों से बदला लेने की भावना के वशीभूत होकर ही सबसे अधिक झगड़ा करते हैं। इसके बाद क्रमशः नेतृत्व प्राप्त करने के लिये, स्वयं को दूसरों के सामने बड़ा बताने के लिये एवं श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिये एवं कभी कभी सेक्स सम्बंधों के कारण भी लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं।

शारीरिक स्थिति

(क)	बहुत बलशाली	७७
(ख)	बलशाली	१०८
(ग)	साधारण	६४
(घ)	कमजोर	८५
(ङ०)	अत्यंत कमजोर	६८

स्वभाव

(क)	झगड़ालू	११७
(ख)	संकोची	८८
(ग)	विद्वेषी	१००

शिक्षकों द्वारा उत्तर प्राप्त अंकों को देखकर उपरोक्त दोनों ही वर्गों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अर्थात् झगड़ा करने वाले प्रायः अधिकांश छात्र बलशाली होते हैं इसके बाद क्रमशः साधारण कमजोर, अत्यंत बलशाली और अत्यंत कमजोर वर्ग के छात्र आते हैं।

इसी प्रकार द्वितीय वर्ग में हम देखते हैं ऐसे छात्र झगड़ालू और विद्वेषी स्वभाव के होते हैं। लड़ने वाले संकोची स्वभाव के छात्र बहुधा कम होते हैं।

व्यवहार

(क)	मैत्री पूर्ण	६५
(ख)	सामान्य	७३
(ग)	अमैत्री पूर्ण	८३

ऐसे छात्रों का स्वभाव अमैत्रीपूर्ण ही अधिकांश रूप में होता है इसके बाद कुछ छात्रों का सामान्य एवं मैत्री पूर्ण व्यवहार भी रहता है। जैसा कि उत्तरों से स्पष्ट है।

आर्थिक स्तर

(क)	धनी	६६
(ख)	मध्यम	७४
(ग)	गरीब	६५
(घ)	अत्यंत गरीब	५०

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि लड़ाई झगड़ा करने वाले छात्र अधिकांश मध्यम और धनी वर्ग के ही बालक होते हैं इसके बाद क्रमश: गरीब और अत्यंत गरीब वर्ग के छात्र आते हैं। गरीबों को तो अपनी परिस्थितियों से ही इतना "झगड़ा" करना पड़ता है कि उन्हें साथियों से लड़ने की नौबत प्राय: कम ही आती है।

पढ़ने लिखने में

(क)	बहुत तेज	५२
(ख)	तेज	६३
(ग)	साधारण	७६
(घ)	पिछड़े	५६

बुद्धि स्तर

(क)	कुशाग्र	६६
(ख)	औसत	६५
(ग)	कमजोर	८१
(घ)	अत्यंत कमजोर	५८

हम देखते हैं कि इस प्रकार के छात्र पढ़ने लिखने में साधारण कोटि के होते हैं इसके बाद क्रमश: तेज, पिछड़े एवं बहुत तेज वर्ग के छात्र आते हैं।

इसी प्रकार ऐसे छात्रों की बुद्धि का स्तर [illegible] अधिकांशत: औसत एवं कभी कभी कमजोर वर्ग का होता है। इसके बाद क्रमश: कुशाग्र और अत्यंत कमजोर कोटि के छात्रों का वर्ग आता है।

अब हम आगामी पृष्ठों पर शेष तीन बाल अपराधी घटनाओं एवं परिस्थितियों का वर्णन करेंगे।

अध्याय - ५

बाल - अपराधी घटनायें

हम पिछले अध्ययन में देख ही चुके हैं कि कक्षा से भागने वाले, चोरी करने वाले और झगड़ा करने की बाल अपराधी घटनायें पाठशाला के किन स्थानों में एवं कौन सी परिस्थितियों में घटित होती हैं। अब हम इस अध्याय में अधोलिखित बाल अपराधी घटना - चक्रों एवं समय का अध्ययन करेंगे।

(अ) अवज्ञा करना।

(ब) झूठ बोलना।

(स) धूम्रपान करना।

इस सम्भाग के १४२ शिक्षकों और ४३ प्राचार्यों के दिये गये जानकारी के आधार पर इन पृष्ठों पर विवरण दिया गया है।

(अ) अवज्ञा करना

अवज्ञा करना अन्य उपरोक्त वर्णित बाल अपराधों की भांति भले ही उतना आक्रमक अथवा गम्भीर न हो परन्तु यह अवश्य ही एक सामाजिक, शैक्षिक एवं नैतिक प्रतिमानों के विरुद्ध किया गया कार्य है। विशेषकर पाठशाला स्तर पर तो इस अपराध की महत्ता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। १४२ अध्यापकों में ३८ लोगों ने एवं ४३ में १७ प्राचार्यों ने इस बाल अपराध के बार बार दुहराये जाने की सूचना दी एवं ६० ने अपेक्षाकृत गम्भीर अपराध की कोटि में माना है। इसके अतिरिक्त जब हम पिछले अध्याय में वर्णित इस बाल अपराध के स्वरूप पर दृष्टिपात करते हैं तो छात्रों में १२.८८% और छात्राओं में १४.५२% अवज्ञा करने वाले देखते हैं। इससे इस अपराध की महत्ता और भी स्पष्ट हो जाती है।

पाठशालीय स्तर पर इस वर्ग के बाल अपराधियों का होना अस्वाभाविक नहीं है। अतः शिक्षालय के अनुशासनहीनता की पृष्ठ भूमि में इन्हीं बाल अपराधियों का सबसे महत्व पूर्ण योगदान होता है। अवज्ञाकारी बालक अपने व्यवहार से केवल अपनी ही हानि नहीं करते वरन् समस्त संस्था को हानि पहुंचाते हैं। अतएव ऐसे बालक निश्चय ही बाल अपराध की कोटि में गिने जा सकते हैं। अवज्ञा सभी लोग किसी न किसी रूप में करते हैं परन्तु अगर यह बार बार दुहराई जाती है तो वह अवश्य ही अक्षम्य अपराध है।

शिक्षकों द्वारा प्रदान किये गये उत्तरों के आधार पर इस बाल - अपराधी घटना से सम्बंधित समय एवं परिस्थितियों का विवरण देंगे।

किसकी आज्ञा भंग करते हैं ?

(क)	विभागीय नियम आदि	---	८२
(ख)	प्रधानाध्यापक की आज्ञा	---	४२
(ग)	शिक्षक की आज्ञा	---	६०

उपरोक्त उत्तरों से स्पष्ट है कि छात्र सबसे अधिक विभागीय नियमों की अवहेलना करते पाये जाते हैं इसके बाद क्रमशः शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक की आज्ञाओं की अवज्ञा करते हैं। कुछ अध्यापकों ने यह भी मत दिया ऐसे बाल अपराधी छात्र प्रायः सभी की आज्ञाओं एवं निर्देशों की अवहेलना करते हैं। विभागीय नियम से अर्थ यह है कि वे नियम जो छात्रों के सम्बंध में पाठशाला द्वारा निर्देशित किये जाते हैं जैसे छात्रों की एक समान पोशाक आदि के हेतु, समय पर उपस्थित आने के लिये, फीस आदि जमा करने के सम्बंध में आदि।

सत्र

(क)	आरम्भ में	---	६७
(ख)	मध्य में	---	८५
(ग)	अन्त में	---	५५
(घ)	विशेष अवसरों पर	---	६७

उक्त उत्तर अंकों से मालूम होता है कि सत्र के विशेष अवसरों पर जैसे छात्र संघ के चुनाव, गेम्स कैप्टन के चुनाव, पाठशाला के सांस्कृतिक समारोहों अथवा वार्षिक खेल कूद के अवसर पर सबसे अधिक अवज्ञाकारी छात्रों को देखते हैं। इसके बाद क्रमश: सत्र के मध्य, आरम्भ और अंतिम भाग में अवज्ञा के स्वरूप को देखते हैं।

सत्र के उपरोक्त कालों में छात्रों में अवज्ञा करने की घटनाओं के होने में निम्नांकित परिस्थितियां सहायक होती हैं :-

(क) पाठशाला में होने वाले विशेष समारोह एवं छात्र संघ के चुनाव आदि जिसमें इनको पर्याप्त स्वतंत्रता रहती है।

(ख) अत्यंत ढीले नियंत्रण के बाद यकायक छात्रों को अनुशासित करने का प्रयत्न करने से।

(ग) कक्षा में अत्यंत ही कठोर नियंत्रण का पालन करने से।

(घ) शिक्षकों द्वारा कभी कभी छात्रों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने से एवं कभी कभी प्रधानाध्यापकों द्वारा भी छात्रों के व्यक्तिगत बातों में हस्तक्षेप किये जाने से।

(ङ०) सत्र के आरम्भ से ही ऐसे कड़े नियमों को लागू करना, जिनका पालन करना सभी छात्रों के लिये मुश्किल होना।

उपरोक्त विवरण उत्तर अंको के क्रमांक के अनुसार ही है। उत्तर क्रमश: १०७, ६४, ८९, ६४ और ५० हैं।

सप्ताह

(क) आरम्भ में	---	६३
(ख) मध्य में	---	८३
(ग) अन्त में	---	७५

उपरोक्त उत्तरों से स्पष्ट होता है कि सप्ताह के मध्य में छात्र सबसे अधिक अवज्ञा करते हैं इसके बाद क्रमश: सप्ताह के अन्तिम और आरम्भिक दिवस में।

सप्ताह के उपरोक्त तीनो भागों में छात्रों में अवज्ञा करने की घटनाओं के होने में निम्नांकित परिस्थितियां सहायक होती हैं :-

(क) सप्ताह के आरम्भ से ही अनुशासन के नियमों का ठीक से पालन न करना ।

(ख) सप्ताह के अंत में छात्रों के जल्दी घर पहुंचने की खुशी में ।

(ग) सप्ताह में मध्य में अधिक गृह कार्य मिलने से ।

(घ) पूरे सप्ताह लगातार केवल पढ़ाई होने से छात्रों के ऊब जाने से ।

उपरोक्त परिस्थितियों के सम्बंध में शिक्षकों द्वारा दिया गया उत्तर अंक इस प्रकार है : ६६, ८५, ७४, ५७ ।

घंटों में (PERIODS)

(क)	प्रथम घंटे में	---	८१
(ख)	मध्यावकाश में	---	१०४
(ग)	मध्यावकाश के बाद	---	७७
(घ)	अंतिम घंटे में	---	६४

शिक्षकों के दिये गये उपरोक्त उत्तरों के देखने से स्पष्ट होता है कि छात्र सबसे अधिक मध्यावकाश और अंतिम घंटों में अवज्ञा करते हैं । इसके बाद क्रमश: प्रथम और मध्यावकाश के बाद आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं ।

उपरोक्त घंटों में छात्रों में अवज्ञा करने की घटनाओं के होने में निम्नांकित परिस्थितियां सहायक होती हैं ।

(क) गृह कार्य पूरा न करने के कारण शिक्षकों द्वारा डांटने से ।

(ख) गृह कार्य पूर्ण न कर सकने पर शिक्षकों द्वारा पीटे जाने से ।

(ग) मध्यावकाश में शाला के वर्जित स्थानों में जाकर ।

(घ) कक्षा में ठीक पढ़ाई न होने से ।

उक्त विवरणों में उत्तर क्रम इस प्रकार है : ८६, ७८, ७३ और ६१ ।

अवकाशों में

(क)	अवकाश आरम्भ होने के पूर्व	---	७०

(ख) अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिवस में १०५

(ग) माह के अंतिम दिवस में --- ८९

उपरोक्त उत्तर अंकों से स्पष्ट मालूम होता है कि अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिनों में सबसे अधिक अवज्ञा करने की घटनायें घटित होती हैं इसके बाद क्रमश: माह के अंतिम दिवस में एवं अवकाश आरम्भ होने के पूर्व ऐसी घटनायें घटित होती हैं।

ऊपर दिये गये अवकाशों में छात्रों में अवज्ञा करने की घटनाओं में निम्नांकित परिस्थितियां सहायक होती हैं :-

(क) स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिनों में(पढ़ने में)छात्रों का मन न लगना।

(ख) गृह कार्य पूरा न करने के कारण दंड पाने से।

(ग) अवकाश के पूर्व ही अवज्ञा करके घर चले जाना।

शिक्षकों के द्वारा क्रमश: उत्तर इस प्रकार हैं : ९२, ७६, ६४।

<u>परीक्षा के दिनों में</u>

(क) आरम्भिक दिनों में --- ५३

(ख) मध्य दिवस में --- ९१

(ग) अंतिम दिनों में --- ६७

उपरोक्त उत्तरों से मालूम होता है कि परीक्षा के मध्य दिवस में सबसे अधिक अवज्ञा करने की घटनायें घटित होती हैं। इसके बाद क्रमश: परीक्षा के अंतिम और आरम्भिक दिनों में इस प्रकार की घटनायें घटित होती हैं।

परीक्षा के उपरोक्त दिनों में अवज्ञा करने के निम्नांकित परिस्थितियां सहायक हैं :-

(क) परीक्षा में निरीक्षकों द्वारा नकल आदि करने वाले छात्रों को मना करने से।

(ख) परीक्षा की तैयारी ठीक न होने से गलत तरीकों को अपनाना ।

(ग) परीक्षा सम्बंधी पूर्व नियमों का भंग करना ।

इन विवरणों का आधार शिक्षकों के दिये गये उत्तर अंकों के आधार पर है जो इस प्रकार है : ६३, ६०, और ७६ ।

उत्प्रेरणा

अधोलिखित बातों से उत्साहित होकर छात्र पाठशालीय स्तर पर अवज्ञा कर बैठते हैं :-

(क) नेतृत्व की इच्छा के वशीभूत होकर ।

(ख) दूसरे से प्रशंसा पाने की इच्छा से ।

(ग) अन्य साथियों को देखकर ।

(घ) अवज्ञा करने वाले छात्रों को दंडित न होते देख कर ।

(ङ०) किसी छात्र को दी गई सजा के विरोध में ।

उक्त विवरणों के उत्तर अंक इस तरह से हैं :-
६२, ८३, ७५, ६१ और ६० ।

व्यवहार

(क) मैत्रीपूर्ण	---	७६
(ख) सामान्य	---	६१
(ग) अमैत्रीपूर्ण	---	५८

स्वभाव

(क) झगड़ालू	---	६४
(ख) संकोची	---	७१
(ग) विद्वेषी	---	७५

उपरोक्त दोनों वर्गों में उत्तर अंकों को देखकर यह मालूम होता है कि अवज्ञाकारी छात्रों का व्यवहार अधिकांश रूप में मैत्रीपूर्ण ही होता है। इसके बाद क्रमश: विद्वेषी और संकोची वर्ग के छात्र होते हैं ।

इसके बाद जब हम द्वितीय वर्ग की तरफ देखते हैं तो स्पष्ट मालूम होता है कि आज्ञाओं की अवहेलना करने वाले बाल अपराधियों का स्वभाव अधिकतर झगड़ालू होता है। इसके बाद क्रमश: विद्वेषी और संकोची वर्ग के छात्र आते हैं।

शारीरिक स्थिति

(क)	बहुत बलशाली	---	५६
(ख)	बलशाली	---	८०
(ग)	साधारण	---	६६
(घ)	कमजोर	---	६६
(ङ०)	अत्यंत कमजोर	---	५८

उपरोक्त दिये गये उत्तरों से स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के अधिकांश बाल अपराधी छात्र बलशाली होते हैं इसके बाद क्रमश: साधारण, कमजोर, अत्यंत कमजोर और बहुत बलशाली वर्ग के छात्र आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं।

आर्थिक स्तर

(क)	धनी	---	६१
(ख)	मध्यम	---	७८
(ग)	गरीब	---	६१
(घ)	अत्यंत गरीब	---	५८

उक्त विवरण से मालूम होता है कि इस तरह के छात्र अधिकतर मध्य वर्गीय आर्थिक स्तर के होते हैं पर दूसरी ओर हम धनी और गरीब वर्ग को भी प्राय: किसी न किसी रूप में समान ही पाते हैं। अत्यंत गरीब वर्ग के छात्र बहुत ही कम होते हैं।

पढ़ने लिखने में

(क)	बहुत तेज	---	७०
(ख)	तेज	---	७६

(ग) साधारण	---	५७
(घ) पिछड़े	---	७७

बुद्धि स्तर

(क) कुशाग्र	---	५६
(ख) औसत	---	६१
(ग) कमजोर	---	७५
(घ) अत्यंत कमजोर	---	६८

ऊपर दिये गये विवरण से स्पष्ट मालूम होता है कि अवज्ञाकारी छात्र पढ़ने लिखने में अधिकतर तेज वर्ग के ही होते हैं। इसके बाद क्रमश: पिछड़े और बहुत तेज वर्ग के भी छात्र ही होते हैं। साधारण वर्ग के छात्र सामान्यत: सबसे कम अवज्ञाकारी होते हैं।

दूसरे वर्ग के तरफ दृष्टिपात करने से मालूम होता है कि आज्ञा न मानने वाले अपराधी अधिकांशत: औसत बुद्धि स्तर के ही छात्र होते हैं। इसके बाद क्रमश: कमजोर और अत्यंत कमजोर वर्ग के छात्र आते हैं। कुशाग्र बुद्धि के छात्र सामान्यतया कम अवज्ञाकारी होते हैं।

(ब) झूठ बोलने वाले

बालक बहुधा झूठ बोलते हैं। बालक बहुधा खेल खेल में झूठ बोला करते हैं। खेल में इस प्रकार के झूठ से व्यक्तित्व के विकास में हानि नहीं पहुंचती। कभी कभी कल्पना और सत्य में भेद न कर सकने के कारण झूठ बोलते हैं। कुछ लड़के दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिये एवं डींग हांकने के लिये झूठ बोला करते हैं। ऐसे ही लड़के दूसरे की व्यर्थ शिकायत भी किया करते हैं। लड़के डांट, मार अथवा निन्दा के भय से भी झूठ बोलते हैं। किसी चीज के टूट या खराब हो जाने अथवा कोई गम्भीर

त्रुटि कर डालने पर अपने अपराध को छिपाने के लिये भी झूठ बोल दिया करते हैं। कभी कभी बालक अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये झूठ बोला करते हैं। कुछ लोग हमेशा ही झूठ बोलने में ही अपनी श्रेष्ठता समझते हैं।

झूठ बोलना सभी दृष्टियों से बुरा है क्योंकि इससे दूसरों को असुविधा हो जाती है। साधारण तौर पर झूठ बोलना एक बुरी बात है, यह तो मानना ही पड़ेगा। फिर भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत काफी झूठ बोलते हैं। लड़के लड़कियों में यह बात प्राय: किशोरावस्था में अधिक पाई जाती है। लेकिन [redacted] ये असत्य भाषण क्षम्य नहीं समझे जा सकते। चूंकि उन्होंने उत्तरदायित्व की अवस्था प्राप्त कर ली है, जबकि उनकी बातों का मूल्य होता है। अगर वे असत्य बोलें तो औरों को असुविधा में पड़ना लाजमी हो जाता है। १

"झूठ बोलना वैसे अपराध की कोटि में नहीं आता परन्तु अगर वह लगातार बोला जाता है एवं इसके द्वारा दूसरों की हानि होती है तब झूठ बोलना निश्चय ही अपराध की कोटि में माना जायगा।"२ पाठशाला स्तर पर तो छात्रों में - विशेषकर छात्राओं में झूठ बोलने की अधिकतर घटनायें घटित होती हैं। हम पिछले अध्याय में झूठ बोलने वालों के बारे में देख चुके हैं कि छात्रों में २६.४७% एवं छात्राओं में ३३.८५% झूठ बोलने वाली होती हैं। इसके अतिरिक्त १४२ शिक्षकों में से ७८ ने इसको अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर अपराध कहा है। शिक्षालय स्तर पर इस अपराध के बार बार दुहराये जाने का समर्थन हमें ५७ शिक्षकों के एवं २४ प्राचार्यों के उत्तरों से प्राप्त होता है।

अत: शिक्षालय स्तर पर ऐसे बाल अपराधी छात्रों का एवं उनसे सम्बंधित स्थान एवं घटना चक्रों का विवरण शिक्षकों द्वारा दिये गये उत्तरों पर आधारित है। इन्हीं उत्तरों पर आधारित

---

१ Cyril Burt — "Young Delinquent." PP. 376

२ Dwarika Prasad — "बालक-बालिकाओं की मनोवैज्ञानिक समस्यायें" पृष्ठ १४-१५

है। इन्हीं उत्तरों के आधार पर हम अध्ययन प्रस्तुत करेंगे।

किनसे अधिक झूंठ बोलते हैं ?

(क) आपस में --- ६६

(ख) प्रधानाध्यापक से --- ७२

(ग) शिक्षक से --- ८२

(घ) कक्षा मानीटर से --- ६०

उत्तर अंकों से मालूम होता है कि छात्र सबसे अधिक आपस में झूंठ बोलते हैं इसके बाद क्रमशः यथावसर कक्षा मानीटर, अध्यापक एवं अपने प्रधानाचार्य से झूंठ बोलने में नहीं हिचकते।

सत्र

(क) आरम्भ में --- ६१

(ख) मध्य में --- ७१

(ग) अन्त में --- ६२

(घ) विशेष अवसरों पर --- ६०

सप्ताह

(क) आरम्भ में --- ६७

(ख) मध्य में --- ७३

(ग) अन्त में --- ६३

समय के उपरोक्त दो विभागों के उत्तरों को देखकर स्पष्ट होता है कि छात्र सत्र के विशेष अवसरों पर, जैसे छात्र संघ के चुनाव, वार्षिक खेल कूद एवं सांस्कृतिक कार्य क्रमों के समय सबसे अधिक झूंठ बोलते हैं इसके बाद क्रमशः सत्र के मध्य, अंत और आरम्भिक दिवसों में अपेक्षाकृत अधिक झूंठ बोलते हैं।

इसी प्रकार जब साप्ताहिक दृष्टिकोण को सामने रखकर देखते हैं तो पता चलता है कि सप्ताह के मध्य में सबसे अधिक इस बाल अपराध का स्वरूप देखा जाता है इसके बाद क्रमशः सप्ताह के आरम्भिक एवं अंतिम दिवस में इस प्रकार की घटनायें घटित होती हैं।

घंटे में (PERIOD)

(क)	प्रथम घंटे में	---	६७
(ख)	मध्यावकाश के पहिले	---	६६
(ग)	मध्यावकाश में	---	५५ ८७
(घ)	मध्यावकाश के बाद	---	५५
(ङ०)	अंतिम घंटे में	---	७८

इस समय सबसे अधिक मध्यावकाश में छात्र झूंठ बोलते हैं इसके बाद क्रमश: अंतिम घंटों में, मध्यावकाश के पहिले, प्रथम घंटे में और सबसे अधिक मध्यावकाश में उक्त बाल अपराधी घटनायें घटित होती हैं।

अवकाशों में

(क)	अवकाश आरम्भ होने के पूर्व	---	६६
(ख)	अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिवस में	---	६५
(ग)	माह के अंतिम दिवस में	---	७८

परीक्षा के दिनों में

(क)	आरम्भिक दिनों में	---	५८
(ख)	मध्य दिवस में	---	८४
(ग)	अंतिम दिनों में	---	६८

उपरोक्त दोनों वर्गों में शिक्षकों के उत्तरों के अनुसार हम देखते हैं कि अवकाशों में सबसे अधिक स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिनों में ही छात्र झूंठ बोलते हैं। इसके बाद क्रमश: माह के अंतिम दिवस में जब छुट्टी हो जाने की आशा रहती है।

परीक्षा के मध्य दिवस में सबसे अधिक झूंठ बोलते हैं। इसका स्पष्ट रूप तो परीक्षा काल में, छात्रों के द्वारा परीक्षा भवन में, अथवा बाहर सबसे अधिक इस बाल अपराध का प्रदर्शन किया

जाता है । इसके बाद क्रमश: परीक्षा के अंतिम एवं आरम्भिक दिनों में झूंठ बोलते हैं । परीक्षा में किसी भी प्रकार उत्तीर्ण होने की धुन में अधिकांश छात्र इस काल में सर्वाधिक झूंठ बोलते हुये स्पष्ट देखे जा सकते हैं ।

उत्प्रेरणा

(क) दूसरों को देखकर --- ७५

(ख) आत्मतुष्टि के लिये --- ४६

(ग) अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिये --- ४८

(घ) अपनी पढ़ाई की कमजोरी छिपाने के हेतु ६७

(ङ०) अपनी त्रुटि छिपाने के लिये --- ६५

इन उत्तर अंकों से मालूम होता है कि छात्र दूसरों को देखकर एवं अपनी पढ़ाई की कमजोरी छिपाने के लिये अधिकांश रूप में झूंठ बोलते हैं । इसके बाद क्रमश: अपनी त्रुटियों को छिपाने, आत्मतुष्टि के लिये एवं अपने को श्रेष्ठ घोषित करने के प्रयत्न में झूंठ बोलते हैं ।

परिस्थितियां

इस सम्बंध में शिक्षकों द्वारा प्रदान किये उत्तरों का क्रम इस प्रकार है :- ६८, ७६, ७४, ६०, ५१, ५० । इन्हीं उत्तरों के क्रम से छात्रों के द्वारा झूंठ बोलने की घटनाओं में अधोलिखित परिस्थितियां सहायक होती हैं :-

(क) पढ़ाई में मन न लगने से ।

(ख) शिक्षक की मार की डर से ।

(ग) पढ़ने में आलसी होने से ।

(घ) कक्षा के अत्यंत कड़े नियंत्रण से मुक्ति पाने के लिये झूंठ बोल कर "छुटकारे" का प्रयत्न करना ।

(ङ०) शिक्षक द्वारा झूठी प्रशंसा पाने के लिये ।

(च) शिक्षकों का अनुकरण करके ।

यहां यह स्पष्ट कर देना अप्रासंगिक न होगा कि झूंठ बोलने वाले छात्र तो हर घड़ी और हर समय ही झूंठ बोलते हैं। परन्तु ध्यान देने पर ऐसी बात नहीं मालूम पड़ती है शाला स्तर पर देखने से उपरोक्त वर्णित अवसरों का भी मुख्य हाथ होता है। क्योंकि बालक परिस्थितियों एवं स्थान के अनुसार ही अपना कार्य व्यवहार करता है। अतएव इसी बात को ध्यान में रखकर पाठशाला के अन्तर्गत विभिन्न अवसरों को दृष्टि में रखकर इस बाल अपराध से सम्बंधित उपरोक्त विवरण प्रस्तुत किये गये हैं।

व्यवहार

(क) मैत्री पूर्ण	---	७६
(ख) सामान्य	---	९०
(ग) अमैत्री पूर्ण	---	६०

स्वभाव

(क) झगड़ालू	---	६१
(ख) संकोची	---	५३
(ग) विद्वेषी	---	७५

उक्त वर्णित दोनों वर्गों में जब हम दृष्टिपात करते है तब पता चलता है कि झूंठ बोलने वाले छात्रों का व्यवहार अधिकांश रूप में सामान्य और मैत्री पूर्ण होता है।

दूसरी ओर ऐसे छात्रों का स्वभाव अधिकांश रूप में विद्वेषी एवं झगड़ालू होते हैं।

शारीरिक शक्ति

(क) बहुत बलशाली	---	५२
(ख) बलशाली	---	६२
(ग) साधारण	---	९७
(घ) कमजोर	---	७५

(ङ०) अत्यंत कमजोर --- ६२

आर्थिक स्तर

(क) धनी --- ७९

(ख) मध्यम --- ६२

(ग) गरीब --- ५६

झूठ बोलने वाले छात्र अधिकांश रूप में साधारण एवं कमजोर शारीरिक स्थिति के होते हैं। परन्तु कुछ छात्र बलशाली एवं अत्यंत कमजोर वर्ग के भी होते हैं। बहुत बलशाली वर्ग के छात्र बहुत ही कम हैं।

पढ़ने लिखने में

(क) बहुत तेज --- ५४

(ख) तेज --- ६२

(ग) साधारण --- ८३

(घ) पिछड़े --- ७२

बुद्धि स्तर

(क) कुशाग्र --- ५५

(ख) औसत --- ८३

(ग) साधारण --- ७४

(घ) अत्यंत कमजोर --- ५६

उपरोक्त विवरण से मालूम होता है कि झूठ बोलने वाले छात्र अधिकांश रूप में पढ़ने लिखने में साधारण एवं पिछड़े रहते हैं। इसके बाद क्रमशः कुछ तेज और बहुत तेज वर्ग के भी होते हैं, परन्तु अपेक्षाकृत संख्या में कम ही होते हैं।

ऐसे छात्रों का बुद्धि स्तर भी अधिक तर औसत एवं साधारण कोटि का होता है। इसके बाद कुछ छात्र क्रमश: अत्यंत कमजोर एवं कुशाग्र कोटि के भी छात्र होते हैं परन्तु उनकी संख्या कम ही होती है।

(स) धूम्रपान करने वाले

कुछ बच्चों में धूम्रपान करने की आदत देखी जाती है। इस आदत में विशेष कर जिज्ञासा और अनुकरण प्रवृत्ति का ही हाथ रहता है। बालक दूसरों की देखा देखी धूम्रपान करना सहज ही सीख लेते हैं। उसे यह जानने की उत्कट इच्छा होती है कि बीड़ी, सिगरेट आदि पीना कैसा लगता है। अत: वह भी वैसा ही करने लगता है। बड़ों द्वारा धूम्रपान करते हुये देखकर बालक कदाचित यह समझने लगता है कि धूम्रपान करना बड़ों का चिन्ह है। अत: दूसरों की दृष्टि में अपने को बड़ा दिखाने के लिये भी बालक गण धूम्रपान करना सीख लेते हैं।

पाठशाला स्तर पर तो आजकल छात्रों द्वारा धूम्रपान करना एक सामान्य सी बात होती जा रही है। प्रस्तुत अध्ययन में हम देख ही चुके हैं कि कक्षा १० और ११ के छात्रों में धूम्रपान का प्रतिशत ३४.६४% है अर्थात् यह बाल अपराध बालकों में अन्य अपराधों की अपेक्षा सबसे अधिक है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक तीन छात्रों के बाद एक छात्र धूम्रपान करने वाले हैं। ४८ शिक्षकों ने इस अपराध को अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर अपराध माना है और वस्तुत: है भी। क्योंकि धूम्रपान हर दृष्टि से हानिकारक है। इसीलिये आधुनिक सभ्यता में अग्रणी कई पश्चिमी देशों के बालकों का धूम्रपान करना अपराध घोषित कर दिया है और इस नियम का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है।[१] दूसरी ओर स्वदेश में केवल पंजाब, बंगाल, आसाम और मध्य प्रदेश को छोड़कर अभी इस प्रकार का कोई नियम लागू नहीं हुआ है।[2]

---

१ "Hindustan" (Daily) Vol. 30-1. Jan. 31, 1962.
२ "Social Welfare" Vol. V. No. II Feb. 1959. PP. 7.

" बिहार एजुकेशन कोड में स्कूल के अंदर किसी छात्र को धूम्रपान करने की मनाही की है, इसे जुर्म करार दिया है। लेकिन ज्यादातर बीड़ी सिगरेट पीते देखे जा सकते हैं।" १

इस प्रकार हम देखते हैं कि नियमों का यथोचित पालन कुछ कड़ाई से नहीं किया जाता है।

बालकों द्वारा धूम्रपान करना प्रत्येक दृष्टि से अनैतिक, अवैधानिक एवं असमाजिक कार्य है। अतः धूम्रपान करने वाला बालक निस्संदेह बाल अपराधी कहा जा सकता है। क्योंकि वह अपने कार्य के द्वारा स्वयं की हानि तो करता ही है दूसरी ओर समाज एवं शाला के द्वारा प्रतिपादित प्रतिमानों का भी उल्लंघन करता है।

१४२ शिक्षकों द्वारा प्राप्त उत्तरों के आधार पर अब हम इन धूम्रपान करने वाले छात्रों के विभिन्न घटना-चक्रों का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

कुल ६८ शिक्षकों के एवं २६ प्राचार्यों के द्वारा यह मालूम हुआ कि यह बाल अपराध अपेक्षाकृत अधिक बार दुहराया जाता है।

यहां पुनः स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा कि धूम्रपान करने वाला छात्र तो हर समय और हर जगह धूम्रपान करेगा ही। प्रस्तुत अध्ययन चूंकि केवल पाठशाला तक ही सीमित है परन्तु स्कूल में कुछ विशेष स्थान, परिस्थितियां एवं अवसरों पर ही छात्रों को धूम्रपान करने का अवसर मिलता है। अतएव इन्हीं अवसरों एवं घटना चक्रों को ध्यान में रखकर विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सत्र		
(क) आरम्भ में	——	५६
(ख) मध्य में	——	६६
(ग) अन्त में	——	६६
(घ) विशेष अवसरों पर	——	८०

---

1. द्वारिका प्रसाद — "बालक-बालिकाओं की मनोवैज्ञानिक समस्यायें" पृष्ठ ३८.

उक्त उत्तर अंकों से स्पष्ट हो जाता है कि सत्र के विशेष अवसरों पर, जैसे छात्र संघ के चुनाव, वार्षिकोत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अवसर पर छात्र सबसे अधिक उपरोक्त अपराध करते हैं। इसके बाद क्रमश: सत्र के अन्त, मध्य और आरम्भिक दिवस में यथावसर मनोनुकूल समय में धूम्रपान करते हैं।

सप्ताह

(क) आरम्भ में --- ८२

(ख) मध्य में --- ११४

(ग) अंत में --- ६५

घंटे में (PERIOD)

(क) प्रथम घंटे में --- ४६

(ख) मध्यावकाश के पहिले --- ४४

(ग) मध्यावकाश में --- १०२

(घ) मध्यावकाश के बाद --- ७०

(ङ) अंतिम घंटे में --- ७६

उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि सप्ताह के मध्य भाग में छात्र धूम्रपान सबसे अधिक करते हैं इसके बाद क्रमश: सप्ताह के अंतिम एवं प्रारम्भिक दिवस में करते हैं।

धूम्रपान करने वाले छात्र मध्यावकाश में सर्वाधिक धूम्रपान करते पाये जा सकते हैं। इसके बाद क्रमश: अंतिम, प्रथम एवं मध्यावकाश के पहिले यथावसर एवं स्वतंत्र होने पर धूम्रपान करते हैं।

अवकाश में

(क) अवकाश आरम्भ होने के पूर्व --- ६४

(ख) अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिवस में --- ८४

(ग) माह के अंतिम दिवस में --- ७६

परीक्षा के दिनों में

(क) परीक्षा के आरम्भिक दिनों में --- १०७

(ख) परीक्षा के मध्य दिवस में --- ७६

(ग) परीक्षा के अंतिम दिवस में --- ६७

ऊपर दिये गये दोनों वर्गों के अध्ययन से मालूम होता है कि अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिवस में एवं माह के अंतिम भाग में जब छुट्टी होने की सम्भावना रहती है, छात्र सबसे अधिक धूम्रपान करते हैं।

इसी प्रकार परीक्षा के दिनों के आरम्भिक भाग में एवं अंतिम भाग में छात्र सबसे अधिक धूम्रपान करते हैं क्योंकि इसी समय वे अवकाश में होते हैं।

परिस्थितियां

इसमें शिक्षकों द्वारा दिया गया उत्तर अंक इस प्रकार है : ७६, ६८, ६५, ६५। इन्हीं उत्तर क्रमों के अनुसार ही हम विवरण देंगे। अधोलिखित परिस्थितियों के वशीभूत होकर छात्रों में धूम्रपान करने की घटनायें अधिकांश रूप में घटित होती हैं :-

(क) साथियों को धूम्रपान करतेदेखकर।

(ख) शिक्षकों को धूम्रपान करते देखकर।

(ग) घर से कभी कभी अधिक पैसा मिलने पर।

(घ) कहीं कहीं घरेलू व्यवसाय (जैसे बीड़ी, तम्बाकू का व्यवसाय का प्रभाव भी बालक पर पड़ता है।

उत्प्रेरणा

(क) शिक्षकों को देखकर --- ६१

(ख) यौन प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर --- ५६

(ग) अपने को श्रेष्ठ बताने के लिये --- ५८

(घ) पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन देखकर --- ५६

(ङ०) घर का वातावरण --- ६६

उपरोक्त विवरण को देखने से मालूम होता है कि छात्र धूम्रपान करने की उत्प्रेरणा सबसे अधिक घर के वातावरण से एवं शिक्षकों से प्राप्त करते हैं। इसके बाद क्रमश: यौन प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर, पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन देखकर एवं अपने को श्रेष्ठ बताने के लिये भी धूम्रपान करना आरम्भ कर देते हैं।

स्वभाव

(क)	झगड़ालू	----	६७
(ख)	संकोची	----	६०
(ग)	विद्वेषी	----	५६

व्यवहार

(क)	मैत्री पूर्ण	----	८०
(ख)	सामान्य	----	७६
(ग)	अमैत्री पूर्ण	----	६२

उक्त वर्णित दोनो वर्गों में शिक्षकों द्वारा दिये गये उत्तर अंकों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि धूम्रपान करने वाले छात्र अधिकांशत: झगड़ालू एवं संकोची स्वभाव के होते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें विद्वेष की मात्रा भी अपेक्षाकृत अधिक होती है।

लेकि इनका व्यवहार अधिकांश रूप में मैत्रीपूर्ण एवं सामान्य रहता है। ऐसे छात्रों को मित्र संख्या बढ़ते देर नहीं लगती। परन्तु इनमें कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिनका स्वभाव झगड़ालू होने के कारण उनका व्यवहार भी अधिकांशत: अमैत्रीपूर्ण होता है।

आर्थिक स्तर

(क)	धनी	----	८०
(ख)	मध्यम	----	८८
(ग)	गरीब	----	७७

इसको देखकर मालूम होता है कि धूम्रपान करने वाले अधिकांश छात्र मध्य वर्गीय आर्थिक स्तर के होते हैं परन्तु धनी और गरीब छात्रों की संख्या भी अपेक्षाकृत अधिक ही होती है।

शारीरिक शक्ति

(क)	बहुत बलशाली	--- ५८
(ख)	बल शाली	--- ४८
(ग)	साधारण	--- ५२
(घ)	कमजोर	--- ७२
(ङ०)	अत्यंत कमजोर	--- ५६

धूम्रपान करने वालों का शारीरिक स्तर विशेष अच्छा नहीं होता है जैसा कि उपरोक्त उत्तर अंकों से स्पष्ट है। ऐसे छात्र अधिकांश कमजोर वर्ग के होते हैं। इसके बाद बहुत बलशाली, अत्यंत कमजोर और बलशाली वर्ग के छात्र आते हैं।

पढ़ने लिखने में

(क)	बहुत तेज	--- ६८
(ख)	तेज	--- ८७
(ग)	साधारण	--- ११३
(घ)	पिछड़े	---- ८१

बुद्धि स्तर

(क)	कुशाग्र	--- ६०
(ख)	औसत	--- ८७
(ग)	साधारण	--- ७८
(घ)	अत्यंत कमजोर	--- ६३

उपरोक्त दोनों पक्षों के उत्तर अंकों से स्पष्ट हो जाता है कि धूम्रपान करने वाले अधिकांश छात्र पढ़ने लिखने में साधारण कोटि के होते हैं। इसके बाद क्रमशः बहुत तेज और पिछड़े वर्ग के छात्र आते हैं।

इसी प्रकार बुद्धि स्तर के क्षेत्र में ऐसे अधिकांश छात्र औसत बुद्धि स्तर के होते हैं। इसके बाद क्रमश: साधारण, अत्यंत कमजोर एवं कुशाग्र वर्ग के छात्र आते हैं।

अब हम उच्चतर माध्यमिक शालाओं के प्राचार्यों द्वारा दिये गये उत्तरों के आधार पर बाल अपराधी घटनाओं के घटित होने में सम्भावित परिस्थितियों के दर्शन करेंगे। इस सम्बंध में अधिकांश प्राचार्यों ने अत्यंत रुचि लेकर उत्तर दिया, विशेषकर कुछ प्राचार्यों ने तो इस सम्बंध में अध्ययनकर्ता की प्रश्नावली के अतिरिक्त अलग पत्र लिखकर भी अपना विचार व्यक्त किया है। कुल ४३ प्राचार्यों ने इस सम्बंध में अपना विचार व्यक्त किया। इन्हीं प्राचार्यों के उत्तरों के आधार पर बाल अपराधी घटनाओं से सम्बंधित परिस्थितियों का विवरण दिया गया है :-

(क) शिक्षकों में उत्तर दायित्व की भावना की कमी -- २८

(ख) अभिभावकों की उदासीनता -- ३०

(ग) पाठशाला में खेल कूद की पर्याप्त व्यवस्थाओं की कमी -- -- २६

(घ) पाठशाला की स्थिति खराब होने से -- २४

(ङ०) उचित निर्देशन न मिलने से -- २७

(च) बाह्य वातावरण से -- ३६

(छ) इस दिशा में कड़ी निगरानी की कोई ठीक व्यवस्था न होने से -- -- १६

(ज) अनुशासन की ढिलाई से -- -- २१

आचार्यों द्वारा प्रदान किये गये उपरोक्त उत्तरों के अंकों को देखकर मालूम होता है कि पाठशालाओं में बाल अपराधी घटनाओं के घटित होने में उपरोक्त परिस्थितियों में, अभिभावकों की उदासीनता और स्कूल के बाह्य वातावरण का ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण योग दान है। इसके बाद क्रमश: पाठशालाओं में खेल कूद अथवा समुचित

मनोरंजन की अपर्याप्त व्यवस्था, शिक्षकों में उत्तरदायित्व की भावना की कमी, छात्रों को समुचित निर्देशन न मिलना, पाठशाला की स्थिति खराब होना, अनुशासन की ढिलाई एवं बाल अपराधी छात्रों के निगरानी की कोई समुचित व्यवस्था न होने से भी बाल अपराधी घटनायें घटित होती हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त आचार्यों द्वारा जिन अन्य सम्भावित परिस्थितियों का वर्णन दिया गया है उसका विवरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं :-

अधिकांश पाठशालाओं में पर्याप्त शिक्षकों का न होना, अनुभवी एवं प्रभावशाली शिक्षकों का अभाव, पाठ्यक्रम में नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा का अभाव, दलगत राजनीति, शिक्षक-छात्र-अभिभावकों से उचित सम्पर्क न होना एवं छात्र के घर के वातावरण का प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है।

बाल अपराधियों के सम्बंध में उपरोक्त अध्ययन करने के बाद अब हम अगले अध्याय में बाल अपराधियों की बुद्धि परीक्षण के आधार पर अध्ययन प्रस्तुत करेंगे।

अध्याय - ६

बाल अपराध एवं सहज बुद्धि

बाल अपराधियों की सहज बुद्धि एवं उनके द्वारा किये गये अनैतिक कार्यों के अन्तर्सम्बंध को जानने के लिये जितना अधिक अध्ययन विद्वानों के द्वारा किया गया है उतना शायद बाल अपराध के अन्य पहलुवों पर न किया गया होगा ।

कहा जाता है कि बुद्धि मात्रा भेद भी अपराध प्रवृत्ति को उत्पन्न करते हैं । प्राय: औसत बुद्धि के बालक सामाजिक नियमों को स्वीकार कर लेते हैं । पर उत्कृष्ट या हीन बुद्धि वालों के लिये यह नियम लागू नहीं होता । सामाजिक एवं नैतिक मान्यताओं को ग्रहण करने की शक्ति प्रतिभाशाली बालकों में सबसे अधिक होती है पर तब ही जब तार्किक आधार पर उनकी उपयोगिता सिद्ध न कर दी जाय । दूसरे हमारे जीवन की साधारण परिस्थिति और विद्यालयों का शिक्षा क्रम इन बालकों एवं बालिकाओं की शक्ति का समुचित उपयोग नहीं कर पाता । उनकी योग्यता अपनी अभिव्यक्ति का मार्ग न पाकर प्राय: अपराध की ओर मुड़ जाती है क्योंकि अपराधों में एक ओर तो नवीनता का आकर्षण होता है दूसरे ओर उन्हें अपनी निष्क्रियता की समस्या का समाधान भी मिल जाता है । दूसरी ओर हीन बुद्धि या निकृष्ट बुद्धि के बालकों में सामाजिक अथवा नैतिक प्रतिमानों को समझ पाने की शक्ति का अभाव होता है, अत: ये अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं ।

यद्यपि सहज बुद्धि और बाल अपराध के ठीक ठीक अन्तर्सम्बंध को यथावत् रूप से नहीं माना जा सकता है । यह कभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि एक प्रतिभा सम्पन्न छात्र अथवा हीन बुद्धि का छात्र ही बाल अपराध कर बैठेगा ।

"लेकिन यह कहा ही जा सकता है कि अधिकांश बाल अपराधी बालकों की सहज बुद्धि का स्तर अन्य अच्छे बालकों से प्राय: कम ही होता है।" १

यह सच है कि बुद्धि हीनता को ही बाल अपराध का कारण मानना आज तक सिद्ध नहीं किया जा सका है। परन्तु फिर भी अपराध का कुछ न कुछ सम्बंध सहज बुद्धि से अवश्य ही रहता है।" २

"हाल ही में प्रकाशित मेरिल (अमेरिका) के अध्ययन से पता चलता है कि अधिकांश बाल अपराधियों की बुद्धि लब्धि अन्य सामान्य बालकों की तुलना में कम थी।" ३

इस विषय पर किये गये कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन

बाल अपराध और बुद्धि स्तर के सम्बंध में किये गये कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों का विवरण इस प्रकार है :-

(१) १९१४ में डा० गोडर्ड महोदय के किये गये अध्ययन में ५०% अपराधी निकृष्ट बुद्धि के थे। ४

(२) १९२६ में बर्ट महोदय के अनुसार बाल अपराध और सहज बुद्धि में बहुत ही कम अन्तर्संम्बंध है परन्तु हीन बुद्धि लब्धि वर्ग के ही बालकों में यह अधिक देखा जाता है। इनके अध्ययन में २८% अपराधी बालक निश्चित रूप से हीन बुद्धि के बालक थे। ५

(३) हीली और ब्रानर के अनुसार उनके अध्ययन क्षेत्र के ६३%

---

१. Martin H. Numeryer — "Juvenile Delinquency" PP. 103.
२ Above writer — PP. 103.
३ Monroe — "Encyclopedia of Educational Research" PP. 645
४ Dr. Goddard — Quoted by Burt PP. 296
५ Burt — PP. 296

--बालक औसत बुद्धि के एवं १४ % हीन बुद्धि वर्ग के थे । १

उपरोक्त दिये गये अध्ययनों से यह स्पष्ट मालूम होता है कि बाल अपराध और बुद्धि स्तर का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य ही होता है । "यद्यपि इस प्रभाव को हम बाल अपराध का एक मात्र कारण नहीं मान सकते । "२ लेकिन यह बात निश्चित ही है कि बाल अपराध का एवं मानसिक स्तर का अवश्य ही कुछ सम्बंध होता है, चाहे इस सम्बंध को हम एक मात्र कारण न माने तो भी अनेकों कारणों में एक मुख्य कारण अवश्य ही मान सकते हैं ।

अतएव इस अध्ययन में रीवा सम्भाग में स्थित उच्चतर माध्यमिक शालाओं के कक्षा १० और ११ के बाल अपराधियों की सहज बुद्धि के स्तर का विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

बुद्धि परीक्षा

बुद्धि परीक्षण या तो व्यक्तिगत रूप में अथवा सामूहिक रूप में किया जाता है । एक समय में एक व्यक्ति की ही बुद्धि परीक्षा करना वैयक्तिक परीक्षा कहलाती है । बिने टरमन प्रभृति विद्वानों की बुद्धि मापने की विधियां वैयक्तिक थी । सामूहिक परीक्षा में एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा ली जा सकती है । सामूहिक परीक्षा दो प्रकार से होती है - मौखिक एवं क्रियात्मक या नान वर्बल । मौखिक विधि में कुछ प्रश्न या अभ्यास हल करने के लिये दे दिये जाते हैं किन्तु जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिये क्रियात्मक प्रश्न बनाये जाते हैं । नान वर्बल अथवा क्रियात्मक परीक्षा के अन्तर्गत चित्र, रेखा चित्र, रेखा गणित, कुछ चित्र शब्दों के स्थान पर समस्या के रूप में हल करने के लिये दिये जाते हैं । ३ लेकिन प्रत्येक मनोवैज्ञानिक परीक्षण की प्रामाणिकता, वस्तुनिष्ठता एवं उसकी एक रूपता (अनेक व्यक्तियों पर प्रयोग करके) उसके सही मूल्यांकन पर निर्भर करता है ।

---

१ William Healy + Augsta F. Bronner - "Delinquent and Criminal" - Quoted by Neurenger

२ Crow + Crow - "Adolescent Development" PP. 323. PP. 184-15

प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त
बुद्धि परीक्षण

इस अध्ययन में डा० एस० जलोटा कृत सामान्य मानसिक योग्यता - परीक्षण १९६० का संशोधित संस्करण प्रयुक्त किया गया है। यह परीक्षण सामूहिक रूप से ४० मिनट की अवधि में छात्रों पर प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह परीक्षण सरल हिन्दी भाषा में है तथा अधोलिखित विषयों पर आधारित है :-

(१) शब्द संग्रह : समानार्थी
(२) शब्द संग्रह : विलोम
(३) संख्यावली
(४) वर्गीकरण
(५) शुद्ध प्रत्युत्तर
(६) तार्किक : अनुमानित
(७) समानतापूर्ण

समानार्थी तथा विलोम शब्द वाले प्रश्नों में प्रत्येक में दस दस विषयान्तर्गत प्रश्न हैं और संख्याओं वाले प्रश्न २० हैं। तार्किक एवं वर्गीकरण वाले प्रश्नों के अन्तर्गत विषयों को स्पष्ट करने के लिये दृष्टांतपूर्ण (प्रत्येक में) एक एक विषय रखे गये हैं जिनमें से एक हल किया हुआ है। परीक्षा पत्रक में बताये गये उदाहरणों के आधार पर परीक्षार्थियों को प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ता है। वास्तविक परीक्षण काल केवल बीस मिनट का होता है। कुल प्रश्न सौ हैं।

इस परीक्षा पत्रक को जबलपुर, पटियाला, अमृतसर और सोलन में शोध कार्य करने वालों के द्वारा उपयोगी पाया गया है। इसके अतिरिक्त लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्व विद्यालय के शोध कार्य करने वाले छात्रों द्वारा भी प्रयुक्त किया गया है। जैसा कि इसके पूर्व भी

कहा जा चुका है कि इस परीक्षा पत्रक का उपयोग १८००० छात्रों पर सफलतापूर्वक किया जा चुका है । १

डा० जलोटा ने इस परीक्षा पत्रक को कक्षा ८, ९, १० तथा ११ के छात्रों के लिये प्रामाणिक सिद्ध किया है । प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य को सामने रखकर अध्ययन कर्ता ने डा० जलोटा से विशेष रूप से पूछा था कि इस सम्भाग के कक्षा १० और ११ के छात्रों की बुद्धि परीक्षा के लिये यह परीक्षा पत्रक उपयोग सिद्ध होगा अथवा नहीं । उन्होंने कृपा पूर्वक इस सम्बंध में अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करते हुये लिखा कि इस परीक्षा पत्रक का उपयोग उक्त कक्षाओं में किया जा सकता है । यह परीक्षा पत्रक छोटी छोटी पुस्तिकाओं के रूप में हैं । प्रत्येक पुस्तिका में, ऊपर लिखे हुये विभिन्न वर्गों के, लगभग १०० प्रश्न है । इन प्रश्नों को २० मिनट के अन्दर हल करना होता है ।

प्रस्तुत अध्ययन में बुद्धि परीक्षण की विधि

डा० जलोटा द्वारा निश्चित किये गये "स्कोरिंग की" द्वारा छात्रों के उत्तरों की जांच होती है । इसके बाद छात्र द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को, जलोटा द्वारा सुनिश्चित किये गये मानसिक आयु की तालिका से देख कर परीक्षार्थी की वर्तमान मानसिक आयु निकाल ली जाती है । इसके उपरान्त उसकी वास्तविक आयु के आधार पर उसकी बुद्धि लब्धि निकाली जाती है।

प्रस्तुत अध्ययन में जिन बाल अपराधियों की बुद्धि परीक्षा ली गई उनकी वास्तविक आयु को जानने के लिये सम्बंधित कक्षाओं के शिक्षकों से [illegible] व्यक्तिगत संदर्शन के आधार पर सहायता ली गई ।

बुद्धि परीक्षा पत्रक की एक प्रति परिशिष्ट में सम्मिलित है ।

---

१ Dr. Jalota : Manual of Direction.

प्रस्तुत अध्ययन में बुद्धि परीक्षण का क्षेत्र

इस अध्ययन के अन्तर्गत ६५ उच्चतर माध्यमिक शालाओं में से केवल सात बालक पाठशालाओं एवं चार बालिका शालाओं के (कक्षा १० और ११ के) बाल अपराधियों की सहज बुद्धि की परीक्षा उपरोक्त "परीक्षा पत्रक" द्वारा सम्पन्न की गई।

अध्ययन क्षेत्र के चुनाव का आधार एक स्पष्टीकरण

बाल अपराधियों की सहज बुद्धि की परीक्षा जिन पाठशालाओं में सम्पन्न की गई है एवं पाठशालाओं के चुनाव का आधार एवं स्पष्टीकरण इन पृष्ठों में प्रस्तुत किया गया है।

इस सम्भाग के अन्तर्गत ६५ पाठशालाओं से बाल अपराधियों के सम्बंध में सूचनायें प्राप्त हुई थी। ध्यान से देखने पर रीवा सम्भाग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षालय दो विभिन्न वर्गों में स्थित हैं। प्रथम शिक्षालयों का वर्ग शहरी क्षेत्रों में स्थित है, जहां का स्थानीय शासन नगर पालिकाओं द्वारा संचालित होता है। द्वितीय वर्ग में वे शिक्षालय आते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं एवं इनका स्थानीय शासन ग्राम पंचायतों द्वारा सम्पन्न होता है।

शहरी क्षेत्र से यह तात्पर्य है कि जहां नगर पालिकायें हैं। ग्रामीण क्षेत्र वह है जहां ग्राम पंचायतें हैं।

अत: सर्व प्रथम अध्ययन कर्ता ने उपरोक्त दोनों ही वर्गों में (अध्ययन अन्तर्गत ६५ पाठशालाओं का) वर्गीकरण किया, जो इस प्रकार है :-

(अ) बालक - पाठशालायें :

५६ - ग्रामीण भागों में स्थित

८ - शहरी भागों में स्थित

(ब) बालिका - पाठशालायें :

३ - ग्रामीण क्षेत्रों में

८ - शहरी क्षेत्रों में

इस प्रकार जब हम बालक-पाठशालाओं की स्थित की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि लगभग १ : ६ के अनुपात से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल स्थित हैं। बालिका - पाठशालायें इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में अधिक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कम। अर्थात बालिका-पाठशालाओं की स्थिति का अनुपात लगभग ३ : १ है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जहां अधिकांश बालक-स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, वहां बालिका-स्कूल अधिकांश रूप में शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं।

अतएव शहर और ग्रामीण क्षेत्रीय स्कूलों के अनुपात को ध्यान में रखकर स्कूलों का चुनाव किया गया है। ५४ बालक स्कूलों में से ६ ग्रामीण क्षेत्रीय और एक शहर क्षेत्रीय पाठशाला का चयन किया गया, अर्थात् १५% स्कूल "बालक-स्कूल वर्ग" से लिये गये। इसी तरह ११ बालिका-स्कूलों में से चार शालाओं का चयन किया गया, अर्थात ३५% स्कूल "बालिका-स्कूल वर्ग" से लिये गये। बालक-पाठशालाओं की संख्या बालिका शालाओं की संख्या से अधिक थी। इसलिये बालक शालाओं की संख्या का प्रतिशत कन्या शालाओं की संख्या के प्रतिशत से कम रखा गया है, जैसा कि उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है। यह ज्ञात करने के लिये कि बाल अपराध और बुद्धि का क्या सम्बंध है, कुल ग्यारह पाठशालाओं के २६५ बाल अपराधी बालकों एवं बालिकाओं की बुद्धि परीक्षा ली गई।

पाठशालाओं की चयन की

विधि

"जहां कार्य अथवा अनुसंधान का स्वरूप विस्तृत होता है वहां प्रत्येक घटकों का अलग अलग अध्ययन अत्यंत ही कठिन एवं अमनोवैज्ञानिक

होता है। इस स्थिति में सैम्पल सर्वे (Sample Servey), जो कि उस विशेष क्षेत्र का प्रतिरूपक (Representative) हो, करना श्रेयस्कर होता है"। १

प्रस्तुत कार्य के विस्तारित स्वरूप को ध्यान में रखकर, बाल - अपराधियों की बुद्धि परीक्षा को लेने के लिये स्कूलों का चुनाव "रेन्डम सैम्पलिंग" (Random Sampling) की विधि से अपनाई गई है।

जैसे इसके पूर्व कहा जा चुका है कि स्कूलों का वर्गीकरण "शहरी" और ग्रामीण" शिक्षालयों के आधार पर किया गया। इन्हीं दो शीर्षकों को आधारित करके विभिन्न सूचियां बनाई गई जिसमें उपरोक्त वर्ग के पाठशालाओं का नाम लिखा गया। फिर शहर क्षेत्रीय स्कूलों (बालक एवं कन्या शालाओं का अलग अलग) का नाम छोटे छोटे कागज में लिखकर रख दिया गया। अब अध्ययन कर्ता ने एक बालक को कागज की उन दो गड्डियों से (बालक एवं बालिकाओं की गड्डी) क्रमश: १ और २ कागज उठाने को कहा। उन कागजों को खोलने पर निम्नांकित पाठशालाओं के नाम प्राप्त हुये :-

(अ) बालक शाला -

रीवां मार्तण्ड हायर सैकेन्डरी स्कूल

(ब) बालिका शाला -

छतरपुर, मैहर, रीवा।

इस विधि से "ग्रामीण" वर्ग के बालक एवं बालिका शालाओं के नाम अलग अलग कागज में लिखकर रख दिये गये। इसके बाद उसी बालक को दो विभिन्न गड्डीयों से क्रमश: ६ और एक कागज को उठाने को कहा गया। उठाने पर निम्नांकित पाठशालाओं के नाम प्राप्त हुये :

(अ) बालक शाला :

अमरपाटन, ब्योहारी, रामनगर, गोविन्दगढ़, कोठी, नागौद।

---

१. M.K. Ghosh & S.C. Chowdhri: "Statistics: Theory + Practice" pp. 47

(ब) बालिका शाला :

उमरिया ।

इस प्रकार "रेंडम सैम्पलिंग विधि" एवं "लाटरी विधि" १ द्वारा इस सम्भाग के ग्रामीण एवं शहरी स्कूलों की संख्या ११ ली गई । जिसमें ७ बालक स्कूल एवं ४ कन्या स्कूल सम्मिलित हैं ।

इन्हीं स्कूलों के बालक शालाओं के १८३ एवं कन्या शालाओं के ८२ बाल अपराधियों की बुद्धि परीक्षा सम्पन्न की गई । इस सम्भाग के विभिन्न पाठशालाओं में लिये गये बाल अपराधियों की ■■ एवं उनकी बुद्धि परीक्षा फल की सूची परिशिष्ट में सम्मिलित है ।

बाल अपराधियों का वर्गीकरण

बुद्धि परीक्षण के

आधार पर

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक टरमैन २ के द्वारा बुद्धि लब्धि (I. Q.) के आधार पर इस प्रकार का वर्गीकरण किया गया है :-

बुद्धि लब्धि		बुद्धि
१५० से अधिक	--	प्रतिभा सम्पन्न
१४० से १५०	--	साधारण प्रतिभा सम्पन्न
१२० से १४०	--	अधिक उत्कृष्ट
११० से १२०	--	उत्कृष्ट बुद्धि
९० से ११०	--	साधारण अथवा औसत बुद्धि
८० से ९०	--	मंद बुद्धि
७० से ८०	--	क्षीण बुद्धि
७० से कम	--	हीन बुद्धि
५२ से कम	--	निकृष्ट बुद्धि

१ Ghosh & Chaudhri — PP. 48.

२ Quoted by : Sita Ram Jaiswal: "Shiksha Shastra" PP. 345

उपरोक्त वर्गीकरण को आधार मान कर ही प्रस्तुत अध्ययन में बाल अपराधियों का वर्गीकरण किया गया है।

अब हम विभिन्न पाठशालाओं के बाल अपराधियों की बुद्धि परीक्षा फल के एकत्रित स्वरूप का अलग अलग विवरण प्रस्तुत करेंगे।

बाल अपराधी बालकों की
बुद्धि

सात उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं के कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाले कुल १८३ बाल अपराधी बालकों की बुद्धि परीक्षा ली गई जिसका परिणाम निम्न लिखित है :-

तालिका क्रमांक १६

बाल अपराधी बालकों की
बुद्धि परीक्षा फल

क्रमांक	बुद्धि लब्धि श्रेणी	श्रेणी अनुसार बाल अपराधियों की संख्या	औसत मानसिक आयु वर्ष - माह	औसत वास्तविक आयु वर्ष - माह	औसत बुद्धि - लब्धि
१-	१५० से अधिक	२	२२ - ७	१४ - ३	१५८
२-	१४० से १५०	१	१६ - ६	११ - ८	१४३
३-	१२० से १४०	८	२० - ५	१६ - १०	१२१
४-	११० से १२०	७	१७ - १०	१५ - ७	११४
५-	९० से ११०	७९	१३ - ९	१५ - २	९०
६-	८० से ९०	५	१३ - ०	१५ - ५	८४
७-	७० से ८०	९	१२ - १	१६ - ५	७३
८-	५२ से ७०	५१	१० - ५	१७ - २	६०
९-	५२ से कम	२१	८ - ८	१९ - ५	४४

उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने से अधोलिखित बातें स्पष्ट होती हैं :-

(१) १५० से अधिक बुद्धि लब्धि वाले अर्थात प्रतिभा सम्पन्न विद्यार्थियों का प्रतिशत लगभग १ % है। इसी प्रकार १४० से १५० के साधारण प्रतिभा सम्पन्न ०.५ %, १२० से १४० के अधिक उत्कृष्ट ४.३ %, ११० से १२० के उत्कृष्ट ४ %, साधारण अथवा औसत बुद्धि (९० से ११० तक) के ४३.१ %, ८० से ९० के मंद बुद्धि २.७ %, ७० से ८० के क्षीण बुद्धि ५ %, ५२ से ७० के हीन बुद्धि २७.८ % और ५२ से कम निकृष्ट बुद्धि लब्धि के ११.४ % बाल अपराधी बालक हैं।

(२) उपरोक्त परिणामों के आधार पर कह सकते हैं कि बुद्धि की विभिन्न श्रेणियों में सबसे अधिक बाल अपराधी बालकों का वर्ग औसत बुद्धि स्तर एवं हीन बुद्धि स्तर के बालकों का क्रम [illegible] है। प्रतिभा सम्पन्न बालक बहुत कम ही बाल अपराधी कार्य करते पाये गये, जैसा कि इस अध्ययन से स्पष्ट है।

(३) उपरोक्त तालिका को देखने से हमें निम्नांकित बातें भी मालूम होती हैं :-

(क) बुद्धिमान वर्ग (Average; Above IQ) के बाल अपराधियों की संख्या कुल १८ है अर्थात् ६.८ %।

(ख) औसत वर्ग (Average I.Q.) के बाल अपराधियों की संख्या ७६ है अर्थात ४३.१ %।

(ग) बुद्धि हीन वर्ग (Below Average) के बाल अपराधियों की संख्या ८६ है अर्थात् ४६.६ %।

इस विवरण से स्पष्ट होता है कि कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाले बाल अपराधी छात्र अधिकांश रूप में बुद्धि हीन वर्ग के हैं। इसके बाद क्रमशः औसत एवं बुद्धिमान श्रेणी के बालक हैं।

चित्र नं० 3

DISTRIBUTION OF JUVENILE DELINQUENTS ACCORDING TO INTELLIGENCE

(BOYS)



SCALE:-
x - 1 small sq. = 2 I.Q. Range
y - 2 " " = 1%

43
40
35
30
25
20
15
10
5
0

39 59 79 99 119 139 159

I.Q. RANGE

संलग्न चित्र क्रमांक ३ से उपरोक्त कथन की सत्यता को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ।

बाल अपराधी बालकों का बुद्धि स्तर एवं बाल अपराधी कार्य

अब हम इस सम्भाग के उच्चतर माध्यमिक शालाओं के कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाले बालकों के विभिन्न बाल अपराधों का सम्बंध उनकी बुद्धि लब्धि की विभिन्न श्रेणियों में देखेंगे ।

प्रत्येक बाल अपराधी बालक के बाल अपराध के रूप को जानने के लिये सम्बंधित कक्षाओं के शिक्षकों से व्यक्तिगत संदर्शन के आधार पर सहायता ली गई । व्यक्तिगत संदर्शन की प्रति परिशिष्ट में सम्मिलित हैं ।

तालिका क्रमांक १७

बाल - अपराध एवं बुद्धि लब्धि श्रेणी

(बालक वर्ग)

क्रमांक	बुद्धि श्रेणी	बाल अपराध की संख्या						कुल बाल - अपराधियों की संख्या का योग
		भाग०	चोर०	झग०	अश्ल०	झूठ०	धूम्र०	
१-	१५० से अधिक	-	-	१	१	-	१	२
२-	१४० से १५०	-	-	-	१	१	-	१
३-	१२० से १४०	३	३	३	४	३	४	८
४-	११० से १२०	१	-	३	५	३	४	७
५-	९० से ११०	१८	१४	३०	२७	१०	३३	७६
६-	८० से ९०	-	३	४	-	२	-	५
७-	७० से ८०	५	-	५	५	१	५	६
८-	५२ से ७०	११	५	२६	१६	६	३१	५१

६- ५२ से कम	-	१	११	४	१	१५	३१
योग -	३८	२६	८३	६३	३०	६३	१८३

उपरोक्त तालिका उन बाल अपराधी छात्रों से सम्बंधित है जिनकी बुद्धि परीक्षा ली गई है। उनके द्वारा किये जाने वाले बाल अपराधी कार्य का विवरण दिया गया है। इससे निम्नांकित बातें मालूम होती हैं :-

(१) बुद्धि हीन छात्र वर्ग ही सर्वाधिक रूप से विभिन्न प्रकार के बाल अपराध करते हैं। जैसा कि स्पष्ट होता है कि बुद्धि हीन एवं साधारण बुद्धि स्तर के, क्रमश: ४३.१% और ४६.६% छात्र, अधिकांश बाल अपराधी कार्य करते पाये गये। केवल ६.८% छात्र ही बुद्धि मान बुद्धि स्तर के थे।

(२) कुल १८३ बाल अपराधी छात्रों की बुद्धि परीक्षा ली गई जिनमें कक्षा से भागने वाले ३८, चोरी करने वाले २६, झगड़ा करने वाले ६३, झूंठ बोलने वाले ३० और धूम्रपान करने वाले ६३ छात्र हैं। जैसे पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि इस सम्भाग के कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाले बालकों में बाल अपराध का सर्वाधिक प्रतिशत धूम्रपान करने वालों का है, उसी प्रकार जिन बाल अपराधी छात्रों की बुद्धि परीक्षा ली गई इनमें भी हम उक्त कथन की सत्यता का स्पष्ट दर्शन करते हैं।

(३) ११० से अधिक बुद्धि लब्धि वाले (बुद्धिमान वर्ग) कक्षा से भागने वाले ४, चोरी करने वाले ३, झगड़ा करने वाले ११, झूठ बोलने वाले ७ और धूम्रपान करने वाले ६ बाल अपराधी हैं।

(४) इसी तरह साधारण अथवा औसत बुद्धि स्तर कर बालकों में कक्षा से भागने वाले १८, चोरी करने वाले १४, झगड़ा करने वाले ३०, अवज्ञा करने वाले २७, झूंठ बोलने वाले १० और धूम्रपान करने वाले ३३ बाल अपराधी हैं।

(५) अब ८० से कम बुद्धि लब्धि के बुद्धिहीन बालकों की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि कक्षा से भागने वाले १६, चोरी करने वाले ६, झगड़ा करने वाले ४६, अवज्ञा करने वाले २५, झूठ बोलने वाले १३ और धूम्रपान करने वाले ५१ बाल अपराधी हैं।

(६) यद्यपि औसत और बुद्धि हीन बालकों का ही अधिकांश वर्ग बाल अपराधी कार्य करते हुये पाये गये हैं। परन्तु कुछ बाल अपराधी छात्र प्रतिभा सम्पन्न भी पाये गये हैं, चाहे उनकी संख्या भले ही कम हो।

बाल अपराधी छात्राओं की
बुद्धि

तालिका क्रमांक ४८

बाल अपराधी बालिकाओं की
बुद्धि परीक्षा फल

क्रमांक	बुद्धि लब्धि श्रेणी	श्रेणी अनुसार बाल-अपराधियों की संख्या	औसत मानसिक वर्ष - माह	औसत वास्तविक वर्ष - माह	औसत बुद्धि लब्धि
१-	१५० से अधिक	-	-	-	-
२-	१४० से १५०	१	२२ - ६	१५ - ८	१४५
३-	१२० से १४०	१५	२१ - १	१६ - ४	१२६
४-	११० से १२०	१३	१६ - ०	१७ - ०	११९
५-	९० से ११०	३३	१७ - ६	१७ - ६	१००
६-	८० से ९०	६	१३ - ०	१५ - ५	८४
७-	७० से ८०	१०	१३ - ०	१७ - ४	७५
८-	५२ से ७०	४	११ - ५	१७ - ११	६३
९-	५२ से कम	-	-	-	-

चार उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं के कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाली कुल ८२ बाल अपराधी छात्राओं की बुद्धि परीक्षा ली गई गई जिसका परिणाम निम्नलिखित है :-

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से अधोलिखित बातें मालूम होती हैं :-

(१) प्रस्तुत अध्ययन में १५० बुद्धि लब्धि स्तर की कोई भी बाल - अपराधी छात्रायें नहीं मिली । १४० से १५० की साधारण प्रतिभा सम्पन्न लगभग १.२ %, १२० से १४० की अधिक उत्कृष्ट लगभग १८.३ %, ११० से १२० की उत्कृष्ट लगभग १५.८ %, ९० से ११० की औसत बुद्धि श्रेणी की लगभग ४०.२ %, ८० से ९० की मंद बुद्धि लगभग ७.३ %, ७० से ८० की क्षीण बुद्धि लगभग १२.२ % और ५२ से ७० की हीन बुद्धि श्रेणी की लगभग ४.८ % हैं। ५२ से कम निकृष्ट बुद्धि लब्धि की कोई भी छात्रायें इस अध्ययन में नहीं मिली ।

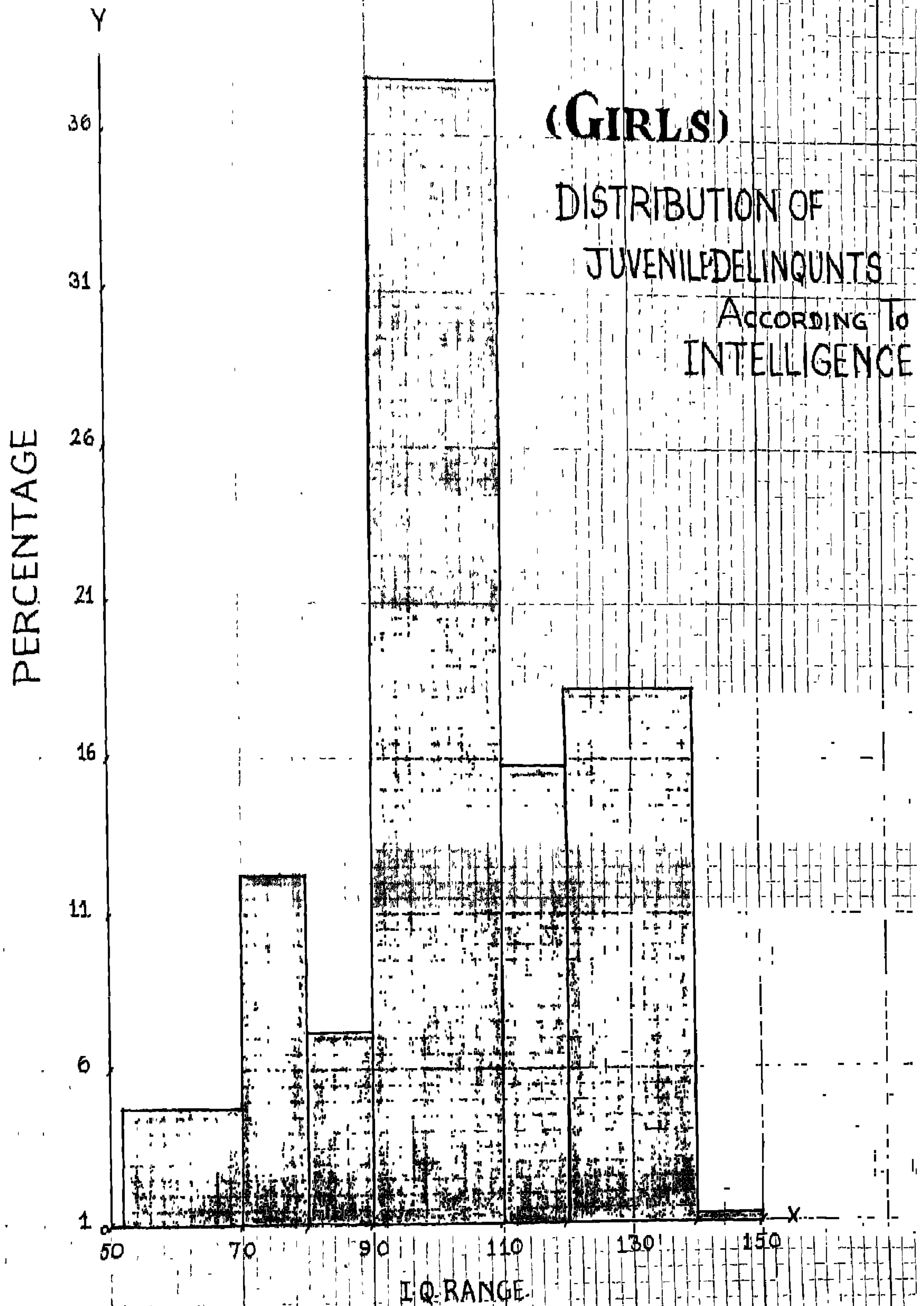
(२) उपरोक्त परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि (बुद्धि लब्धि की विभिन्न श्रेणियों में) साधारण अथवा औसत बुद्धि स्तर की बालिकाओं में बाल अपराध का सर्वाधिक रूप वर्तमान है। इसके बाद बुद्धिमान वर्ग के बालिकाओं का क्रम आता है। बुद्धि हीन बुद्धि स्तर की बहुत कम बालिकायें हैं जैसा कि उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है।

(३) उक्त तालिका के अध्ययन से निम्नांकित बातें और भी स्पष्ट होती हैं :-

(क) बुद्धिमान वर्ग (Above Average) की बाल अपराधी बालिकाओं की संख्या २९ है।

(ख) औसत वर्ग (Average I.Q.) की बाल अपराधी बालिकायें ३३ हैं, और

(ग) बुद्धि हीन वर्ग (Below Average) की बाल अपराधी बालिकायें २० हैं।


चित्र नं० 9
SCALE :-
X-1 Small Sq. = 2 I.Q. Range
Y-2 " " = 1%
Y
36
31
26
21
16
11
6
1
PERCENTAGE
(GIRLS)
DISTRIBUTION OF
JUVENILE DELINQUNTS
ACCORDING TO
INTELLIGENCE
X
50
70
90
110
130
150
I.Q. RANGE

इस तरह उपरोक्त तीनों वर्ग के बाल अपराधी छात्राओं का प्रतिशत क्रमश: ३५.३%, ४०.२% और २४.३% है।

इस विवरण से मालूम होता है कि कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाली बाल अपराधी छात्रायें अधिकांशत: औसत बुद्धि छात्रायें अधिकांशत: औसत बुद्धि स्तर की है। इसके बाद क्रमश: बुद्धिमान एवं बुद्धिहीन वर्ग की कन्यायें हैं।

संलग्न चित्र क्रमांक ४ से उपरोक्त कथन की सत्यता को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।

बाल अपराधी छात्राओं का बुद्धि स्तर एवं
बाल अपराधी कार्य

अब हम इस सम्भाग के उच्चतर माध्यमिक शालाओं के कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाले बालिकाओं के विभिन्न बाल अपराधों का सम्बंध उनकी बुद्धि लब्धि की विभिन्न श्रेणियों में देखेंगे।

प्रत्येक बाल अपराधी छात्राओं के बाल अपराध के रूप को जानने के लिये सम्बंधित कक्षाओं की अध्यापिकाओं से, संदर्शन के आधार पर सहायता ली गई।

तालिका क्रमांक १६

बाल - अपराध एवं
बुद्धि लब्धि श्रेणी

)बालिका वर्ग)

क्रमांक	बुद्धि श्रेणी	बाल अपराधके की संख्या						कुल बाल - अपराधियों की संख्या का योग
		भाग०	चोर०	भ्रम०	अश०	झूठ०	धूम्र०	
१-	१५० से अधिक	-	-	-	-	-	-	-
२-	१४० से १५०	-	-	१	१	-	-	१

१२० से १४०	१	२	६	६	१०	-	१५
११० से १२०	-	-	५	६	१०	-	१३
६० से ११०	१	२	१४	१६	२२	-	३३
८० से ६०	-	१	५	२	३	-	६
७० से ८०	२	१	६	४	४	-	१०
५२ से ७०	-	-	३	-	३	-	४
५२ से कम	-	-	-	-	-	-	-
योग -	४	६	४०	३५	५२	-	८२

उपरोक्त तालिका में उन बाल अपराधी छात्राओं से सम्बंधित है जिनकी बुद्धि परीक्षा ली गई है। उनके द्वारा किये गये बाल अपराधी कार्य का विवरण दिया गया है, इससे अधोलिखित बातें मालूम होती हैं :-

(१) औसत बुद्धि स्तर की ही छात्रायें सबसे अधिक विभिन्न बाल अपराधी कार्य करती हैं। जैसा कि उक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि औसत एवं कुशाग्र बुद्धि स्तर की क्रमशः ४०.२% और ३५.३% छात्रायें बाल अपराधी कार्यों से सम्बंधित हैं। निम्न बुद्धि स्तर की छात्राओं की संख्या बहुत ही कम है जो बाल अपराधी कार्यों से सम्बंधित है - इस बुद्धि स्तर की केवल २४.३ % छात्रायें ही हैं।

(२) कुल ८२ बाल अपराधी छात्राओं की बुद्धि परीक्षा ली गई जिनमें कक्षा से भागने वाली ४, चोरी करने वाली ६, झगड़ा करने वाली ४०, अवज्ञा करने वाली ३५ और झूठ बोलने वाली ५२ छात्रायें हैं। जैसा पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि झूठ बोलने वाली छात्राओं का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसी प्रकार जिन बाल - अपराधी छात्राओं की बुद्धि परीक्षा ली गई इनमें भी हम झूठ बोलने वाली छात्राओं की संख्या सबसे अधिक पाते हैं इसके बाद क्रमशः झगड़ा करने और अवज्ञा करने वाली छात्राओं के बाल अपराध का क्रम है।

(३)..............११० से अधिक कुशाग्र बुद्धि वर्ग में कक्षा से भागने वाली १, चोरी करने वाली २, झगड़ा करने वाली १२, अवज्ञा करने वाली १३ और झूंठ बोलने वाली २० बाल अपराधी छात्रायें हैं।

(४)...........६० से ११० की औसत अथवा साधारण बुद्धि वर्ग में कक्षा से भागने वाली १, चोरी करने वाली २, झगड़ा करने वाली १४, अवज्ञा करने वाली १६ और झूंठ बोलने वाली २२ बाल अपराधी छात्रायें हैं।

(५)......... ...इसी प्रकार ८० से कम बुद्धि लब्धि की बुद्धि हीन श्रेणी में कक्षा से भागने वाली [redacted] २, चोरी करने वाली २, झगड़ा करने वाली १४, अवज्ञा करने वाली ६ और झूंठ बोलने वाली १० बाल अपराधी छात्रायें हैं।

(६)...........यद्यपि औसत और कुशाग्र बुद्धि वर्ग की अधिकांश छात्रायें ही बाल अपराधी कार्यों से सम्बंधित पाई गई हैं। परन्तु कुछ (२४.३ %) बाल अपराधी छात्रायें ऐसी भी हैं जिनका बुद्धि स्तर निम्न कोटि का है, भले ही उनकी संख्या कम हो।

जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है कि धूम्रपान के सम्बंध में किसी भी प्रकार की सूचना छात्राओं के बारे में प्राप्त नहीं हुई है उसी तरह जिन छात्राओं की बुद्धि परीक्षा ली गई थी, उनमें से किन्हीं भी छात्राओं का सम्बंध धूम्रपान से नहीं पाया गया।

उपरोक्त कथनों को और भी स्पष्ट करने के लिये हम बालक एवं बालिका बाल अपराधियों की बुद्धि वर्ग के अनुसार विवरण प्रस्तुत करेंगे।

(क) <u>बाल अपराधी छात्रों की बुद्धि का विवरण</u>

(अ) कुशाग्र बुद्धि वर्ग में ६.८ % बाल अपराधी हैं जिनकी औसत मानसिक एवं वास्तविक आयु क्रमश: १६ वर्ष ४ माह और १४ वर्ष ७ माह है। अत: इस बुद्धि वर्ग में १३२.५७ बुद्धि-

-लब्धि (I. Q.) के छात्र हैं।

(ब) औसत बुद्धि वर्ग में ४३.१% बाल अपराधी हैं जिनकी औसत मानसिक आयु १३ वर्ष ६ माह और वास्तविक आयु १५ वर्ष २ माह है। अतएव इस बुद्धि श्रेणी में ६० बुद्धि लब्धि के छात्र हैं।

(स) कमजोर बुद्धि वर्ग में ४६.६% बाल अपराधी हैं। इसकी मानसिक एवं वास्तविक आयु क्रमश: ११ वर्ष और १७ वर्ष १ माह है।

इस प्रकार इस बुद्धि वर्ग में ६४.३६ बुद्धि लब्धि के छात्र हैं।

(ख) बाल अपराधी छात्राओं की बुद्धि का विवरण

(अ) कुशाग्र बुद्धि वर्ग में ३५.३% बाल अपराधी छात्रायें हैं जिनकी मानसिक आयु २० वर्ष ११ माह एवं वास्तविक आयु १६ वर्ष ४ माह है। इस तरह इस बुद्धि वर्ग में १२८.०६ बुद्धि लब्धि (I. Q.) की छात्रायें हैं।

(ब) औसत बुद्धि वर्ग में ४०.२% बाल अपराधी छात्रायें हैं जिनकी मानसिक तथा वास्तविक आयु क्रमश: १७ वर्ष ६ माह है। अत: इस बुद्धि श्रेणी में १०० बुद्धि लब्धि की छात्रायें हैं।

(स) कमजोर बुद्धि वर्ग में २४.३% बाल अपराधी छात्रायें हैं जिनकी मानसिक तथा वास्तविक आयु क्रमश: ६ वर्ष ४ माह तथा १२ वर्ष ८ माह है इस प्रकार इस बुद्धि वर्ग में ७३.६८ बुद्धि लब्धि की छात्रायें हैं।

अब हम बालक एवं बालिकाओं की बुद्धि स्तर श्रेणी एवं अन्य विवरणा का सम्मिलित रूप प्रस्तुत करेंगे।

तालिका क्रमांक २०

बालक बालिका बाल अपराधियों का सम्मिलित बुद्धि श्रेणी का विवरण

क्रमांक	बुद्धि श्रेणी	बाल अपराधियों की कुल संख्या जिनकी बुद्धि परीक्षा ली गई	औसत वास्तविक आयु वर्ष - माह	औसत मानसिक आयु वर्ष - माह	औसत बुद्धि लब्धि
१-	(Above Average) कुशाग्र (११० से अधिक)	४७	२५ - ५	३० - २	१३०.२७
२-	(Average) औसत (९० से ११०)	११२	१६ - ४	१५ - ७	९५.४
३-	(Below Average) कमजोर (८० से कम)	१०६	१४ - १०	१० - २	६८.५३

उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने से अधोलिखित बातें मालूम होती हैं :-

कुल २६५ बाल अपराधियों की बुद्धि परीक्षा ली गई एवं उनका वर्गीकरण बुद्धि वर्ग के अनुसार किया गया जिनका विवरण उक्त तालिका में अंकित है। अत: उक्त विवरण के आधार पर बुद्धि वर्ग के तीन विभिन्न वर्गों में बाल अपराधियों का प्रतिशत क्रमश: १७.७३%, ४२.२६% और ४०% है। अर्थात् सबसे अधिक बाल अपराधी औसत बुद्धि स्तर के हैं। ऐसे बुद्धि स्तर के बाल अपराधियों की वास्तविक आयु १६ वर्ष ४ माह है

और वास्तविक आयु १५ वर्ष ७ माह है। इनकी बुद्धि लब्धि ६५.४ है।

तालिका क्रमांक २१

बालक बालिकाओं द्वारा किये बाल अपराध एवं उनकी सहज बुद्धि का सम्मिलित विवरण

क्रमांक	बुद्धि श्रेणी	बाल अपराध की संख्या						विशेष
		भाग०	चोरी०	झग०	अव०	झूठ	धूम्र०	
१-	कुशाग्र बुद्धि	४	३	७	११	७	६	बालक वर्ग
	(११० से अधिक)	१	२	१२	१३	२०	-	बालिका वर्ग
		५	५	१९	२४	२७	६	योग
२-	औसत	१८	१४	३०	२७	१०	३३	बालक वर्ग
	(९० से ११०)	१	२	१४	१६	२२	-	बालिका वर्ग
		१९	१६	४४	४३	३२	३३	योग
३-	कमजोर	१६	९	४६	२५	१३	५१	बालक वर्ग
	(८० से कम)	२	२	१४	६	१०	-	बालिका वर्ग
		१८	११	६०	३१	२३	५१	योग

उपरोक्त तालिका से निम्न लिखित बातें मालूम होती हैं :-

(१) कुशाग्र बुद्धि वर्ग के बालकों में सबसे अधिक बाल अपराधी अवज्ञा करने वालों का है, एवं बालकाओं में झूंठ बोलने वाली सबसे अधिक हैं।

लेकिन जब सम्मिलित रूप से देखते हैं तो पता चलता है कि बुद्धिमान वर्ग के बाल अपराधियों में झूठ बोलने की घटनायें अधिक होती हैं।

(२) औसत बुद्धि वर्ग के बालकों में सबसे अधिक धूम्रपान करने वाले बाल अपराधी हैं एवं बालिकाओं में झूठ बोलने वाली सर्वाधिक हैं।

लेकिन सम्मिलित रूप से अध्ययन करने से इस बुद्धि वर्ग में झगड़ा करने वाले बाल अपराध का सबसे अधिक स्वरूप देखते हैं।

(३) कमजोर बुद्धि वर्ग बालकों में सबसे अधिक धूम्रपान करने वाले एवं बालिकाओं में सबसे अधिक झगड़ा करने वाली बाल - अपराधी हैं।

लेकिन सम्मिलित रूप से देखने पर मालूम होता है कि झगड़ा करने वाले बाल अपराध सबसे अधिक होते हैं।

अब हम आगामी अध्याय में प्रस्तुत अध्ययन का निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे।

अध्याय - ७

निष्कर्ष

रीवा सम्भाग के अन्तर्गत, उच्चतर माध्यमिक शिक्षालयों के, कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाले बाल अपराधी बालकों एवं बालिकाओं के सम्बंध में, पूर्व पृष्ठों में जो अध्ययन प्रस्तुत किया गया है इसका ~~अधोलिखित~~ निष्कर्ष अधोलिखित है :-

(अ) कक्षा ११ में पढ़ने वाले छात्र कक्षा १० से अधिक बाल - अपराधी कार्य करते हैं, अर्थात् कक्षा ११ के छात्रों में ही सबसे अधिक बाल अपराधी घटनायें घटित होती हैं।

लेकिन छात्राओं के सम्बंध में जब हम अध्ययन करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कक्षा ११ से अधिक कक्षा १० की छात्रायें ही बाल अपराधी कार्यों से अधिक सम्बद्ध होती हैं।

कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाले प्रत्येक ४ छात्रों में एक कक्षा से भागने वाला, प्रत्येक १० छात्रों में एक चोरी करने वाला, प्रत्येक ८ छात्रों में एक अवज्ञा करने वाला, प्रत्येक ६ छात्रों में झगड़ा करने वाला, और प्रत्येक ३ छात्रों में एक झूठ बोलने एवं धूम्रपान करने वाले बाल - अपराधी हैं।

इसी प्रकार कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाली प्रत्येक २६ छात्राओं में एक कक्षा से भागने वाली, प्रत्येक १३ छात्राओं में एक चोरी करने वाली, प्रत्येक ६ छात्राओं में एक अवज्ञा करने वाली, प्रत्येक ४ छात्राओं में एक झगड़ा करने वाली एवं प्रत्येक ३ छात्राओं में एक झूठ बोलने वाली बाल अपराधी छात्रायें हैं।

छात्रों एवं छात्राओं के विभिन्न बाल अपराधी कार्यों के अलग अलग प्रतिशत पर जब हम ध्यान देते हैं तो यह बात स्पष्ट मालूम हो जाती है कि छात्राओं से अधिक छात्र वर्ग ही बाल अपराधी कार्य करते

करते हैं । छात्र वर्ग कक्षा ११ में बाल अपराधी कार्य अधिक करते हैं परन्तु छात्रायें कक्षा १० में ही अधिक बाल अपराधी कार्य करती हैं, जैसा कि अध्ययन से स्पष्ट होता है । जहां छात्रों में सर्वाधिक बाल - अपराध का प्रतिशत धूम्रपान करने वालों का हैं, वहां छात्राओं में सबसे अधिक प्रतिशत झूंठ बोलने वाली छात्राओं का है । धूम्रपान करने वाली कोई भी छात्रायें नहीं हैं ।

सम्पूर्ण सम्भाग के कक्षा १० - ११ के छात्रों एवं छात्राओं के बाल अपराधी घटनाओं का प्रतिशत इस प्रकार है :

कक्षा से भागने वाले २४.५७ %, चोरी करने वाले ६.५३ %, अवज्ञा करने वाले १३.१२ %, झूंठ बोलने वाले ३०.०१ %, झगड़ा करने वाले १८.५२ % और धूम्रपान करने वाले २६.८४ हैं । धूम्रपान करने वाले केवल छात्र वर्ग ही है, छात्रायें नहीं, जैसा कि इसके पूर्व भी कहा जा चुका है ।

उपरोक्त निष्कर्ष से परिकल्पना का यह कथन सत्य प्रमाणित हो जाता है कि देश के अन्य भागों की तरह इस सम्भाग में भी बाल अपराधी घटनाऐं घटित होती हैं एवं इन बाल अपराधी घटनाओं की पृष्ट-भूमि में लैंगिक वैषम्यता (sex differences) स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है । कहना न होगा कि छात्रों की अपेक्षा छात्राओं को अधिक नियंत्रण में रहना पड़ता है । छात्राओं के हर कार्य पर अच्छी प्रकार नियंत्रण रखा जाता है अत: उन्हें अमर्यादित और उद्दंड होने के अधिक अवसर नहीं मिलते । छात्रों का कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण उनको उच्छृंखलता के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन छात्राओं को ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं ।

(ब) अब हम इस सम्भाग की उच्चतर माध्यमिक शिक्षालय स्तर पर (कक्षा १० और ११ में) होने वाली बाल अपराधी घटनाओं एवं परिस्थितियों का अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे ।

(१) कक्षा से भागने वाले :

इस सम्भाग में २४.५७% इस प्रकार के बाल अपराधी हैं। कक्षा से भागने वाले छात्र सत्र के विशेष अवसरों पर जैसे पाठशालीय समारोहों आदि में रुचि न लेने से भाग खड़े होते हैं। सप्ताह के अन्त में छात्र, जल्दी घर पहुंचने की इच्छा से चले जाते हैं। मध्यावकाश के पहिले छात्र इसलिये चले जाते हैं क्योंकि विषय अध्यापक अनियमित समय पर कक्षा में आते हैं अथवा कठिन विषयों की लगातार पढ़ाई से छात्र ऊब जाते हैं। अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिनों में छात्र इसलिये भागते हैं क्योंकि शिक्षक गण पढ़ाई में ठीक से दिलचस्पी नहीं लेते हैं। परीक्षा के मध्य के दिनों में भागने का कारण है परीक्षा की ठीक तैयारी न होना| [illegible] ऐसे छात्र केवल कक्षाओं से ही नहीं भागते वरन् पाठ शालान्तर्गत होने वाले अन्य पाठ्येतर कार्य क्रमों से भी भागने के प्रयत्न में रहते हैं। कक्षा से भागने वाले छात्रों का मन खेल में अधिक लगा रहता है एवं उसके साथियों का भी काफी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। ऐसे छात्र संकोची स्वभाव के होते हैं। इनकी शारीरिक एवं आर्थिक स्थिति साधारण होती है। पढ़ने लिखने में भी साधारण होते हैं।

(२) चोरी करने वाले :

इस प्रकार के बाल अपराधी ६.५३% हैं। चोरी करने वाले बाल अपराधी सत्र के विशेष अवसरों, सप्ताह के अंतिम भाग में, पाठशालीय अवकाशों में सर्वाधिक रूप से सक्रिय रहते हैं। इसका कारण है छात्रों की असावधानी एवं अन्यमनस्कता। परीक्षा के दिनों में छात्र चोरी इसलिये करते हैं क्योंकि स्वयं के पास उचित पुस्तकें नहीं रहती अथवा किसी भी प्रकार पास होने की इच्छा से चोरी करते हैं। ऐसे छात्र धूम्रपान एवं युवावस्था की यौन प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर अथवा जुआ खेलने के लिये चोरी करते हैं। ऐसे छात्र पढ़ने लिखने में साधारण

एवं कमजोर होते हैं परन्तु जहां इनका व्यवहार एक ओर दूसरों का विश्वास प्राप्त करने के लिये मैत्रीपूर्ण रहता है वहां दूसरी ओर वे स्वभावत: झगड़ालू होते हैं। इनकी शारीरिक स्थिति भी साधारण होती है। ऐसे छात्र अधिकांश रूप में साधारण आर्थिक स्तर के होते हैं।

(3) <u>झगड़ा करने वाले</u> :

इस प्रकार के बाल अपराधी १८.५२ % हैं। झगड़ा करने वाले छात्र सर्वाधिक रूप से आपस में ही लड़ते हैं। सत्र के विशेष अवसरों पर तो ऐसी बाल अपराधी घटनायें अपने चरम रूप में उपस्थित होती हैं क्योंकि इस अवसर पर अधिकारियों की ओर से कुछ अनुशासन की ढिलाई होने से ऐसे छात्रों को अपनी प्रवृत्ति के प्रदर्शन का अच्छा अवसर प्राप्त हो जाता है। सप्ताह के अन्त में शिक्षकों द्वारा ढिलाई दे देने से भी ऐसी घटनायें घटित होती हैं। मध्यावकाश में छात्र इसलिये लड़ते हैं, यह अवसर उनका "खाली" रहता है इस "खाली" समय में शैतानी करना स्वाभाविक ही होता है। अक्सर प्रथम घंटे में ही लड़ाई का सूत्रपात हो जाता है जब कक्षा में प्रवेश करते ही छात्र आगे बैठने की कोशिश करते हैं। अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिवस में लड़ाई का कारण है, अनुशासन की ढिलाई। कक्षा में अच्छी जगह प्राप्त करने एवं झगड़ा करके भाग जाने की अधिक सम्भावना देखकर भी ऐसा कार्य करते हैं। ऐसे छात्र स्वयं को बड़ा बताने अथवा झगड़ा करके नेतृत्व प्राप्त करने के प्रयत्न में भी झगड़ा कर बैठते हैं। अधिकांश बलशाली छात्र ही इस प्रकार के होते हैं। एवं ये स्वभावत: झगड़ालू एवं विद्वेषी होते हैं। अत: इनका व्यवहार भी अमैत्रीपूर्ण रहता है। ये छात्र भी अधिकतर मध्यम आर्थिक स्तर के होते हैं। पढ़ने लिखने में अधिकांश रूप में साधारण ही होते हैं।

(४) अवज्ञा करने वाले :

इस प्रकार के बाल अपराधी ११.१२% हैं। अवज्ञा करने वाले बाल अपराधी शालीय नियमों की ही अपेक्षाकृत अधिक उल्लंघन करते हैं। सत्र के विशेष अवसरों पर ही ऐसी बाल अपराधी घटनायें इसलिये घटित होती हैं क्योंकि इस समय शिक्षालयों में नियंत्रण कुछ कम होता है एवं छात्रों को पर्याप्त स्वतंत्रता भी रहती है। सप्ताह के आरम्भ से ही अगर नियंत्रण ढीला होता है तो सप्ताह के मध्य भाग में ही अधिक इस प्रकार की बाल अपराधी घटनायें घटित होती हैं। स्कूल के विभिन्न घंटों में, विशेषकर मध्यावकाश में वर्जित स्थानों में जाकर एवं अंतिम घंटों में छात्रों द्वारा गृह कार्य आदि न किये जाने पर शिक्षकों के हस्तक्षेप से उक्त अवज्ञा करने की घटनायें घटित होती हैं। परीक्षा के मध्य में छात्रों द्वारा परीक्षा भवन में निरीक्षकों की आज्ञाओं की अवहेलना एक साधारण बात सी हो गई है। ऐसे बाल अपराधी छात्र नेतृत्व की इच्छा से अथवा दूसरों को देखकर भी ऐसे असमाजिक कार्य करते हैं। ऐसे छात्र झगड़ालू स्वभाव के होते हुये भी अपना व्यवहार हमेशा मैत्रीपूर्ण रखते हैं। ऐसे छात्र अधिकतर बलशाली होते हैं और अधिकांश धनी अथवा मध्यम आर्थिक स्थिति के होते हैं। पढ़ने लिखने में भी अधिकतर ठीक होते हैं।

(५) झूठ बोलने वाले :

इस प्रकार के बाल अपराधी ३०.०१% हैं। झूठ बोलने वाले बाल अपराधी अधिकतर आपस में एवं शिक्षकों ही से सबसे अधिक झूठ बोलते हैं। वैसे तो झूठ बोलने वाले हमेशा ही झूठ बोलते हैं परन्तु शालीय स्तर किन्हीं विशेष परिस्थितियों अथवा अवसर पर अपेक्षाकृत अधिक झूठ बोलते हैं - जैसा कि हम वर्णन कर चुके हैं। अत: सत्र के विशेष अवसरों पर सप्ताह के मध्य भाग में, स्कूल के मध्यावकाश में, लम्बी छुटियों के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिवस में, परीक्षा काल में सबसे अधिक झूठ बोलते हैं। ऐसे छात्र दूसरों को देखकर एवं आत्मतुष्टि

के लिये भी झूठ बोलते हैं । पढ़ने में मन न लगने से, कक्षा के कड़े एवं नीरस वातावरण से ऊब कर भी छात्र इस "अस्त्र" का प्रयोग करते हैं ।

बालकों से अधिक बालिकायें इस "अस्त्र" का प्रयोग करती हैं । जहां झूठ बोलने वाले २६.४७% छात्र हैं वहां ३३.८५% छात्रायें झूठ बोलती हैं ।

झूठ बोलने वाले बाल अपराधियों का स्वभाव अधिकतर विद्वेषी होता है परन्तु ऊपरी तौर से उनका व्यवहार सामान्य होता है । शारीरिक स्थिति सामान्य होती है । धनी और मध्यम आर्थिक स्तर के छात्र भी अधिकांश रूप में इस प्रकार का बाल अपराधी कार्य करते हैं । पढ़ने लिखने में साधारण और कभी कभी पिछड़े भी रहते हैं ।

(६) धूम्रपान करने वाले :

इस प्रकार के बाल अपराधी २६.६४% हैं । बाल अपराधी केवल छात्र वर्गों तक ही सीमित हैं । शिक्षालयों में यह अपराध तो सामान्य सी बात होती जा रही है । वैसे देखा जाय तो धूम्रपान करने वाले हर समय धूम्रपान करते हैं - परन्तु शिक्षालय स्तर पर किसी विशेष अवसर अथवा परिस्थितियों के वशीभूत होकर यह कार्य अधिक करते हैं । यह बाल अपराधी कार्य सत्र के विशेष अवसरों पर, सप्ताह के मध्य भाग में उपयुक्त अवसर पाकर धूम्रपान करते हैं । अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिनों में स्कूल के ढीले अनुशासन का लाभ उठाकर, परीक्षा के अंतिम दिनों में परीक्षा आदि से निवृत्त होकर सबसे अधिक धूम्रपान करते हैं । अधिकतर छात्र अपने साथियों एवं शिक्षकों का अनुकरण करके धूम्रपान करना आरम्भ कर देते हैं । अपने को श्रेष्ठ बताने एवं यौन प्रवृत्तियों से उत्प्रेरित होकर भी यह कार्य करने लगते हैं । ऐसे छात्रों का व्यवहार हमेशा मैत्री पूर्ण रहता है । परन्तु स्वभाव से झगड़ालू रहते हैं । इस प्रकार के अधिकांश छात्र धनी अथवा गरीब वर्ग के होते हैं । शारीरिक स्थिति अधिकतर कमजोर होती है एवं पढ़ने

लिखने में प्राय: साधारण ही होते हैं।

आचार्यों द्वारा प्रदान किये गये विवरण के आधार पर निष्कर्ष इस प्रकार है :-

पाठशाला स्तर पर बाल अपराधी घटनाओं के घटित होने में शिक्षकों में उत्तरदायित्व की भावना की कमी, अभिभावकों की उदासीनता, पाठशाला में खेल कूद की अपर्याप्त व्यवस्था, पाठशाला की स्थिति का खराब होना, उचित निर्देशन की कमी एवं बाह्य वातावरण का होना - आदि उपरोक्त परिस्थितियां सहायक होती हैं।

(स) अब हम बाल अपराध एवं सहज बुद्धि के सम्बंध में प्रस्तुत किये गये कार्य के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे।

छात्र वर्ग के बाल अपराधियों की सूची की ओर दृष्टिपात करने से बुद्धि हीन श्रेणी (Below Average I.Q) के छात्र सबसे अधिक बाल अपराधी कार्यों से सम्बंधित हैं।

परन्तु छात्राओं में अधिकांश बाल अपराध करने वाली छात्रायें औसत बुद्धि श्रेणी (Average I.Q.) की हैं।

छात्र वर्ग में बुद्धि हीन और औसत बुद्धि श्रेणी (अर्थात् ४६.६०% और ४३.१ %) छात्र ही अधिकांश बाल अपराधी कार्य करते हैं। कुशाग्र बुद्धि श्रेणी (Above Average I.Q.) के बाल - अपराधियों का प्रतिशत सबसे कम है। अर्थात् ६.८% है।

परन्तु बालिका वर्ग में, औसत बुद्धि श्रेणी और कुशाग्र बुद्धि श्रेणी की (अर्थात ४०.२ % और ३५.३ %) छात्रायें ही अधिकांश बाल अपराधी कार्य करती हैं। बुद्धि हीन श्रेणी की (अर्थात् २४.३%) बहुत कम ही छात्रायें इन असमाजिक कार्यों से सम्बंधित होती हैं।

छात्र वर्ग की औसत बुद्धि लब्धि लगभग ८४.२२ है, जबकि बालिका वर्ग की औसत बुद्धि लब्धि लगभग १०२.६८ है।

उपरोक्त निष्कर्ष से परिकल्पना का यह कथन भी प्रमाणित हो जाता है कि बाल - अपराध में लिंग वैषम्य (Sex differences) बुद्धि हीनता एवं कुशाग्र बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है ।

अब हम अगले अध्याय में इस विषय से सम्बंधित सुझाव प्रस्तुत करेंगे ।

अध्याय - ८

सुझाव

पाठशालीय स्तर पर बाल अपराध की प्रवृत्ति को रोकने के लिये किसी एक ऐसे उपाय की चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी अपराध प्रवृत्ति कुछ विशेष परिस्थितियों एवं कारणों से होती है, जैसा कि हम पूर्व पृष्ठों में देख चुके हैं।

फिर भी इन पृष्ठों पर दिये सुझावों को कार्यान्वित करके शिक्षालय के अन्तर्गत होने वाली बाल अपराधी घटनाओं को हम एक सुनिश्चित सीमा तक कम कर ही सकते हैं।

रीवा सम्भाग में स्थित उच्चतर माध्यमिक शिक्षालयों के, कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाले बाल अपराधियों के सम्बंध में पूर्व पृष्ठों में किये गये अध्ययन के आधार पर अधोलिखित मुख्य सुझाव हैं :-

(अ) विशिष्ट सुझाव

(क) कक्षा से भागने वाले बाल अपराधियों के सम्बंध में -

(१) पाठशाला में होने वाले समारोहों के कार्यक्रम, विभिन्न छात्रों की रुचियों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिये। प्रत्येक कार्यक्रमों का आयोजन छात्रों द्वारा ही कराना चाहिये। इन आयोजनों का निरीक्षण विभिन्न शिक्षकों द्वारा यथासमय होते रहना चाहिये।

(२) सत्र के आरम्भ से ही शिक्षकों की (कक्षा अध्यापन के लिये) उचित व्यवस्था होना चाहिये।

(३) कोई भी घंटे (Period) खाली न हों एवं शिक्षक को नियमित रूप से और ठीक समय पर जाना चाहिये।

(४) दूर गांव के रहने वाले छात्रों के लिये छात्रावास की उचित व्यवस्था होना चाहिये ताकि छात्रों को घर जाने की जल्दी में कक्षा से पलायन न करना पड़े।

(५) गृहकार्य की मात्रा छात्रों की कार्य क्षमता को ध्यान में रख कर ही देना चाहिये, परन्तु इसकी जांच भी होना आवश्यक है।

(६) कठिन विषयों की लगातार पढ़ाई न होना चाहिये।

(७) अंतिम घंटे (Last Period) खाली न होना चाहिये एवं इस घंटे में कोई सरल विषय पर ही पढ़ाई होना चाहिये।

(८) छात्रों की हाजरी प्रचलित प्रथा के अनुसार क्रमश: प्रथम और पांचवे घंटों में न होकर प्रत्येक घंटे में विषय अध्यापकों द्वारा ली जानी चाहिये। इससे छात्र बहुत कम मात्रा में भागने का साहस करेंगे।

(९) प्रत्येक छात्र में घूमने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति का शोधन पिकनिक, ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा आदि करवा कर पूरा किया जाना चाहिये।

(ख) चोरी करने वाले बाल अपराधियों के सम्बंध में -

(१) इस प्रकार के छात्रों के साथ कभी कठोर व्यवहार न करना चाहिये वरन् सहानुभूति के साथ उसके इस असमाजिक एवं अनैतिक कार्य के कारणों का पता लगाकर तदनुसार कार्य करना चाहिये। केवल दंड देकर ही ऐसे छात्रों का सुधार प्राय: असम्भव होता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा न सुधरने वाले चौर्य प्रवृत्ति के छात्रों को उपरोक्त रीति से समझाया जाय। ऐसे छात्रों केक सम्बंध में अवश्य ही उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

(२) इस प्रकार के छात्रों की घरेलू परिस्थितियों का पता लगाकर, उनके माता पिता अथवा अभिभावकों का उचित सहयोग प्राप्त कर (अगर वे समझदार हों तभी) इस दिशा में

यथोचित कार्य करना चाहिये ।

(३) गरीब छात्रों को, पुस्तकों एवं स्कूल की फीस आदि के उचित प्रबंध हेतु, "दीन सहायक निधि" अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य सहायता करने वाली कमेटियों का निर्माण करके भी इस समस्या का आंशिक हल प्राप्त किया जा सकता है ।

(४) ऐसे छात्रों में अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी भावनाओं के निर्माण का प्रयत्न करना चाहिये जिससे वह इस अपराध की बुराई को स्वयं ही समझ जाय । इसके लिये महर्षि बाल्मीकि, अंगुलिमाल आदि ऐसे ही चरित्रों के बारे की पुस्तकें पढ़ने को प्रोत्साहित किया जाय । इसके अतिरिक्त चित्रपट की सहायता से भी ऐसे चरित्रों का दर्शन कराया जा सकता है जो बुरे से अच्छे बन गये ।

(ग) झगड़ा करने वाले बाल अपराधियों के सम्बंध में -

(१) कक्षा में प्रत्येक छात्रों का स्थान यथोचित रूप से, कक्षा अध्यापक द्वारा ही, सत्र के प्रारम्भिक काल में ही निश्चित कर देना चाहिये । ताकि छात्र आपस में अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिये लड़े नहीं ।

(२) ऐसे छात्रों को दमन से नहीं वरन् प्रेम एवं सहानुभूति के अस्त्र से ही सन्मार्ग पर लाना वांछनीय है ।

(३) शारीरिक शक्ति के समुचित उपयोग के हेतु विभिन्न प्रकार के खेलों की समुचित व्यवस्था होना चाहिये ।

(४) छात्र संघ के चुनाव या गेम्स कैप्टन आदि ऐसे ही छात्रों से सम्बंधित चुनावों को उचित रूप से सम्पादित करने के लिये कोई सुनिश्चित नियम (Code of Election) का निर्धारण अवश्य ही करना चाहिये ताकि छात्र वर्ग में आपस में झगड़े आदि की घटनायें न हों ।

(२) धूम्रपान करना नैतिक दृष्टि से तो बुरा माना ही जाता है परन्तु शारीरिक दृष्टि से भी इसका प्रभाव हानिकर होता है। अतएव धूम्रपान के हानिकर प्रभाव के बारे में छात्रों को अवश्य ही बताना चाहिये और इसके अतिरिक्त किसी योग्य डाक्टर को बुलाकर इस सम्बंध में व्याख्यान आदि की भी व्यवस्था करना कम ठीक न होगा।

(ब) सामान्य सुझाव

(१) बाल अपराधी के सुधार एवं रोकथाम हेतु "मनोवैज्ञानिक क्लीनिक" (Psychological Clinic) की बहुत ही आवश्यकता है। यहाँ पर मनोविश्लेषक अथवा प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक बाल अपराधियों के प्रत्येक पहलुओं की जांच करके यथोचित सुधार कार्य के हेतु सलाह देते हैं। पाठशालाओं में आर्थिक कारणों से अलग से इस प्रकार के क्लीनिक की व्यवस्था अगर सम्भव नहीं हो पाती तो स्थानीय आर्थिक सहायता को प्राप्त कर इस प्रकार के क्लीनिक की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। साइरिल बर्ट महोदय भी इसकी महत्ता एवं आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। १

(२) नैतिक शिक्षा का विशेष प्रबंध होना चाहिये ताकि बालकों का चारित्रिक विकास हो। आज विश्व में जो चारों ओर अनैतिकता का बोल बाला देखते हैं उसका एक मात्र कारण है नैतिक शिक्षा का अभाव। २। अत: नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा (एक निश्चित सीमा तक ही) का प्रबंध अवश्य ही होना चाहिये।

(३) ठीक पढ़ाई के अतिरिक्त विभिन्न खेलों की व्यवस्था शिक्षालय में विशेष तौर से होना चाहिये। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायमूर्ति डा० सिन्हा ने भागलपुर विश्व विद्यालय के दीक्षांत भाषण

---

१ Burt — "young delinquent".
२ Based on the opinion of Dr. S. Radhakrishnan in "Report of the university education Commission". 1949

में कहा था कि भारत में आजकल छात्रों में जो बाल अपराध का प्रसार होते देख रहे हैं उसका कारण है कि पढ़ने में तथा खेल में छात्र कम से कम रूचि ले रहे हैं। १। प्राय: देखा भी जाता है एवं पूर्व पृष्ठों के अध्ययन से भी स्पष्ट है कि छात्र अपने खाली समयों में ही अधिक बाल अपराधी कार्य करते हैं। कहा भी है कि "खाली दिमाग शैतान का घर"। अत: इन खाली समय में छात्रों को विभिन्न खेलों में व्यस्त कर देने से अपराध की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है।

(४) समय समय पर शिक्षा शास्त्रियों एवं विद्वानों के व्याख्यानों की व्यवस्था भी करना चाहिये।

(५) बालकों की विकासावस्थाओं को दृष्टि में रखकर तदनुसार उनके यथोचित शिक्षा का प्रबंध होना चाहिये।

(६) छात्रों के मनोरंजन हेतु भी उचित व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु चित्रपट, रेडियो, नाटकों, कवि-सम्मेलनों आदि का आयोजन होना चाहिये।

(७) शारीरिक शिक्षा की उचित व्यवस्था भी होना चाहिये। जैसे बालचर संघ, एन०सी०सी०, ए०सी०सी० आदि का आयोजन।

(८) अभिभावक - अध्यापक परिषद की स्थापना होना चाहिये जिसमें सम्बंधित छात्रों के सभी समस्याओं को आपसी सलाह से सुलझाया जा सके।

(९) प्रत्येक बाल अपराधियों के सम्बंध में स्कूल में अलग रिकार्ड अवश्य ही होना चाहिये, जो गोपनीय हो जिसमें बालकों की प्रगति और उनके चरित्र आदि का पूर्ण विवरण होना चाहिये।

(१०) बाल अपराधी बालकों को उत्तर दायित्व पूर्ण कार्य को सौंपने से भी बहुत कुछ अंशों में इस अपराध के रोकथाम में मदद मिल सकती है।

---

1. Dr. B.P. Sinha : Northern Indian Patrika : Vol. IV. No. 64. March. 1962.

(११) शिक्षालय की इमारत की स्थिति बहुत अच्छी और सुंदर होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त शिक्षालय बस्ती से दूर होना चाहिये। चारों ओर ऊंची बहार दीवारों से पाठशाला भवन घिरा होना चाहिये। जहां तक हो सके स्कूल के सभी कार्य क्रम इसी (स्कूल एरिया के) के अन्दर आयोजित होना चाहिये।

(१२) हर कक्षा के कमरों में, कुछ सुनिश्चित आदर्श वाक्यों को कागज में लिखवाकर टंगवाना चाहिये। इसके अतिरिक्त धार्मिक एवं ऐतिहासिक चित्रों से कक्षाओं को सुसज्जित करना चाहिये। परन्तु यह कार्य स्वयं बालकों द्वारा ही होना चाहिये, केवल निर्देशन शिक्षक का हो।

(१३) प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक न हो। अधिक छात्रों के होने से शिक्षक छात्रों से पूर्णत: परिचित नहीं हो पाते फलत: वे बाल अपराध की ओर अपने कदम बढ़ा देते हैं। इसके अतिरिक्त न तो शिक्षक यथोचित रूप से पढ़ा ही पाता है और न उचित व्यवस्था ही रह पाती है।

(१४) शिक्षालय के आचार्य का व्यक्तित्व एवं प्रशासनिक योग्यता ऐसी होनी चाहिये जो बिना किसी [redacted] बाह्य नियंत्रण के बाल अपराधी छात्रों को सन्मार्ग की ओर मोड़ कर ले जाय। प्राचार्य के कार्य व्यवहार आदि से प्रभावित होकर प्रत्येक छात्रों में स्वाभिमान (Self - Regarding Sentiment) एवं स्व-निर्णय (Self - Evaluation) की भावना अपने आप ही उदय हो जाती है।

(१५) कक्षाओं का वर्गीकरण जहां तक सम्भव हो बुद्धि परीक्षा के आधार पर किया जाना चाहिये।

कुशाग्र बुद्धि स्तर के छात्रों के लिये शीघ्र कक्षा परिवर्तन ऐसे छात्रों के लिये ट्यूटोरियल कक्षाओं (Tutorial Classes) की व्यवस्था करना चाहिये, नेतृत्व एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य अवश्य सौंपना चाहिये।

कमजोर बुद्धि स्तर के छात्रों के व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिये। जहां तक हो सके श्रेणी रहित विभाग (ungraded classes) को खोलना चाहिये जहां पर बालक अपनी बुद्धि स्तर के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सके एवं इस प्रकार के छात्रों के लिये कोचिंग कक्षाओं (coaching classes) की व्यवस्था करना चाहिये। इस तरह के छात्रों के लिये क्रियात्मक शिक्षा (स्वयं करके सीखना) का प्रबन्ध होना चाहिये।

उपरोक्त जो सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं उसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक बुद्धि वर्ग के लिये अलग अलग कक्षाये खोली ही जांय। इसका तात्पर्य यह है कि जहां अलग अलग कक्षाओं का खोलना असम्भव हो, वहां एक ही कक्षा के छात्रों को उनके बुद्धि स्तर के आधार पर श्रेणीबद्ध करके भी कार्य किया जा सकता है। और यह व्यवस्था भारतीय शिक्षालय की वर्तमान दशाओं में कार्यान्वित करना असम्भव नहीं।

अन्त में अध्ययन-कर्ता का यह मत है कि उपरोक्त सुझावों को कार्यान्वित करना किसी शिक्षक के लिये तभी सम्भव हो सकता है जब उनके पढ़ाने के घंटे अधिक न हो। अगर उसके पढ़ाने के घन्टे अधिक होगे तो वह पूर्ण उत्तरदायित्व से अपना कर्तव्य नहीं निभा पावेगा।

फिर भी उपरोक्त सुझावों को कभी पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता, जब तक प्राचार्य और शिक्षक कंधे से कंधा मिला कर देश के भावी कर्णधारों को अंधकार से प्रकाश की ओर खींच ले जाने का पूर्ण संकल्प नहीं करते।

बाल अपराध के विषय में प्रस्तुत अध्ययन में एक सीमित क्षेत्र तक ही कार्य किया गया है। अतः इस विषय पर स्कूलों में होने वाले बाल अपराधी घटनाओं का (शैक्षणिक महत्व को सामने रखते हुये) अथवा शासकीय स्तर (आफीसियल) के बाल अपराधी घटनाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है।

सारांश

हमारे देश में जो भी समस्यायें हैं उनमें शायद सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि बच्चों की वर्तमान पीढ़ी का विकास असंतुलित और विकृत हो रहा है। इसका अनेकों में एक कारण है बालकों में अपराध प्रवृत्ति का प्रसार होना देश के अन्य भागों की तरह हमारे रीवा सम्भाग में स्थित उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं में अनुशासन की समस्या इन्हीं बाल अपराधी छात्रों के कारण ही उपस्थित होती है। ऐसे ही बाल अपराधी बालकों एवं बालिकाओं को आधार मानकर प्रस्तुत शोध कार्य सम्पन्न किया गया है।

रीवा सम्भाग में स्थित उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं के कक्षा १० और ११ में घटित होने वाली निम्नांकित बाल अपराधी घटनाओं को अध्ययन की सीमा बनाकर कार्य करने का प्रयत्न किया गया है। कक्षा से भागना, चोरी करना, झूठ बोलना, अवज्ञा करना, झगड़ा करना, धूम्रपान करना।

प्रस्तुत शोध कार्य में विभिन्न प्रदत्तों को एकत्रित करने के लिये उच्चतर माध्यमिक शिक्षालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों को प्रश्नावली भेजी गई एवं अध्यापकों से व्यक्तिगत संदर्शन की विधि से वांछित सूचनाओं को प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त बाल अपराधियों की सहज बुद्धि को जानने के लिये डा० एस० जलोटा द्वारा निर्मित संशोधित संस्करण १ - ६० के "परीक्षा पत्रक" का उपयोग किया गया।

पाठशालाओं में छात्रों के असहिष्णु एवं अनैतिक व्यवहार, उनकी गहनता तथा पुनरावृत्ति शिक्षा क्षेत्र के क्रान्ति पथ में महत्वशाली समस्यायें हैं। देश के अन्य स्थलों की तरह रीवा सम्भाग में स्थित उच्चतर माध्यमिक शालाओं में भी बाल अपराध की अनेक समस्यायें हैं। इन बाल अपराधी घटना चक्रों के अनेकानेक कारणों में लिंग वैभिन्य एवं बुद्धि स्तर का घनिष्ट सम्बंध होता है।

बाल अपराध की विविध परिभाषाओं का सारांश यह है कि किसी एक निश्चित अवस्था प्राप्त बालक अथवा बालिका के द्वारा किया गया समाज विरोधी, अनैतिक, अवैधानिक एवं परम्पराओं के विरुद्ध किया गया कार्य ही बाल अपराध है। प्रस्तुत निबंध में पाठशाला के अन्तर्गत होने वाले उन्हीं बाल अपराधों के सम्बंध में कार्य किया गया है जो अशासकीय (अन-आफीसियल) वर्ग में आते हैं। अर्थात् केवल शैक्षणिक दृष्टि कोण को सामने रखकर शिक्षालय स्तर पर होने वाले बाल अपराधों के बारे में कार्य किया गया है।

रीवा सम्भाग में [redacted] सात विभिन्न जिलों में स्थित कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाले बाल अपराधी घटनाओं का विवरण अधोलिखित हैं :-

<u>रीवा जिले में</u>

छात्र वर्ग के कक्षा १० में क्रमश: कक्षा से भागने वाले २०.१६%, चोरी करने वाले ७.५७%, झूठ बोलने वाले २६.१३% और धूम्रपान करने वाले ३६.२७% बाल अपराधी हैं। इसी प्रकार कक्षा ११ में क्रमश: कक्षा से भागने वाले ३२.१७%, चोरी करने वाले १०.६४%, अवज्ञा करने वाले १३.६५%, झगड़ा करने वाले १७.८२% झूंठ बोलने वाले ४०.२७% और धूम्रपान करने वाले ५३% बाल अपराधी छात्र हैं।

कक्षा १० में पढ़ने वाली छात्राओं में क्रमश: कक्षा से भागने वाली २७.७७%, चोरी करने वाली ५.५५%, अवज्ञा करने वाली ११.११%, झगड़ा करने वाली १३.८८% और झूंठ बोलने वाली ८.३३% बाल अपराधी हैं। इसी तरह कक्षा ११ में क्रमश: चोरी करने वाली १२.०४%, अवज्ञा करने वाली ३६.१४%, झगड़ा करने वाली १.२% एवं झूंठ बोलने वाली २७.७१% बाल अपराधी छात्रयें हैं। इस कक्षा में कक्षा से भागने वाली कोई बाल अपराधी छात्रायें नहीं हैं।

धूम्रपान करने वाली कोई भी छात्रायें नहीं हैं।

सतना जिले में

छात्र वर्ग के कक्षा १० में क्रमश: कक्षा से भागने वाले २६.७८%, चोरी करने वाले ८.९८%, अवज्ञा करने वाली २०.२५%, झगड़ा करने वाले १६.०५%, झूठ बोलने वाले २७.२७% और धूम्रपान करने वाले १३.६१% बाल अपराधी हैं। इसी तरह कक्षा ११ में क्रमश: कक्षा से भागने वाले ३८.०८%, चोरी करने वाले १०.१७%, अवज्ञा करने वाले १५.६६%, झगड़ा करने वाले २७.०३%, झूठ बोलने वाले २८.४८% एवं धूम्रपान करने वाले २७.०३% बाल अपराधी हैं।

कक्षा १० के छात्राओं में क्रमश: कक्षा से भागने और चोरी करने वाली ५%, अवज्ञा करने वाली १५%, झगड़ा करने वाली २५%, झूठ बोलने वाली ५२.५%, बाल अपराधी हैं। इसी तरह कक्षा ११ में कक्षा से भागने वाली ५%, अवज्ञा करने वाली ३५%, झूठ बोलने वाली २५% बाल अपराधी हैं। इस कक्षा में चोरी करने वाली किसी भी छात्राओं के बारे में सूचना नहीं मिली।

धूम्रपान करने वाली कोई भी छात्रायें नहीं हैं।

सीधी जिले में

कक्षा १० के छात्रों में क्रमश: कक्षा से भागने वाले २४.२४%, चोरी करने वाले ८.४८%, अवज्ञा करने वाले १४.५४%, झगड़ा करने वाले १५.१५%, झूठ बोलने वाले २६.६६% एवं धूम्रपान करने वाले १३.६३% बाल अपराधी हैं। कक्षा ११ के छात्रों में कक्षा से भागने वाले ३४.२१%, चोरी करने वाले १०.५२%, अवज्ञा करने वाले २२.३५%, झगड़ा करने वाले १६.७३%, झूठ बोलने वाले ३८.१५% और धूम्रपान करने वाले ३८.०६% बाल अपराधी हैं।

कक्षा १० की छात्राओं में क्रमश: कक्षा से भागने वाली ६.६६%, चोरी और अवज्ञा करने वाली ४०%, झगड़ा करने वाली ६६.६६%, झूठ बोलने वाली ७३.३३% बाल अपराधी छात्रायें हैं।

इसी प्रकार कक्षा ११ में पढ़ने वाली छात्राओं में क्रमश: कक्षा से भागने वाली ७.१४%, चोरी करने वाली ३.५७%, अवज्ञा करने वाली ७.१४%, झगड़ा करने वाली ४६.४२% एवं झूठ बोलने वाली ४२.८५% बाल अपराधी हैं।

शहडोल जिले में

कक्षा १० के छात्रों में क्रमश: कक्षा से भागने वाले २१.०७% चोरी करने वाले ७.८५%, अवज्ञा करने वाले ८.२६%, झगड़ा करने वाले २१.४८%, झूठ बोलने वाले ३२.२३% और धूम्रपान करने वाले २२.६६% बाल अपराधी हैं। कक्षा १० में क्रमश: कक्षा से भागने वाले २२.२८%, चोरी करने वाले ११.६५%, अवज्ञा करने वाले १०.३२%, झगड़ा करने वाले १३.५८%, झूठ बोलने वाले १७.३६% एवं धूम्रपान करने वाले २६.३४% बाल अपराधी हैं।

इसी तरह कक्षा १० के छात्राओं में क्रमश: कक्षा से भागने वाली ३.३८%, चोरी करने वाली ६.७६%, अवज्ञा करने वाली १५.२५%, झगड़ा करने वाली २५.४२% और झूठ बोलने वाली ५०.८४% बाल अपराधी हैं। कक्षा ११ के छात्राओं में क्रमश: चोरी करने वाली ५.८८% अवज्ञा करने वाली १७.६४%, झगड़ा करने वाली ३५.२९% एवं झूठ बोलने वाली ४१.१७% बाल अपराधी हैं। कक्षा से भागने वाली कोई भी छात्रायें नहीं हैं।

धूम्रपान करने वाली कोई भी छात्रायें नहीं हैं।

पन्ना जिले में

कक्षा १० के छात्रों में क्रमश: कक्षा से भागने वाले २३.७५% चोरी करने वाले १०.८३%, अवज्ञा करने वाले ६.१६%, झगड़ा करने वाले २१.६६%, झूठ बोलने वाले ५१.२५% और धूम्रपान करने वाले ५०% बाल अपराधी हैं। इसी प्रकार कक्षा ११ में कक्षा से भागने वाले २१.१४%, चोरी करने वाले ५.१%, अवज्ञा करने वाले १०.६४%,

झगड़ा करने वाले १६.७%, झूंठ बोलने वाले २३.३५% और धूम्रपान करने वाले ३५.०२% बाल अपराधी हैं।

कक्षा १० की छात्राओं में क्रमशः चोरी करने एवं अवज्ञा करने वाली ४%, झगड़ा करने वाली २४% और झूंठ बोलने वाली १६% बाल अपराधी हैं। कक्षा से भागने वाली कोई भी छात्रायें नहीं हैं। कक्षा ११ में कक्षा से भागने तथा चोरी करने वाली १०.३४%, अवज्ञा करने वाली ६.८२%, झगड़ा करने वाली २०.६६% एवं झूंठ बोलने वाली १३.७६% बाल अपराधी छात्रायें हैं।

धूम्रपान करने वाली कोई भी छात्रायें नहीं हैं।

टीकमगढ़ जिले में

कक्षा १० के छात्रों में क्रमशः कक्षा से भागने वाले २६.०५%, चोरी करने, अवज्ञा करने एवं झगड़ा करने वाले १०.८२%, झूंठ बोलने वाले २०.६४% और धूम्रपान करने वाले ४३.६१% बाल अपराधी हैं। कक्षा ११ के छात्रों में कक्षा से भागने वाले २४.५७%, चोरी करने वाले १०.८५%, अवज्ञा करने वाले १५.४२%, झगड़ा करने वाले १३.७१%, झूंठ बोलने वाले १८.८५% और धूम्रपान करने वाले ३०.८५% बाल अपराधी हैं।

कक्षा १० की छात्राओं में चोरी करने तथा अवज्ञा करने वाली ५.१२%, झगड़ा करने वाली १५.३८% बाल अपराधी हैं। इसी तरह कक्षा ११ की छात्राओं में चोरी करने वाली ४%, अवज्ञा करने वाली ८%, झगड़ा करने वाली २०% और झूंठ बोलने वाली १६% बाल अपराधी हैं। कक्षा से भागने वाली एवं धूम्रपान करने वाली कोई भी छात्रायें नहीं हैं।

छतरपुर जिले में

कक्षा १० में पढ़ने वाले छात्र वर्ग में क्रमशः कक्षा से भागने वाले ३७.४५%, चोरी करने वाले १२.०४%, अवज्ञा करने वाले २२.४%,

झगड़ा करने वाले १६.०६%, झूठ बोलने वाले २८.७६% एवं धूम्रपान करने वाले ३८.७६% बाल अपराधी हैं। कक्षा ११ में क्रमशः कक्षा से भागने वाले २६.८८%, चोरी करने वाले ६.४३%, अवज्ञा करने वाले १८.०१%, झगड़ा करने वाले १५.८७%, झूठ बोलने वाले २६.६१% एवं धूम्रपान करने वाले ४२.४८% बाल अपराधी हैं।

कक्षा १० की छात्राओं में कक्षा से भागने वाली १.२६%, चोरी करने एवं अवज्ञा करने वाली ५.०६%, झगड़ा करने वाली २४.०५% और झूठ बोलने वाली ३६.७% बाल अपराधी हैं। कक्षा ११ की छात्राओं में चोरी करने वाली ८%, अवज्ञा करने वाली १४% और झगड़ा करने वाली ४६% बाल अपराधी हैं। कक्षा से भागने वाली किसी भी छात्राओं के बारे में सूचना नहीं मिली। धूम्रपान करने वाली कोई भी छात्रायें नहीं हैं।

सम्भागीय स्तर पर बाल अपराध

कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाले छात्रों में कक्षा से भागने वाले २७.२८%, चोरी करने वाले ६.८८%, अवज्ञा करने वाले १२.८८% झगड़ा करने वाले १७.६७%, झूठ बोलने वाले २६.४७% और धूम्रपान करने वाले ३४.१४% बाल अपराधी हैं।

परन्तु कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाली छात्राओं में कक्षा से भागने वाली १.७६%, चोरी करने वाली ७.४२% अवज्ञा करने वाली १४.८५%, झगड़ा करने वाली २४.५२% और झूठ बोलने वाली ३३.८५% बाल अपराधी हैं।

पाठशाला स्तर पर बाल अपराधी घटनाओं के घटित होने में समय, स्थान और परिस्थितियों का योगदान महत्वपूर्ण होता है, जिसका विवरण अधोलिखित है :-

कक्षा से भागना

सत्र के विशेष अवसरों पर सबसे अधिक छात्र भागते हैं इसके बाद क्रमशः सत्र के मध्य तथा आरम्भ में भागते हैं। इसका मुख्य कारण

यह है कि आरम्भ में शिक्षकों की उचित व्यवस्था न होना, छात्रों में कार्य क्रमों के प्रति रुचि न होना आदि।

सप्ताह के अन्तिम भाग में सबसे अधिक छात्र भागते हैं इसके बाद सप्ताह के आरम्भिक और मध्य के दिनों में भागते हैं इसका मुख्य कारण है छात्रों का जल्दी घर पहुंचने की इच्छा, गृहकार्य का अपूर्ण होना, घूमने की प्रवृत्ति का पूरा न होना आदि।

अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिवस में छात्र सबसे अधिक भागते हैं क्योंकि अधिकांश शिक्षकों द्वारा पढ़ाई में दिलचस्पी न लिया जाना है।

अंतिम और मध्यवकाश के पहिले छात्र सबसे अधिक भागते हैं क्योंकि अधिकतर शिक्षकें कक्षा अध्ययन कार्य में अनियमित रहते हैं।

परीक्षा काल के मध्य और आरम्भिक दिवसों में भागने का कारण है परीक्षा की ठीक तैयारी न होना, फैल होजाने का डर आदि।

खेल में अधिक मन लगाने, साथियों को भागते देख, धूम्रपान के हेतु और किशोरावस्था की यौन प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर भी छात्र कभी कभी कक्षा से भाग जाते हैं।

ऐसे छात्रों का व्यवहार अधिकतर सामान्य होता है परन्तु कुछ का व्यवहार मैत्रीपूर्ण भी होता है। परन्तु स्वभाव से ऐसे छात्रों का स्वभाव संकोची होता है।

शारीरिक स्थिति साधारण होती है, परन्तु कुछ कमजोर शरीर के छात्र वर्ग भी होते हैं। ऐसे छात्र अधिकतर मध्यम एवं गरीब वर्ग के होते हैं। पढ़ने लिखने में साधारण और कभी कभी पिछड़े भी रहते हैं।

चोरी करने वाले

सत्र के विशेष अवसरों पर एवं सत्र के आरंभिक भाग में ऐसे छात्र सबसे अधिक सक्रिय देखे जा सकते हैं। इसका कारण है कि

अधिकांश छात्र असावधान रहते हैं, आपस में अत्यधिक विश्वास करते हैं और कभी कभी बदला लेने की भावना से भी चोरी कर बैठते हैं।

सप्ताह के अंतिम और मध्य के समय में, मध्यावकाश में, अंतिम घंटे में अथवा मध्यावकाश के पहिले, अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिवस में एवं माह के अंतिम दिवस में चौर्य वृत्ति की घटनायें घटने का मुख्य कारण है छात्रों की असावधानी एवं साथियों का प्रभाव।

परीक्षा काल के आरम्भिक एवं मध्य दिवसों में छात्र सबसे अधिक चोरी करते हैं क्योंकि उसके पास (चोरी करने वाले छात्र के पास) उचित पुस्तकें नहीं रहती अथवा दूसरे की अच्छी पुस्तक को रख लेने की इच्छा के वशीभूत होकर भी इस कार्य को करते हैं। परन्तु कभी कभी पढ़ने में कमजोर होने पर अच्छे छात्रों की पुस्तकें एवं कापियां भी चुरा लेते हैं।

धूम्रपान के लिये साज श्रृंगार के हेतु सामान लेने के लिये, जुआ खेलने के लिये होटलों आदि के खर्चों के लिये, सिनेमा आदि देखने के लिये भी छात्र चोरी करते हैं।

ऐसे छात्र अधिकांश रूप में गरीब और मध्यम वर्ग के होते हैं। परन्तु कभी कभी धनी वर्ग के छात्र भी चोरी करते देखे जा सकते हैं। इस प्रकार छात्रों का व्यवहार मैत्रीपूर्ण होते हुये स्वभाव झगड़ालू होता है। शारीरिक स्थिति साधारण ही होती है।

झगड़ा करने वाले

आपस में अथवा कक्षा मानीटर से सबसे अधिक लड़ते हैं परन्तु कभी कभी शिक्षकों अथवा प्राचार्यों से भी लड़ बैठते हैं।

सत्र के विशेष अवसरों एवं मध्य के दिवसों में ऐसी बाल - अपराधी घटनायें सबसे अधिक घटित होती हैं क्योंकि वार्षिक खेल - कूद, छात्र संघ अथवा गेम्स आदि के चुनाव के अवसर पर , क्रीड़े

अनुशासन का लाभ उठाकर, छात्र लड़ाई झगड़े करते देखे जा सकते हैं।

सप्ताह के अंतिम और मध्य के दिनों में छात्रों में सबसे अधिक झगड़ा करने की घटनाओं का होने का कारण है ढीला अनुशासन, गृहकार्य का पूरा न किया जाना आदि।

मध्यावकाश में खाली होने एवं बदला लेने की भावना से, प्रथम घंटे में कक्षा में सबसे अच्छी जगह प्राप्त करने के लिये और अंतिम घंटों में (अधिकतर खाली होने से) आपस के गाली-गलौज से भी छात्र लड़ाई झगड़ा करते हैं।

अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिनों में सर्व प्रथम स्कूल आकर कक्षा में सबसे अच्छी जगह पाने के लिये, माह के अंतिम दिनों में ढीले नियंत्रण को देखकर झगड़ा करके दंड पाने की कम सम्भावना देखकर भी छात्र ऐसा कार्य कर बैठते हैं।

परीक्षा के दिनों में इस प्रकार के अपराध अधिक होते हैं विशेष कर आरम्भिक एवं अंतिम दिनों में। परीक्षा भवन में निरीक्षक के कड़े निरीक्षण से खीझ कर, उत्तर पुस्तिकाओं की कड़ी जंचाई से फेल होने की सम्भावना देखकर, किसी भी प्रकार परीक्षा में सफल होने की इच्छा से एवं बुरे परीक्षा - फल को सुनकर छात्र झगड़ा कर बैठते हैं।

स्वयं को दूसरों के सामने बड़ा बताने अथवा दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने, दूसरों के बहकावे में आकर अथवा बदला लेने की भावना के वशीभूत होकर भी छात्रों में झगड़ा करने की घटनायें घटित होती हैं।

साधारणतः ऐसे छात्रों की शारीरिक स्थिति अच्छी होती है, इनका व्यवहार भी अपने साथियों से मैत्रीपूर्ण ही रहता है। परन्तु ऐसे छात्र स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं। अधिक-तर इस प्रकार के छात्रों की आर्थिक स्थिति साधारण होती है परन्तु कुछ छात्र धनी वर्ग के भी होते हैं। पढ़ने लिखने में ऐसे छात्र पिछड़े होते हैं। बहुत कम पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं।

अवज्ञा करना

स्कूल के द्वारा निश्चित किये गये नियमों एवं शिक्षकों की आज्ञाओं की अवहेलना करना आज के छात्रों के लिये साधारण सी बात हो गई है।

सत्र के विशेष अवसरों में मध्य काल में सबसे अधिक अवज्ञा करने की घटनायें घटित होती हैं क्योंकि सत्र के इन विशेष अवसरों पर छात्रों को पर्याप्त स्वतंत्रता रहती है एवं नियंत्रण भी ढीला रहता है। कभी कभी शिक्षकों अथवा प्रधानाध्यापकों द्वारा छात्रों के व्यक्तिगत मामलों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने के कारण भी अवज्ञा करने की घटनायें घटित होती हैं।

मध्यावकाश में एवं अंतिम घंटों में ऐसे छात्रों को अधिकतर सक्रिय देखा जा सकता है। इसका कारण है मध्यावकाश में शाला के वर्जित स्थानों में निश्चित नियमों की अवहेलना करना, गृहकार्य पूरा न करने पर शिक्षक के डांटे अथवा पीटे जाने से छात्र कभी कभी आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं।

अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिवस में तथा माह के अंतिम दिवस में अवज्ञा करने की घटनाओं का कारण है छात्रों का इन प्रारम्भिक दिनों में पढ़ने में मन न लगना, गृहकार्य पूर्ण न कर सकने से दंडित होने पर भी छात्र ऐसा अनैतिक कार्य करते हैं।

परीक्षा के मध्य और अंतिम दिवसों में आज्ञाओं की अवहेलना करने का कारण है परीक्षा भवन में नकल करने वाले छात्रों को मना करने से, परीक्षा की ठीक तैयारी न होने से परीक्षा के अन्य नियमों की अवहेलना करना।

दूसरे से प्रशंसा पाने की इच्छा के वशीभूत होकर, अन्य साथियों को देखकर भी आज्ञाओं की अवहेलना करने लगते हैं। ऐसे छात्रों का व्यवहार मैत्रीपूर्ण और सामान्य होता है परन्तु स्वभाव से झगड़ालू और विद्रोही होते हैं। ऐसे छात्रों की शारीरिक स्थिति या तो

साधारण होती है अथवा कमजोर । आर्थिक स्थिति अधिकतर साधारण और मध्यम होती है । पढ़ने लिखने में अधिकतर तेज और मध्यम होते हैं ।

झूठ बोलने वाले

आपस में, कक्षा मानीटर से एवं कभी कभी शिक्षक तथा प्राचार्यों से भी यथावसर छात्र झूठ बोलते हैं, परन्तु आपस में सबसे अधिक झूठ बोलते हैं ।

सत्र के विशेष अवसरों पर एवं मध्य में, सप्ताह के मध्य और आरम्भिक दिवसों में, स्कूल के मध्यावकाश में तथा अंतिम घंटों में, लम्बी छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिनों में तथा माह के अंतिम दिवस में, परीक्षा के मध्य और अंतिम भाग में छात्र सबसे अधिक झूठ बोलते हैं ।

ऐसे छात्र दूसरों को देखकर, आत्म संतुष्टि के लिये, अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने के लिये, अपनी पढ़ाई की कमजोरी छिपाने की भावना के वशीभूत होकर भी ऐसा अनैतिक कार्य करते हैं ।

पढ़ाई में मन न लगने, शिक्षक के द्वारा दंडित होने के भय से, पढ़ने में आलसी होने, अपनी त्रुटियों को छिपाने की कोशिश में भी छात्र झूठ बोलते हैं ।

ऐसे छात्रों का व्यवहार सामान्य एवं कभी कभी मैत्रीपूर्ण होता है परन्तु ऐसे छात्र अधिकतर विद्वेषी और झगड़ालू स्वभाव के होते हैं ।

शारीरिक शक्ति अधिकतर साधारण एवं कमजोर होती है । आर्थिक स्तर मध्यम होता है, परन्तु गरीब छात्रों की संख्या काफी मात्रा में होती है । पढ़ने लिखने में प्राय: साधारण ही होते हैं ।

धूम्रपान करना

सत्र के विशेष अवसरों एवं अंतिम दिनों में, सप्ताह के मध्य और अंतिम दिवसों में, स्कूल के मध्यावकाश तथा अंतिम घंटों में, लम्बी छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिवस तथा माह के अंतिम दिनों में,परीक्षा से फुरसत होकर छात्र सबसे अधिक धूम्रपान करते हैं।

साथियों को धूम्रपान करते हुये देखकर, शिक्षकों को देखकर घर से अधिक पैसा मिलने पर, (कहीं कहीं) घरेलू व्यवसाय (जैसे बीड़ी आदि के) के प्रभाव से प्रभावित होकर छात्रों में इस प्रकार की गन्दी आदत पड़ जाती है।

किशोरावस्था की यौन प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर, अपनेको श्रेष्ठ बताने के लिये, पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन देखकर भी छात्र धूम्रपान करने लगते हैं।

ऐसे छात्रों का व्यवहार मैत्रीपूर्ण एवं सामान्य होता है। परन्तु अधिकतर झगड़ालू स्वभाव के होते हैं। मध्यम एवं धनी आर्थिक स्तर के छात्र ही अधिकतर धूम्रपान करते हैं परन्तु गरीब वर्ग के छात्रों की संख्या कम नहीं होती। पढ़ने लिखने में साधारण होते हैं।

उपरोक्त विशिष्ट अपराधों से सम्बंधित परिस्थितियों के अतिरिक्त अधोलिखित कारणों से भी बाल अपराधी घटनायें घटित होती हैं :-

शिक्षकों में उत्तरदायित्व की भावना की कमी, अभिभावकों की उदासीनता, पाठशाला की खराब स्थिति, बाह्य वातावरण, मनोरंजन के साधनों की कमी आदि मुख्य है।

यह सच है कि बुद्धि स्तर को ही बाल अपराध सिद्ध नहीं किया जा सका है। परन्तु फिर भी अपराध का एवं बुद्धि स्तर का कुछ न कुछ सम्बंध अवश्य ही परिलक्षित होता है।

इस सम्भाग के कक्षा १० और ११ में पढ़ने वाले बाल अपराधियों की सकल बुद्धि एवं उनके द्वारा किये गये अनैतिक एवं

असामाजिक कार्यों के अन्तः सम्बंध का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है :-

डा० जलोटा कृत साधारण मानसिक परीक्षा पत्रक का उपयोग किया गया है । सात बालक पाठशालाओं एवं चार बालिका पाठशालाओं के कुल २४५ बाल अपराधी बालकों एवं बालिकाओं की बुद्धि परीक्षा ली गई ।

बालक - वर्ग में :

बुद्धिमान श्रेणी (Above Average I.Q.) में ९.८ %, औसत श्रेणी में (Average I.Q.) में ४३.९ %, और कमजोर बुद्धि श्रेणी (Below Average I.Q) में ४६.९% बाल अपराधी हैं । बुद्धिहीन और साधारण बुद्धि श्रेणी के ही छात्र अधिकांश बाल अपराधी कार्यों से सम्बंधित पाये गये हैं । केवल ९८ बुद्धिमान श्रेणी के बालक इन असमाजिक कार्यों से सम्बंधित हैं ।

कुशाग्र बुद्धि श्रेणी के छात्रों की औसत बुद्धि लब्धि १३२.५७ औसत बुद्धि श्रेणी की ९० और कमजोर बुद्धि श्रेणी के छात्रों की औसत बुद्धि लब्धि ६४.३६ है ।

बालिका - वर्ग में :

बुद्धिमान श्रेणी (Above Average I.Q.) की ३५.३% औसत बुद्धि श्रेणी (Average I.Q.) की ४०.२ % और कमजोर बुद्धि श्रेणी (Below Average I.Q) की २४.३ % बाल अपराधी छात्रायें हैं ।

औसत और बुद्धिमान बुद्धि श्रेणी की छात्रायें ही बाल अपराधी कार्यों से अधिक सम्बंधित पाई गई हैं । सबसे कम बाल - अपराधी छात्रायें बुद्धि हीन श्रेणी की हैं ।

कुशाग्र बुद्धि की छात्राओं की औसत बुद्धि लब्धि १२८.०४, औसत बुद्धि श्रेणी की १०० और बुद्धि हीन श्रेणी की छात्राओं की औसत बुद्धि लब्धि ७३.६८ है ।

निष्कर्ष

कक्षा ११ में पढ़ने वाले छात्र कक्षा १० से अधिक बाल - अपराधी कार्य करते हैं।

लेकिन बालिका वर्ग में कक्षा १० से अधिक कक्षा ११ में बाल अपराधी घटनायें घटित होती हैं।

कक्षा से भागने वाले, सत्र के विशेष अवसरों, सप्ताह के अंत में, मध्यावकाश के पहिले, अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिनों में, परीक्षा के मध्य के दिनों में इसलिये भागते हैं क्योंकि स्कूल में होने वाले कार्यक्रमों के प्रति उनकी रुचि नहीं रहती, शिक्षकों का अनियमित होना, लगातार पढ़ाई से छात्रों का ऊब जाना, परीक्षा की ठीक तैयारी न होने से छात्र पलायन करना ही श्रेयस्कर समझ लेते हैं।

चोरी करने वाले छात्र सत्र के विशेष अवसरों पर सप्ताह के अंतिम भाग में, स्कूल के अवकाशों के बाद, मध्यावकाश में इसलिये सक्रिय होते हैं क्योंकि अधिकतर छात्र असावधान होते हैं, आपस में अत्यधिक विश्वास करते हैं, धूम्रपान करने के लिये, जुआ खेलने के लिये, सिनेमा देखने के लिये चोरी करते हैं।

झगड़ा करने वाले छात्र सत्र के विशेष अवसरों पर सप्ताह के अंतिम भाग में, मध्यावकाश में, अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रथम दिवस में, परीक्षा काल में इसलिये अधिक झगड़ा करते हैं इसका मुख्य कारण स्कूल में अनुशासन की कमी, शिक्षकों का अनियमित होना, छात्रों के प्रत्येक व्यक्तिगत कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करना, एवं परीक्षा काल में निरीक्षकों का कड़ा नियंत्रण होना भी है।

अवज्ञा करने वाले छात्र सत्र के विशेष अवसरों पर, सप्ताह के आरम्भिक दिनों में, मध्यावकाश में, लम्बी छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिनों में, परीक्षा के मध्य में विशेष सक्रिय देखे

जाते हैं। इसका मुख्य कारण है स्कूल में नियंत्रण की कमी, शिक्षकों का अनावश्यक हस्तक्षेप, अधिक गृह कार्य, परीक्षा काल में कड़ाई से निरीक्षण आदि।

झूठ बोलने वाले सत्र के विशेष अवसरों पर, सप्ताह के मध्य भाग में, मध्यावकाश में, अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिनों में, परीक्षा काल में सबसे अधिक झूठ बोलते हैं। इसका मुख्य कारण है छात्रों का पढ़ाई में मन न लगना, आत्मतुष्टि के लिये एवं अपनी पढ़ाई की कमजोरी छिपाना आदि हैं।

बालकों से अधिक बालिकायें झूठ बोलती हैं। जहां झूठ बोलने वाले २६.४७% बालक हैं, वहां ३३.८५% बालिकायें हैं।

धूम्रपान करने वाले बाल अपराधी सत्र के विशेष अवसरों पर, सप्ताह के मध्य भाग में, अवकाश के बाद स्कूल खुलने के प्रारम्भिक दिनों में सबसे अधिक इस बाल अपराधी कार्य को करते हैं। इसका मुख्य कारण है साथियों, शिक्षकों, वातावरण और घर का प्रभाव।

सुझाव

(१) बालकों की रुचियों के अनुसार ही पाठशालीय समारोहों के कार्य क्रमों को बनाया जाना चाहिये।

(२) छात्रों की हाजरी प्रत्येक घंटे में होना चाहिये।

(३) गृहकार्य की मात्रा छात्रों की कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाना चाहिये।

(४) स्कूल के कोई भी घंटे खाली न हों।

(५) लगातार कठिन विषयों की पढ़ाई न हो।

(६) शिक्षकों को नियमित समय पर कक्षा में आना चाहिये।

(७) गरीब छात्रों के लिये कोई उचित आर्थिक निधि होनी चाहिये जिससे उनकी पुस्तकों आदि का उचित प्रबंध हो सके।

(८) छात्र संघ या गेम्स आदि के चुनावों के यथोचित रूप से सम्पन्न करने के लिये कोई सुनिश्चित नियमों का होना आवश्यक है।

(९(परीक्षा काल में होने वाली छात्रों की उच्छृंखलता की रोकथाम के लिये शासकीय नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिये।

(१०) शिक्षकों को स्वयं का व्यवहार एवं आचरण इतना अच्छा रखना चाहिये ताकि छात्रों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ सके।

(११) `मनोवैज्ञानिक-क्लिीनिक' की व्यवस्था होना चाहिये।

(१२) नैतिक शिक्षा:, शारीरिक शिक्षा एवं उचित मनोरंजन हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना चाहिये।

(१३) शिक्षक-अभिभावक-संघ की स्थापना करना चाहिये।

(१४) प्रत्येक बाल अपराधियों का रिकार्ड रखा जाना चाहिये।

(१५) प्रत्येक कक्षा में छात्र संख्या कम होना चाहिये एवं कक्षा का वर्गीकरण बुद्धि स्तर के आधार पर होना चाहिये।

इस विषय पर स्कूलों में होने वाले अन्य बाल अपराधी घटनाओं का अथवा शासकीय स्तर (आफीसियल) के बाल अपराधी घटनाओं का अध्ययन भी शैक्षणिक महत्त्व को सामने रख कर किया जा सकता है।

-: परिशिष्ट :-

विषय	परिशिष्ट क्रमांक	पृष्ट
पारिभाषिक शब्दावली	१	१
सहायक ग्रंथ सूची	२	४
व्यक्तिगत संदर्शन	३	६
बाल - अपराधियों की सूची	४	७
बुद्धि परीक्षा की सूची	५	१७
आचार्यों के हेतु प्रश्नावली	६	३०
जलोटा कृत मानसिक परीक्षा - पत्रक	७	३१
अध्यापकों के हेतु प्रश्नावली	८	--

परिशिष्ट क्रमांक १

पारिभाषिक - शब्दावली

अनुपात	---	Ratio
अधिक उत्कृष्ट	---	Very Superior
आयु, मानसिक	---	Mental Age
आयु, वास्तविक	---	Chronological Age
आत्म ज्ञान	---	Self - Realisation
आत्माभिव्यक्ति	---	Self - Expression
आलेख	---	Record
कक्षा से भागना	---	Truancy
क्रियात्मक बुद्धि परीक्षा	---	Non-Verbal Intelligence Test
घटक	---	Factors
तार्किक, अनुमानित	---	Analogies
तरुण, किशोर	---	Adolescent
नैतिक	---	Moral
निकृष्ट बुद्धि	---	Deficient
निर्देशन	---	Guidance

निष्कर्ष	---	Conclusion
परिकल्पना	---	Hypothesis
पक्ष - समर्थन	---	Justification
पाठ्यक्रम	---	Curriculum
प्रदत्त	---	Data
प्रामाणिक	---	Standardized
प्रतिरूपक	---	Representative
प्रश्नावली विधि	---	Questionnaire Method
बाल अपराध	---	Juvenile Delinquency
बुद्धि	---	Intelligence
बुद्धि परीक्षण	---	Intelligence Test
बुद्धि लब्धि	---	Intelligence Quotient
मौखिक	---	Verbal
मूल्यांकन	---	Evaluation
विस्तृत	---	Extensive
व्यक्तिगत संदर्शन	---	Interview Schedule
व्याख्या	---	Interpretation
समानार्थी	---	Infrences

श्रेणी	—	Range
हीन बुद्धि	—	Dull
क्षीण बुद्धि	—	Feebleminded

—

परिशिष्ट क्रमांक २

-: सहायक - ग्रंथ सूची :-

BIBLIOGRAPHY

Books

1. Cyril Burt — The young Delinquent. University of London Press 1947.

2. M. Edelston — The Earliest Stages of Delinquency. E and S Living stone Ltd. Edinburg & London 1952.

3. Martin H.Neumeryer— Juvenile Delinquency (Second Edition) D.Van Nostrand Co. Inc. Newyork.

4. Paul W.Tappan — Juvenile Delinquency Mc Graw Hill Co. Inc. Newyork 1949.

5. N.L. Dosaj — Juvenile Delinquency. Punjab Kitab Ghar Jullundhar.

6. Margarite Malm and Olis G. Jamison — Adolessense. Mc. Graw Hill Co. Inc. 1952 (Chapter 11 only)

7. E.B. Hurlock — Developmental Psychology Mc. Graw Hill Co. Inc. Newyork 1953.

8. Crow & Crew — Adolescent Development and Adjustment. Mc. Graw Hill Co. 1956.

9. Walter S.Monroe — Encyclopedia of Educational Research (Revised Edition) Mc. Millian Co. Newyork.

JOURNAL

1. Indian Journal of Educational Research Vol. III, No. 1 June 1951.

2. The Progress of Education. Poona (India) Vol. XXXV No. 10-11. May-June 1961.

3. Social Welfare -- Publication Division
Central Social Welfare Board
New Delhi.
Vol. V February 1959; Vol. VII September 1960; Vol. VIII - No. 6 September 1961; Vol. VIII No. 1 December 1961.

BULLETIN

1. Report of the Third Seminar on Promotion of Research in Training College.
Ministry of Education.
Government of India.

2. Behaviour Problems of School Children --
Janendra Das Gupta
Teachers Training Department
Bulletin No. 3 University of Calcutta 1948.

परिशिष्ट क्रमांक ___3_____

व्यक्तिगत - संदर्शन
(INTERVIEW-SCHEDULE)

अध्ययनकर्ता द्वारा प्रयुक्त
अध्यापकों के हेतु
व्यक्तिगत संदर्शन

विद्यालय का नाम -

कक्षा सेक्शन

अध्यापक का नाम -

क्रमांक	बाल अपराधी छात्रों का नाम	वास्तविक आयु (C.A.)	बाल अपराध का प्रकार	अन्य

अध्ययन कर्ता के हस्ताक्षर

बाल - अपराधियों की सूची

परिशिष्ट क्रमांक ४

रीवा जिले के विभिन्न पाठशालाओं के कक्षा १० के बाल अपराधियों की संख्या

क्रमांक	पाठशाला का नाम	कक्षा	कक्षा की कुल संख्या	बाल अपराधियों की संख्या						विशेष
				भाग०	चोर०	अश०	भ०ग०	झूठ०	घूम०	
१-	गढ़	१०	९७	२७	८	१२	१८	४०	५२	एक अध्या-
२-	रीवा(मार्तण्ड)	१०	११५	१७	८	३	८	१३	१४	पिका एवं
३-	रीवा(गवर्नमेंट)	१०	६५	१४	६	१४	२०	१४	३०	बाइस
४-	गोविंदगढ़	१०	१०२	१५	२८	११	२७	६२	४५	शिक्षकों से
५-	गुढ़	१०	३८	५	-	-	६	१०	१५	उत्तर प्राप्त
६-	मऊगंज	१०	७४	१६	५	८	१०	१०	२२	हुये।
७-	त्योंथर	१०	६५	१५	१०	६	५	८	८	
८-	सिरमौर	१०	३४	१५	६	३	२	२०	३०	
९-	मनिकवार	१०	३४	४	२	१०	८	१२	२४	
१०-	लालगांव	१०	३०	७	२	३	२	१४	१२	
११-	डभौरा	१०	३६	१०	२	३	४	५	१२	
१२-	मनगवां	१०	३८	२	-	-	२	४	१०	
१३-	रीवा (कन्या)	१०	३६	१०	२	४	५	३	-	
	कुल योग -	-	७६४	१६०	७६	७७	११७	२१५	२६४	

रीवां जिले के विभिन्न पाठशालाओं के कक्षा ११ के बाल अपराधियों की संख्या

क्रमांक	पाठशाला का नाम	कक्षा	कक्षा की कुल संख्या	बाल अपराधियों की संख्या						विशेष
				भाग०	चोर०	अक्षा०	म०ग०	फूठ०	धूम्र०	
१-	गढ़	११	८७	२४	१२	१२	९	३३	४५	पंद्रह शिक्षकों
२-	मार्तण्ड रीवा	११	४९	९	२	३	६	१०	१५	एवं दो
३-	गवर्नमेंट रीवा	११	५४	१७	९	८	१५	१८	२०	अध्यापिकाओं
४-	गोविंदगढ़	११	६१	११	४	४	२२	३२	४३	से उत्तर प्राप्त
५-	गुढ़	११	४०	२०	५	१५	५	६	४	हुये ।
६-	बैकुन्ठपुर	११	५५	२०	७	५	७	१८	२५	
७-	सिरमौर	११	७३	२१	९	८	९	५०	६५	
८-	हनुमना	११	४७	१७	३	४	४	७	१२	
९-	रीवा (कन्या)	११	६९	-	५	३०	१	२३	-	
	कुल योग	-	५१५	१३९	५६	८९	७८	१९७	२२९	

सतना जिले के विभिन्न पाठशालाओं के कक्षा १० के बाल अपराधियों की संख्या

क्रमांक	पाठशाला का नाम	कक्षा	कक्षा की कुल संख्या	बाल अपराधियों की संख्या						विशेष
				भाग०	चोर०	असा०	भग०	झूठ०	धूम्र	
१-	सतना (व्यंकट)	१०	७६	१६	४	८	११	२७	१६	तेरह शिक्षकों
२-	रामनगर	१०	१५५	४०	१०	१८	२७	५६	६०	एवं दो
३-	मैहर	१०	७०	१४	७	६	५	१४	१४	अध्यापिकाओं
४-	कोठी	१०	४१	१०	१	२	६	८	४	के उत्तर प्राप्त
५-	अमरपाटन	१०	१०६	४३	१४	११	२०	२४	५०	हुये ।
६-	ऊंचेहरा	१०	६६	२८	१०	८	१४	१६	३८	
७-	सतना (कन्या)	१०	२५	२	२	४	६	११	-	
८-	मैहर (कन्या)	१०	१५	-	-	२	४	१०	-	
कुल योग	-	-	५५७	१५६	४८	५६	६३	१६२	७२	

सतना जिले के विभिन्न पाठशालाओं के कक्षा ११ के बाल अपराधियों की संख्या

क्रमांक	पाठशाला का नाम	कक्षा	कक्षा की कुल संख्या	बाल अपराधियों की संख्या						विशेष
				भाग०	चोर०	असा०	भग०	झूठ०	धूम्र०	
१-	सतना (व्यंकट)	११	७१	३५	८	१७	१६	२१	२०	एक अध्यापिका
२-	मैहर	११	३७	५	३	१	४	८	३	एवं दस
३-	कोठी	११	३६	१२	६	१०	२५	२१	११	शिक्षकों से
४-	अमरपाटन	११	८०	३६	८	१२	१७	१३	३०	उत्तर प्राप्त
५-	ऊंचेहरा	११	४०	१४	३	६	५	१८	१६	हुये ।
६-	नागौद	११	८०	२६	७	६	३६	१७	१०	
७-	सतना (कन्या	११	२०	१	-	२	७	५	-	
कुल योग	-	-	३६४	१३२	३५	५६	१००	१०३	६३	

सीधी जिले के विभिन्न पाठशालाओं के कक्षा १० के बाल अपराधियों की संख्या

क्रमांक	पाठशाला का नाम	कक्षा	कक्षा की कुल संख्या	बाल अपराधियों की संख्या						विशेष
				भाग०	चोर०	अज्ञा०	भग०	झूठ०	धूम्र०	
१-	सीधी (बालक)	१०	३०	१०	५	१७	४	२०	४	एक अध्यापिका
२-	बेढ़न	१०	३४	१०	४	२	५	३	६	एवं पांच
३-	देवसर	१०	३२	६	४	३	८	६	५	शिक्षकों से
४-	सिहावाल	१०	३६	१०	१	-	८	६	-	उत्तर प्राप्त
५-	बघवार	१०	३०	४	-	२	-	६	८	हुये।
६-	सीधी (कन्या)	१०	१५	१	६	६	१०	११	-	
कुल योग	-	-	१८०	४१	२०	३०	३५	५५	२३	

सीधी जिले के विभिन्न पाठशालाओं के कक्षा ११ के बाल अपराधियों की संख्या

क्रमांक	पाठशाला का नाम	कक्षा	कक्षा की कुल संख्या	बाल अपराधियों की संख्या						विशेष
				भाग०	चोर०	अज्ञा०	भग०	झूठ०	धूम्र०	
१-	सीधी (बालक)	११	२५	८	३	६	१०	२	८	दो अध्यापिकाओं
२-	बेढ़न	११	२९	८	३	६	५	२	६	एवं तीन शिक्षकों
३-	देवसर	११	२२	१०	२	५	८	११	१५	से उत्तर प्राप्त
४-	सीधी (कन्या)	११	२८	२	१	२	१३	१२	-	हुये।
कुल योग	-	-	१०४	२८	९	१९	३६	२७	२९	

शहडोल जिले के विभिन्न पाठशालाओं के कक्षा १० के बाल अपराधियों की संख्या

क्रमांक	पाठशाला का नाम	कक्षा	कक्षा की संख्या	बाल अपराधियों की संख्या						विशेष
				भाग०	चोर०	अशा०	झग०	झूठ०	धूम	
१-	शहडोल	१०	३२	१६	३	५	२०	१२	६	दो अध्यापिका-
२-	जैतहरी	१०	३६	१८	३	५	८	६	१०	ओं एवं आठ
३-	उमरिया	१०	२६	६	२	२	८	१२	१०	शिक्षकों से
४-	कोतमा	१०	३३	१	-	५	२	१०	३	उत्तर प्राप्त
५-	अनूपपुर	१०	३१	२	५	३	८	१०	१०	हुये।
६-	बरौंधा	१०	२७	३	५	-	२	१०	५	
७-	ब्योहारी	१०	३८	४	-	-	४	१५	६	
८-	ब्लौरा	१०	१४	१	१	-	-	१	२	
९-	उमरिया (कन्या)	१०	३०	१	२	३	८	१५	-	
१०-	शहडोल (कन्या)	१०	२६	१	२	६	७	१५	-	
कुल योग	-	-	३०१	५३	२३	२९	६७	१०८	५८	

शहडोल जिले के विभिन्न पाठशालाओं के कक्षा ११ के बाल अपराधियों की संख्या

क्रमांक	पाठशाला का नाम	कक्षा	कक्षा की कुल संख्या	बाल अपराधियों की संख्या						विशेष
				भाग०	चोर०	अज्ञा०	फग०	झूठ०	कुल	
१-	शहडोल	११	३२	५	४	१	२	-	१०	दो अध्यापिकाओं
२-	जैतहरी	११	३६	८	३	५	६	९	१०	एवं छः शिक्षकों
३-	उमरिया	११	४०	४	५	३	२	६	९	से उत्तर प्राप्त
४-	कोतमा	११	३२	४	६	२	३	८	३	हुये।
५-	ब्यौहारी	११	३६	२०	४	८	१२	९	१०	
६-	छ्यौरा	११	१२	-	-	-	-	-	१२	
७-	उमरिया (कन्या)	११	२५	-	१	६	१०	१५	-	
८-	शहडोल (कन्या)	११	२६	-	२	३	८	६	-	
कुल योग	-	-	२३५	४१	२५	२८	४३	५३	५४	

पन्ना जिले के विभिन्न पाठशालाओं के कक्षा १० के बाल अपराधियों की संख्या

क्रमांक	पाठशाला का नाम	कक्षा	कक्षा की कुल संख्या	बाल अपराधियों की संख्या						विशेष
				भाग०	चौर०	अज्ञा०	भ.ग०	मू.ठ०	फूरा०	
१-	पन्ना	१०	३२	८	२	१	५	२०	१५	एक अध्यापिका
२-	देवेन्द्रनगर	१०	७८	१५	१०	६	१५	५०	५५	एवं सात
३-	अजयगढ़	१०	३१	१३	२	३	१२	१९	१०	शिक्षकों से
४-	पवई	१०	२८	५	३	४	८	१५	२०	उत्तर प्राप्त
५-	मोहिन्द्र	१०	३२	८	३	५	६	१७	२०	हुये।
६-	शाहनगर	१०	३९	८	६	३	६	२	४	
७-	पन्ना (कन्या)	१०	२५	-	१	१	६	४	-	
कुल योग	-	-	२६५	५७	२७	२३	५८	१२७	१२०	

पन्ना जिले के विभिन्न पाठशालाओं के कक्षा ११ के बाल अपराधियों की संख्या

क्रमांक	पाठशाला का नाम	कक्षा	कक्षा की कुल संख्या	बाल अपराधियों की संख्या						विशेष
				भाग०	चौर०	अज्ञा०	भ.ग०	मू.ठ०	फूरा०	
१-	पन्ना	११	४२	१२	३	४	८	९	१०	एक अध्यापिका
२-	अजयगढ़	११	६३	१४	४	९	९	८	१८	एवं चार शिक्षकों
३-	सेमरिया	११	३२	३	-	२	१०	१५	२०	से उत्तर प्राप्त
४-	पन्ना (कन्या)	११	२९	३	३	२	६	४	-	हुये।
कुल योग	-	-	१६६	३२	१०	१७	३३	३६	४८	

टीकमगढ़ जिले के विभिन्न पाठशालाओं के कक्षा १० के बाल अपराधियों की संख्या

क्रमांक	पाठशाला का नाम	कक्षा	कक्षा की कुल संख्या	बाल अपराधियों की संख्या						विशेष
				भाग०	चोर०	अज्ञा०	भग०	भूठ०	धूम्र०	
१-	टीकमगढ़	१०	९६	२८	१३	११	७	८	३३	एक अध्यापिका
२-	पलेरा	१०	४२	१६	३	८	५	१६	३६	एवं आठ
३-	निवारी	१०	३३	१०	५	६	८	५	२०	शिक्षकों से
४-	पृथ्वीपुर	१०	४०	५	२	१	४	६	१०	उत्तर प्राप्त
५-	डिगौरा	१०	३९	६	४	३	२	१०	१५	हुये।
६-	जतारा	१०	७३	२१	५	३	६	१४	२६	
७-	टीकमगढ़(कन्या)	१०	३९	-	२	२	४	६	-	
कुल योग	-	-	३३५	८६	३४	३४	३६	६८	१३०	

टीकमगढ़ जिले के विभिन्न पाठशालाओं के कक्षा के बाल अपराधियों की संख्या

क्रमांक	पाठशाला का नाम	कक्षा	कक्षा की कुल संख्या	बाल अपराधियों की संख्या						विशेष
				भाग०	चोर०	अज्ञा०	भग०	भूठ०	धूम्र	
१-	टीकमगढ़	११	७१	२२	१०	१६	८	८	१६	
२-	निवारी	११	३६	६	२	१	३	८	१६	
३-	पृथ्वीपुर	११	२९	७	४	५	३	११	१७	
४-	जतारा	११	३९	८	३	५	१०	६	५	
५-	टीकमगढ़(कन्या)	११	२५	-	१	२	५	४	-	
कुल योग	-	-	२००	४३	२०	२९	२९	३७	५४	

छतरपुर जिले के विभिन्न पाठशालाओं के कक्षा १० के बाल अपराधियों की संख्या

क्रमांक	पाठशाला का नाम	कक्षा	कक्षा की कुल संख्या	बालपराधियों की संख्या						विशेष
				भाग०	चोर०	कल०	झग०	झूठ०	धूम्र०	
१-	छतरपुर	१०	१०६	५१	१७	१६	२६	३६	४२	तीन अध्यापिका-
२-	हरपालपुर	१०	४६	२०	५	८	४	१०	२३	ओं एवं आठ
३-	महाराजपुर	१०	३२	१०	२	८	५	१२	७	से उत्तर प्राप्त
४-	गढ़ी-मल्हेरा	१०	४०	६	-	८	१०	२	१५	हुये।
५-	राजनगर	१०	३६	१५	३	२२	६	१२	१०	
६-	लौंड़ी	१०	३६	१०	८	५	३	१४	१८	
७-	छतरपुर(कन्या)	१०	२६	-	१	२	६	५	-	
८-	गढ़ी-मल्हेरा (कन्या)	१०	३०	१	३	-	६	१५	-	
६-	नौगांव (कन्या)	१०	२०	-	१	२	७	६	-	
	कुल योग -	-	३७८	११३	४०	७१	७६	११५	११६	

छतरपुर जिले के विभिन्न पाठशालाओं के कक्षा ११ के बाल अपराधियों की संख्या

क्रमांक	पाठशाला का नाम	कक्षा	कक्षा की कुल संख्या	बाल अपराधियों की संख्या						विशेष
				भाग०	चोर०	अज्ञ०	झग०	झूठ०	धूम्र	
१-	छतरपुर	११	६२	७	२	१६	१८	२०	२०	दो अध्यापि-
२-	गोपालपुर	११	३६	१५	२	१५	१०	२०	२३	काओं एवं सात
३-	महाराजपुर	११	३६	८	३	६	२	२	५	शिक्षकों से
४-	राजनगर	११	२९	५	३	-	२	७	२०	उत्तर प्राप्त
५-	बिजावर	११	३१	१२	३	५	२	६	११	हुये।
६-	लौंड़ी	११	३९	४	२	-	३	१४	२०	
७-	छतरपुर (कन्या)	११	२५	-	३	५	१७	१९	-	
८-	नौगांव (कन्या)	११	२५	-	१	२	६	४	-	
कुल योग -		-	२८३	५१	१९	४९	६०	९२	९९	

परिशिष्ट क्रमांक ---५-----

बाल अपराधियों की सूची
(जिनकी बुद्धि परीक्षा ली गई)

अधोलिखित बाल अपराधियों की बुद्धि परीक्षा डा० एस० जलोटा द्वारा निर्मित "बुद्धि परीक्षा पत्रक" द्वारा सम्पादित की गई है। टरमन[1] के द्वारा सहज बुद्धि के वर्गीकरण के आधार पर नौ वर्गों में बाल अपराधियों को वर्गीकृत किया गया है।

गोपनीयता को दृष्टि में रखकर इस सूची में बाल अपराधियों से सम्बंधित कक्षा एवं पाठशालाओं का अंकन नहीं किया गया है।

१५० से अधिक : प्रतिभा सम्पन्न

क्रमांक	नाम	मानसिक आयु वर्ष - माह	वास्तविक आयु वर्ष - माह	बुद्धि लब्धि
१-	सत्येन्द्र	२५ - ३	१५ - ३	१६३
२-	बहोरी लाल	२० - ०	१३ - ३	१५०

१४० से १५० : साधारण प्रतिभा सम्पन्न

क्रमांक	नाम	मानसिक आयु वर्ष-माह	वास्तविक आयु वर्ष-माह	बुद्धि लब्धि
३-	सत्यसागर	१६ - ६	११ - ८	१४३
४-	राजकुमारी	२२ - ६	१५ - ८	१४५

१२० से १४० : अधिक उत्कृष्ट

क्रमांक	नाम	मानसिक आयु वर्ष-माह	वास्तविक आयु वर्ष-माह	बुद्धि लब्धि
५-	गोविन्द नारायण सक्सेना	२० - ६	१६ - २	१२६

(क्रमशः)

1. Quoted by : Sita Ram Jaiswal : "Shiksha Shastra" : PP. 345.

क्रमांक नाम	मानसिक आयु वर्ष-माह	वास्तविक आयु वर्ष-माह	बुद्धि लब्धि
६- बी०एन० चतुर्वेदी	२३ - ३	१६ - २	१२१
७- रणजीत सिंह	२० - ६	१६ - ८	१२१
८- राजेन्द्र कुमार	१६ - ३	१६ - ०	१२०
९- ओम नाथ	१७ - ६	१६ - ३	१२०
१०- अर्जुन कुमार	२० - ६	१६ - २	१२६
११- देवी दास	२० - ६	१५ - ३	१३४
१२- चन्द्र किशोर	२१ - ३	१६ - २	१३१
१३- कु०कमल श्रीवास्तव	२२ - ३	१६ - २	१३७
१४- ज्ञानेश्वरी श्रीवास्तव	२२- ०	१६ - २	१३६
१५- आशा श्रीवास्तव	२० - ६	१५ - ३	१३४
१६- कुमारी अशोका	२२ - ०	१७ - ५	१२६
१७- सुशीला देवी	१८ - ०	१४ - ११	१२०
१८- शकुन्तला मिश्र	२१ - ३	१६ - २	१३१
१९- शरीफन निशा	२० - ६	१६ - २	१२६
२०- कु० शकुन्तला	२१ - ६	१७ - ६	१२१
२१- सुशीला दयाल	१६ - ३	१४ - ६	१२०
२२- शारदा मिश्रा	२३ - ३	१६ - ६	१३८
२३- आशा पाठक	२२ - ३	१६ - ६	१३२
२४- शशिकला जौहरी	२२ - ३	१६ - ०	१२६
२५- ऊषा कुलाज	१६ - ७	१५ - ६	१२३
२६- सुलोचना तिवारी	२१ - ६	१७ - ६	१२२
२७- ज्योति सिंह	२० - ६	१७ - १	१२०

(क्रमशः)

११० से १२० : उत्कृष्ट

क्रमांक	नाम	मानसिक आयु वर्ष-माह	वास्तविक आयु वर्ष-माह	बुद्धि लब्धि
२८-	वंशबहादुर	१६ - ०	१६ - ३	११६
२९-	रामानुज शर्मा	१५ - ०	१३ - २	११३
३०-	अनवर खां	१७ - ३	१५ - ०	११५
३१-	सूर्यभान शर्मा	१४ - ०	१२ - ८	११०
३२-	मनोज कुमार शुक्ल	१६ - ६	१५ - ०	११०
३३-	दिनेश प्रसाद मिश्र	२२ - ६	१९ - ०	११८
३४-	रन बहादुर	२१ - ०	१८ - ०	११६
३५-	कु० स्वर्णलता सिंह	१६ - ९	१५ - ०	११६
३६-	धनवन्ती	२१ - ०	१८ - ०	११६
३७-	मिनोती चटर्जी	२१ - ०	१८ - ६	११३
३८-	सरस्वती देवी तिवारी	१९-६	१७ - १	११३
३९-	सुधा माथुर	१९ - ३	१८ - ०	११२
४०-	शीला खत्री	२० - ६	१८ - ५	१११
४१-	मुमताज बेगम	२१ - ३	१९ - २	११०
४२-	आशालता खरे	१५ - ८	१४ - २	११०
४३-	कु० कृष्णा मिश्र	१९ - ०	१८ - ०	११०
४४-	कु० रामकली	२० - ६	१७ - २	११९
४५-	कृष्णा तिवारी	१७ - ६	१५ - ३	११३
४६	मुन्नी देवी निगम	१८ - ०	१६ - १	१११
४७-	कुलदीप कौर	१९ - ०	१७ - १	१११

९० से ११० : साधारण

क्रमांक	नाम	मानसिक आयु वर्ष-माह	वास्तविक आयु वर्ष-माह	बुद्धि लब्धि
४८-	रामकुमार	१७ - ९	१६ - २	१०९

(क्रमशः)

क्रमांक नाम	मानसिक आयु वर्ष-माह	वास्तविक आयु वर्ष-माह	बुद्धि लब्धि
४९- गणेश प्रसाद द्विवेदी	१६ - ३	१५ - ०	१०८
५०- मंगल प्रसाद पटेल	१७ - ९	१६ - ४	१०८
५१- सरोज कुमार	१३ - ०	१२ - ०	१०८
५२- बी०एल० गुप्ता	१५ - ०	१३ - ११	१०७
५३- लक्ष्मण प्रसाद	१४ - ०	१३ - ०	१०७
५४- रामबल तिवारी	१९ - ६	१८ - ३	१०६
५५- रामायन दास	१४ - ०	१३ - २	१०६
५६- राजेन्द्र किशोर	१७ - ०	१६ - २	१०५
५७- लक्ष्मी प्रसाद	१६ - ३	१५ - ६	१०४
५८- इसरार अहमद	१६ - ९	१६ - ०	१०४
५९- अजयेन्द्र बहादुर	१४ - ५	१३ - ९	१०४
६०- रामाश्रय प्रसाद	१२ - ८	१२ - २	१०४
६१- परमेश्वर प्रसाद	१८ - ९	१८ - २	१०३
६२- भोला नाथ	१९ - ९	१९ - ४	१०२
६३- देवेन्द्र प्रताप	१३ - ०	१२ - ८	१०२
६४- अमर बहादुर	१८ - ३	१७ - ९	१०२
६५- रमाकान्त	१५ - ८	१५ - ६	१०१
६६- सुरेश प्रसाद	१५ - ०	१४ - १०	१०१
६७- शंकटा प्रसाद	१७ - ३	१७ - ०	१०१
६८- जनार्दन प्रसाद	१२ - ४	१३ - ०	१०१
६९- नारायण सिंह	१३ - ४	१३ - १	१०१
७०- इशरत उल्ला	१६ - ०	१६ - ०	१००
७१- गोकुल प्रसाद	१४ - ४	१३ - ६	१००
७२- राजेन्द्र प्रसाद	१३ - ४	१३ - ४	१००
७३- महाराज दीन	१७ - ६	१७ - ५	१००

(क्रमशः)

क्रमांक नाम	मानसिक आयु वर्ष-माह	वास्तविक आयु वर्ष-माह	बुद्धि लब्धि
७४- द्वारिका प्रसाद	१७ - ६	१७ - २	१००
७५- बी०पी० सिंह	२० - ०	२० - ०	१००
७६- शिव प्रसाद	१३ - ०	१३ - १	९९
७७- राम प्रताप	१४ - ०	१४ - ३	९८
७८- राज रूप	१३ - ०	१३ - ३	९८
७९- राम निवास	१२ - ०	१२ - ४	९८
८०- राम लखन	१४ - ४	१५ - ८	९७
८१- राम प्रताप	१५ - ४	१५ - ९	९७
८२ - हनुमान प्रसाद	१२ - ८	१३ - ०	९७
८३- जगत नारायण	१३ - ४	१३ - ६	९६
८४- शारदा प्रसाद	१४ - ४	१५ - ०	९५
८५- राम लला	११ - ८	१२ - ३	९५
८६- रामभजन	१५ - ०	१५ - ६	९५
८७- नर्वदा प्रसाद	११ - ८	१२ - २	९५
८८- हीरालाल	१३ - ४	१४ - ०	९५
८९- दिनेश प्रसाद	१२ - ४	१३ - ०	९४
९०- दर्शन लाल	१८ - ०	१९ - ०	९४
९१- राघवेन्द्र सिंह	११ - ४	१२ - ०	९४
९२- रमाकान्त	१२ - ४	१३ - ०	९४
९३- आर०एस० त्रिपाठी	१६ - ०	१७ - २	९३
९४- ए०पी० पाण्डेय	१९ - ६	२० - ९	९३
९५- रामसुमन मिश्र	१७ - ०	१८ - २	९३
९६- देवराज सिंह	१२ - ०	१३ - ०	९२
९७- राम स्वरूप	१२ - ४	१३ - ६	९१
९८- रमा प्रसाद सिंह	१६ - ६	१८ - ०	९१
९९- गणेश प्रसाद	१४ - ४	१५ - ९	९१
१००- केशव प्रसाद	१२ - ०	१३ - २	९१

(क्रमशः)

क्रमांक	नाम	मानसिक आयु वर्ष-माह	वास्तविक आयु वर्ष-माह	बुद्धि लब्धि
१०१-	सुख नारायण	१२ - ४	१३ - ५	९१
१०२-	नारायण सिंह	१६ - ०	१७ - ६	९१
१०३-	त्रिवेणी प्रसाद	१४ - ४	१५ - ३	९०
१०४-	महेश प्रसाद	१४ - ०	१४ - ८	९०
१०५-	राधिका प्रसाद	१२ - ०	१३ - ३	९०
१०६-	जहूर मुहम्मद	१२ - ०	१३ - ३	९०
१०७-	साँवी लाल	२१ - ०	१९ - ३	१०४
१०८-	राम प्रताप	१९ - ९	१८ - २	१०३
१०९-	उदय राज	१९ - ९	१९ - ०	१०३
११०-	राम सनेही	१९ - ३	१८ - ४	९९
१११-	वीरेन्द्र कुमार	१६ - ३	१६ - ९	९७
११२-	राम बली	१२ - ८	१३ - ९	९७
११३-	ललन लाल	१२ - ४	१३ - ११	९४
११४-	राम सजीवन	१३ - ४	१४ - २	९४
११५-	सुदामा प्रसाद	१२ - ०	१३ - ११	९३
११६-	अर्जुन सिंह	१६ - ०	१७ - ३	९२
११७-	तेज प्रताप	१२ - ४	१३ - ०	९४
११८-	रण बली	१३ - ४	१४ - ०	९५
११९-	महमूद खां	१४ - ४	१३ - ८	९७
१२०-	सकल तप नारायण	१२ - ०	१२ - ४	९८
१२१-	रामाधार	१३ - ०	१३ - १	९९
१२२-	रामायण सिंह	१५ - ०	१४ - १०	१०१
१२३-	संत सिंह	१९ - ८	१९ - ४	१०२
१२४-	विष्णु नारायण	१६ - ६	१५ - ०	११०
१२५-	तेज बली	२० - ९	१९ - १	१०८
१२६-	गंगा प्रसाद	१७ - ६	१७ - २	१००

(क्रमशः)

क्रमांक	नाम	मानसिक आयु वर्ष-माह	वास्तविक आयु वर्ष-माह	बुद्धि लब्धि
१२७-	ऊषा कुमारी	२० - ६	१६ - १	१०८
१२८-	शोभना पुरन्दरे	२१ - ६	२० - ८	१०४
१२९-	लीला गुप्ता	१६ - ६	१५ - ११	१०३
१३०-	प्रभा वती राय	१८ - ३	१८ - ३	१००
१३१-	माया सिंह	१७ - ०	१६ - ११	१००
१३२-	सुमन निगम	१५ - ०	१५ - ०	१००
१३३-	किरण मयी डे	१८ - ०	१८ - २	९९
१३४-	अरुणा खरे	१५ - ४	१६ - १	९७
१३५-	राधा शराफ	१३ - ८	१५ - ०	९१
१३६-	निर्मला जैन	१७ - ६	१४ - ११	९६
१३७-	कुमारी ऊषा	१४ - ८	१५ - ०	९७
१३८-	ऊषा जैन	१७ - ०	१५ - ६	९०
१३९-	सुमन श्रीवास्तव	२१ - ०	१९ - २	१०९
१४०-	प्रभा जैन	२० - ३	१९ - ०	१०६
१४१-	सुधा बाजपेई	१७ - ६	१७ - २	१०३
१४२-	उर्मिला गर्ग	२० - ०	१९ - ११	१००
१४३-	आशा तिवारी	१७ - ०	१७ - ०	१००
१४४-	राज किशोरी	१९ - ०	१९ - २	९९
१४५-	कुमारी शोभना	१७ - ६	१८ - १	९८
१४६-	संतोष कुमारी	१८ - ६	१९ - २	९७
१४७-	अन्नपूर्णा शुक्ल	१७ - ६	१८ - २	९६
१४८-	आशा निगम	१८ - ३	१९ - ०	९६
१४९-	सरिता श्रीवास्तव	१८ - ६	१९ - ८	९४
१५०-	सौगरा बेगम	१५ - ४	१६ - २	[illegible]
१५१-	ऊषा सक्सेना	१८ - ०	१९ - ३	९[illegible]

(क्रमशः)

क्रमांक	नाम	मानसिक आयु वर्ष-माह	वास्तविक आयु वर्ष-माह	बुद्धि लब्धि
१५२-	सरोज जैन	१७ - ६	१६ - ०	६३
१५३-	सईदा	१६ - ३	१६ - ६	६३
१५४-	भुवनेश्वरी व्यास	१५ - ०	१६ - २	६२
१५५-	जुगिन्दर कौर	१४ - ०	१५ - ४	६१
१५६-	मीना सिंह	१७ - ६	१६ - ५	१०८
१५७-	हेम लता खरे	१६ - ३	१८ - २	१०५
१५८-	मिस डिगवेकर	१६ - ०	१५ - ६	१०३
१५९-	दीपिका मुकर्जी	१६ - ३	१५ - ६	१०३

९६

८० से ९० : मंद बुद्धि

क्रमांक	नाम	मानसिक आयु वर्ष-माह	वास्तविक आयु वर्ष-माह	बुद्धि लब्धि
१६०-	रामयत्न	११ - ८	१३ - २	८८
१६१-	रामगी पांडे	१२ - ८	१५ - ३	८३
१६२-	गणेश प्रसाद	१२ - ४	१५ - २	८१
१६३-	सतानन्द मिश्र	१६ - ०	१८ - २	८८
१६४-	छोटे लाल	१२ - ८	१५ - ३	८३
१६५-	कु० वंदना दुबे	१४ - ४	१७ - ८	८५
१६६-	दर्शना थापर	१४ - ०	१६ - २	८६
१६७-	शांति तिवारी	१४ - ०	१७ - ०	८२
१६८-	राधा टंडन	१३ - ४	१५ - ३	८७
१६९-	प्रतिभा सिंह	१५ - ८	१८ - ७	८४
१७०-	शशि प्रभा महेन्द्रा	१४ - ०	१७ - १	८१

(क्रमशः)

७० से ८० : क्षीण बुद्धि

क्रमांक	नाम	मानसिक आयु वर्ष-माह	वास्तविक आयु वर्ष-माह	बुद्धि लब्धि
१७१-	राम रक्षा	१४ - ०	१७ - ११	७८
१७२-	देवराज प्रसाद	१२ - ४	१६ - २	७५
१७३-	रामानन्द गुप्त	१४ - ०	१८ - ८	७५
१७४-	सम्पत कुमार	११ - ४	१८ - ६	७२
१७५-	शिवराम प्रसाद	१० - ०	१४ - ०	७१
१७६-	जगदीश प्रसाद	१४ - ०	१९ - ८	७१
१७७-	महादेव प्रसाद	१० - ४	१३ - २	७८
१७८-	रामजियावन	१३ - ८	१७ - २	७९
१७९-	वीरेन्द्र बहादुर	९ - ८	१२ - ७	७६
१८०-	कु० निलिमा चौधरी	११ - ०	१४ - ०	७८
१८१-	कु० गीता मिश्रा	१३ - ४	१७ - १	७८
१८२-	रतनबाला खरे	११ - ८	१५ - २	७५
१८३-	शान्ति पाठक	१४ - ८	१८ - ९	७८
१८४-	संतोष मिश्रा	१३ - ४	१७ - १	७८
१८५-	सरस्वती	१४ - ०	१९ - २	७३
१८६-	कमल मोरे	१४ - ०	१९ - १	७३
१८७-	आशा ठाकुर	११ - ८	१६ - २	७२
१८८-	बानी सबदा	१२ - ४	१६ - ११	७२
१८९-	माधुरी सौत्रीय	१४ - ४	२० - १	७१

७० से कम हीन बुद्धि

क्रमांक	नाम	मानसिक आयु वर्ष-माह	वास्तविक आयु वर्ष-माह	बुद्धि लब्धि
१९०-	जगदम्बा प्रसाद	११ - ४	१६ - ४	६९

(क्रमशः)

क्रमांक	नाम	मानसिक आयु वर्ष-माह	वास्तविक आयु वर्ष-माह	बुद्धि लब्धि
१६१-	राजाराम	१२ - ०	१७ - ३	६६
१६२-	इंद्र मणि	१२ - ४	१८ - ०	६८
१६३-	केदार नाथ	११ - ८	१७ - २	६७
१६४-	दयानन्द	१० - ४	१५ - ६	६७
१६५-	अम्बिका प्रसाद	१० - ४	१५ - ४	६७
१६६-	विष्णु दत्त	१२ - ४	१८ - ८	६५
१६७-	राम यश	११ - ८	१७ - ११	६५
१६८-	राम मिलन	११ - ४	१७ - ३	६५
१६६-	राम खिलावन	६ - ८	१५ - ०	६४
२००-	कामता प्रसाद	११ - ८	१८ - ११	६३
२०१-	अमरेन्द्र प्रसाद	६ - ४	१४ - ८	६३
२०२-	कोंडू लाल	६ - ०	१४ - २	६३
२०३-	राम लखन शर्मा	१० - ८	१६ - ११	६३
२०४-	बिहारी लाल	११ - ७	१८ - ३	६२
२०५-	बीरबल तिवारी	१० - ४	१६ - ५	६२
२०६-	इन्द्रजीत त्रिपाठी	११ - ०	१७ - ६	६१
२०७-	राम भुवन	६ - ४	१५ - ३	६१
२०८-	बाल्मीकि पटेल	१० - ८	१७ - ६	६०
२०६-	राम सजीवन शुक्ल	११ - ०	१[illegible] - ३	६०
२१०-	फतेह बहादुर	१० - ८	१८ - ०	५६
२११-	राम भुवन मिश्र	६ - ०	१५ - ०	६०
२१२-	राम [illegible]	११ - ४	१६ - २	५६
२१३-	कृष्णा मूर्ति	१० - ०	१७ - ६	५८
२१४-	मैनुबल बाल्दीन	१० - ८	१६ - ८	५७
२१५-	रघुनाथ प्रसाद	१० - ८	१८ - ५	५७

(क्रमशः)

क्रमांक	नाम	मानसिक आयु वर्ष-माह	वास्तविक आयु वर्ष-माह	बुद्धि लब्धि
२१६-	सम्पत कुमार	१० - ८	१८ - ८	५७
२१७-	बिहारी लाल	१० - ०	१७ - ७	५६
२१८-	राम सजीवन पटेल	१० - ४	१६ - ६	५५
२१९-	लाल मणि सोनी	१० - ०	१७ - ११	५५
२२०-	इन्द्रभान तिवारी	१० - ०	१८ - ०	५५
२२१-	दूली चन्द	६ - ६	१७ - ६	५३
२२२-	महेश प्रसाद	१२ - ४	१८ - ३	६६
२२३-	बिहारी लाल त्रिपाठी	१०-४	१५ - ८	६५
२२४-	नागेन्द्र नाथ	१० - ०	१५ - ०	६५
२२५-	बाल मुकुन्द	८ - ४	१३ - ०	६१
२२६-	तीर्थ प्रसाद	९ - ८	१६ - ०	६०
२२७-	राघवेन्द्र सिंह	९ - ०	१८ - ०	५२
२२८-	राम सुहावन	८ - ४	१५ - ६	५२
२२९-	राम बली पटेल	९ - ०	१७ - ०	५२
२३०-	महेश प्रसाद त्रिपाठी	८ - ०	१५ - ३	५२
२३१-	राम कुशल	१० - ०	१९ - २	५२
२३२-	अम्बिका प्रसाद	१३ - ०	२० - २	६८
२३३-	राम कृष्ण	९ - ४	१४ - २	६५
२३४-	राम विशाल	१० - ४	१७ - २	६०
२३५-	रामकरण	११ - ४	१९ - २	५९
२३६-	बिहारी लाल	१८ - ८	१५ - ३	५६
२३७-	राम निवास	१० - ८	१८ - ११	५६
२३८-	भोला प्रसाद	११ - ०	२० - ६	५३
२३९-	लक्ष्मी कान्त	१२ - ४	१८ - ०	६८
२४०-	श्याम सिंह	१२ - ४	१८ - ८	६५
२४१-	शैलकुमारी खरे	११ - ०	१६ - २	६९

(क्रमशः)

क्रमांक	नाम	मानसिक आयु वर्ष-माह	वास्तविक आयु वर्ष-माह	बुद्धि लब्धि
२४१-	चमेली देवी	१३ - ८	१९ - १०	६८
२४२-	मुख्तारी	११ - ०	१८ - ३	६०
२४३-	सरला वर्मा	१० - ०	१७ - ६	५७

५२ से कम : निकृष्ट बुद्धि

क्रमांक	नाम	मानसिक आयु वर्ष-माह	वास्तविक आयु वर्ष-माह	बुद्धि लब्धि
२४४-	रामदास चौरसिया	९ - ४	१९ - ४	५१
२४५-	सुरसरी प्रसाद	१२ - ०	२२ - ४	५१
२४६-	रामावतार शर्मा	९ - ८	२० - २	४७
२४७-	रामाधीन पांडे	८ - ४	१८ - १	४६
२४८-	जय सिंह	८ - ०	१७ - २	४६
२४९-	राम सजीवन सोनी	८ - ८	१९ - २	४५
२५०-	सरयू प्रसाद	८ - ४	१८ - ५	४५
२५१-	वंश रूप चमार	८ - ०	१८ - २	४४
२५२-	अमर बहादुर गोंड	९ - ८	२२ - ३	४३
२५३-	गीता प्रसाद	८ - ०	१८ - ९	४२
२५४-	शिवधारी प्रसाद	९ - ४	२२ - २	४२
२५५-	राम प्रसाद	८ - ०	१८ - ९	४२
२५६-	रामबली गोंड	८ - ०	१८ - ८	४२
२५७-	रंग नाथ सिंह	९ - ४	१९ - ७	४२
२५८-	मदन मोहन	८ - ०	१९ - २	४१
२५९-	रामफल	८ - ०	२० - २	३९
२६०-	दुर्गा प्रसाद	८ - ०	२० - ६	३९
२६१-	अभय राज सिंह	८ - ४	१६ - ३	५१
२६२-	सत्यनारायण [illegible]	९ - ४	१९ - २	४८

(क्रमशः)

क्रमांक	नाम	मानसिक आयु वर्ष-माह	वास्तविक आयु वर्ष-माह	बुद्धि लब्धि
२६३-	राम रूप दुबे	६ - ०	२१ - २	४२
२६४-	दिनेश शाला	६ - ४	१६ - ७	५२